विवरणिका
2019-20

शैक्षिक पाठ्यक्रम
माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक

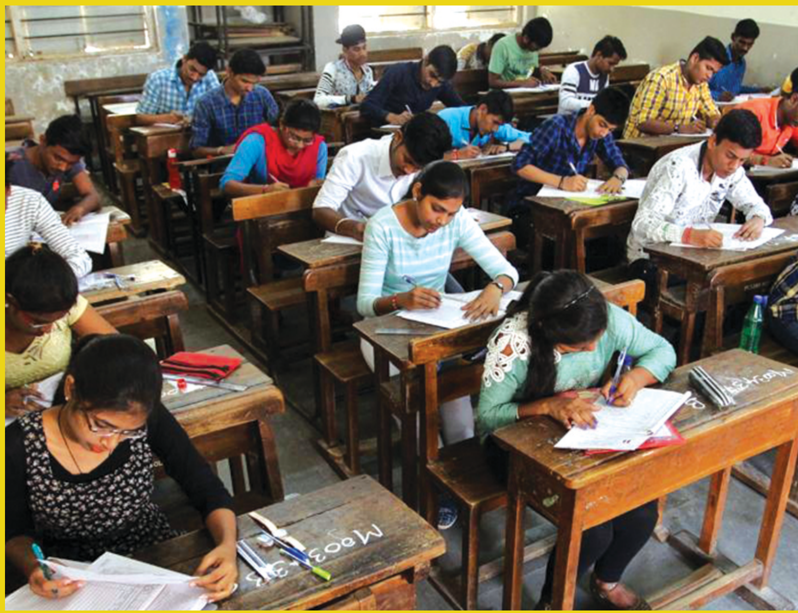

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान
(आईएसओ 9001 : 2008 प्रमाणित)
(मा.सं.वि.मं., भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था)

NIOSHQ | @niostwit | www.nios.ac.in

अध्यक्ष का संदेश

प्रिय शिक्षार्थी,

शिक्षा की प्रक्रिया में वैश्विक स्तर पर परिवर्तन हो रहा है और यह परिवर्तन तेजी से और निरंतर हो रहा है। शैक्षिक प्रक्रिया का प्रमुख केंद्र शिक्षक से बदलकर शिक्षार्थी हो गया है। जो शिक्षा पहले पारंपरिक रूप से शिक्षक केंद्रित थी, वह अब शिक्षार्थी केंद्रित हो गई है। अब शिक्षार्थी से अपेक्षा की जाती है कि अपने विषयों के चयन में और शिक्षा की प्रक्रिया में पहले से अधिक उत्तरदायी हो। बहुत बड़ी संख्या में किशोर अपनी शिक्षा कक्षा की शिक्षण प्रक्रिया द्वारा नहीं अपितु स्वयं अपनी गति और स्थान के अनुसार करते हैं और इंटरनेट पर उपलब्ध ऑन लाइन पाठ्यक्रमों और रिकॉर्ड हुए व्याख्यानों से सीखते हैं। संचार प्रौद्योगिकियों के आगमन और उनकी तत्काल उपलब्धता ने मुक्त विद्यालयी शिक्षा के रूप में हमारे जीवन को पूर्णतया बदल दिया है। ऐसे शिक्षार्थी जो पाठ्यगामी क्षेत्रों से आगे कुछ अलग करना चाहते हैं जैसे खेल, संगीत आदि या जीवन में सफल होने के लिए और अधिक बड़ी शैक्षिक चुनौती लेना चाहते हैं वे दूरस्थ माध्यम द्वारा शिक्षा प्राप्त करने का निर्णय लेते हैं जो मुख्य रूप से स्व-अनुदेशनात्मक सामग्री पर निर्भर होते हैं।

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) तीन राष्ट्रीय स्कूल शिक्षा बोर्डों में से एक है। यह मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) माध्यम द्वारा स्कूली शिक्षा प्रदान करता है। यह सर्वाधिक नामांकन के साथ विश्व का सबसे बड़ा मुक्त विद्यालय है जिसमें सर्वाधिक संख्या में पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं जिनके लिए मुद्रित एवं इलेक्ट्रॉनिक/रेडियो कार्यक्रम सामग्री उपलब्ध होती है। एनआईओएस के पूर्व-स्नातक स्तर तक शिक्षार्थियों का नामांकन करने, परीक्षा लेने और उत्तीर्ण शिक्षार्थियों को प्रमाणपत्र देने का अधिकार प्राप्त है। एनआईओएस में अध्ययन के मुक्त विद्यालयी शिक्षा पाठ्यक्रम राष्ट्रीय/राज्य स्तर के स्कूल शिक्षा के अन्य बोर्डों के अध्ययन के पाठ्यक्रमों के समान स्तर के और समकक्ष हैं। शिक्षार्थी एनआईओएस से पढ़ाई पूरी करने के बाद कॉलेजों और व्यावसायिक संस्थाओं में प्रवेश लेते हैं। एनआईओएस विभिन्न शैक्षिक और व्यावसायिक शिक्षा संस्थाओं/संगठनों से संकाय सदस्यों के ज्ञान का उपयोग करते हुए अपनी पाठ्यचर्या, स्व-अध्ययन सामग्री और मीडिया सहायता कार्यक्रम तैयार करता है। मुक्त विद्यालयी शिक्षा सीखने में सुविधा और स्वतंत्रता प्रदान करती है। शिक्षार्थी किसी भी समय और किसी भी स्थान पर सीख सकते हैं।

मैं आप सबको बधाई देता हूँ कि आपने एनआईओएस द्वारा अपनी शिक्षा जारी रखने का निर्णय लिया। अब आप एनआईओएस समुदाय के गर्वित एवं सुविधा प्राप्त सदस्य हैं। मैं एनआईओएस में आप सबका स्वागत करता हूँ।

सामान्यत: यह सोच रहती है कि दूरस्थ शिक्षा आसान है। यह अपेक्षा रहती है कि विषय विस्तु अथवा अपेक्षित अधिगम का स्तर ऐसे सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान होना चाहिए जो किसी राष्ट्रीय अथवा किसी राज्य स्कूल बोर्ड अथवा एनआईओएस से प्रमाणपत्र प्राप्त करते हैं । किसी औपचारिक कक्षा में, शिक्षार्थी को कम प्रयास करने पड़ते हैं क्योंकि शिक्षक जिन शिक्षार्थियों के लिए व्याख्यान तैयार करता है और व्याख्यान देता है वे निष्क्रिय होते हैं या दूसरे शब्दों में कहें जिन्हें 'पका-पकाया परोसा' जाता है। दूरस्थ शिक्षा में, शिक्षार्थी को अधिक स्व-अनुशासित होना चाहिए क्योंकि उसे स्व-अध्ययन सामग्री पढ़नी होती है और रिकॉर्ड किए गए व्याख्यानों को सुनना, और/अथवा देखना भी होता है। दूरस्थ शिक्षा अधिक जिम्मेदार और स्व-अनुशासित शिक्षार्थियों के लिए है। एनआईओएस परीक्षाओं की मूल्यांकन प्रक्रिया की गुणवत्ता और तीव्रता यदि अन्य बोर्डों की तुलना में अधिक कठिन नहीं तो एक समान अवश्य है। आप पारंपरिक स्कूली शिक्षा प्रणाली में पढ़ रहे अपने सहपाठियों की अपेक्षा अधिक चुनौतीपूर्ण कार्य कर रहे हैं। इस चुनौती को लेने के आपके निर्णय पर मैं आपका अभिवादन करता हूँ।

जैसा कि आप सब जानते हैं, एनआईओएस ने अपनी वेबसाईट www.nios.ac.in के माध्यम से 100% ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया अपनाई है। एनआईओएस डिजिटलीकरण की दिशा में और एक कदम बढ़ा रहा है और शिक्षार्थियों के लिए प्रवेश प्रक्रिया को और अधिक आसान बना रहा है, इस वर्ष से एनआईओएस ने **''एनआईओएस एसएमआईएस'' (शिक्षार्थी प्रबंधन सूचना प्रणाली) नामक मोबाइल एप के माध्यम से भी प्रवेश आरंभ किया है। एनआईओएस शिक्षार्थी के प्रवेश लेने से लेकर अंतिम प्रमाण पत्र प्राप्त करने तक पूरी प्रक्रिया इस मोबाइल एप पर उपलब्ध होगी। एनआईओएस की प्रत्येक गतिविधि शिक्षार्थी को इस मोबाइल एप के माध्यम से दी जाएगी।** प्रवेश को आधार के साथ भी जोड़ा जा रहा है। इससे एनआईओएस को प्रत्येक शिक्षार्थी का उचित प्रमाणिक डाटा प्राप्त करने में मदद मिलेगी और इससे प्रवेश प्रक्रिया के दौरान होने वाली त्रुटियों की संख्या भी कम होगी। इस वर्ष से एनआईओएस के उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रमो में चार नए विषय शारीरिक शिक्षा और योग, सेना अध्ययन और सेना इतिहास उच्चतर माध्यमिक स्तरपर और सिंधी, हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत माध्यमिक स्तर पर आरंभ किए गए हैं। कृपया ध्यान दें कि ऑन लाइन प्रवेश के अंतर्गत, प्रवेश और परीक्षा के लिए शुल्क का भुगतान केवल ऑन लाइन ही किया जाएगा। जहां तक शुल्क के भुगतान की बात है, कोई चेक/बैंक ड्रॉफ्ट आदि स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

आपका शुल्क प्राप्त होने पर, वास्तव में आपके प्रवेश की पुष्टि होने से भी पहले, एनआईओएस आपको अध्ययन सामग्री प्रेषित करेगा। यह सामग्री भारत सरकार के डाक विभाग द्वारा भेजी जाएगी। इसके लिए आपको कोई राशि नहीं देनी होगी। यह आपके द्वारा दिए गए पते पर नि:शुल्क भेजी जाएगी। अध्ययन सामग्री का मूल्य, शुल्क में शामिल है। जितनी जल्दी संभव हो अध्ययन सामग्री पढ़ें क्योंकि आपको अपने एआई (अध्ययन केंद्र) से **परामर्श कार्यक्रम** के बारे में सूचना प्राप्त होगी जिन्हें व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम कहा जाता है। कृपया एनआईओएस के अध्ययन प्रक्रिया विस्तार से जानने के लिए विवरणिका के अध्याय 3 को ध्यान से पढ़ें। पीसीपी कक्षाओं में उपस्थित होने से आपको अपने अनुशिक्षक के साथ विचार-विमर्श करने का मौका मिलेगा जिससे आप अपने चुने हुए विषयों से संबंधित समस्याओं के समाधान प्राप्त कर सकेंगे। ये मेरी आपसे विनम्र सुझाव है कि मूल्यांकन कार्यों को गंभीरता से करें। आपके मूल्यांकन कार्यों के उत्तरों का मूल्यांकन अध्ययन केंद्र के आपके अनुशिक्षक करेंगे। आपके मूल्यांकन कार्यों जिन्हें अनुशिक्षक अंकित मूल्यांकन (टीएमए) कहा जाता है के उत्तरों पर उनकी महत्वपूर्ण टिप्पणियां और सुझाव शिक्षण-अधिगम, रणनीतियों के महत्वपूर्ण अंग के रूप में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होंगे। यदि आपको अपने अध्ययन केंद्र से कोई सूचना प्राप्त नहीं होती तो आप स्वयं उन्हें फोन करें अथवा आबंटित एआई पर जाएं और परामर्श सत्रों के बारे में पता लगाएं। परामर्श सत्र के दौरान, आपको अपनी अध्ययन सामग्री में से किसी भी विषय के बारे में अपने संदेह दूर करने का अवसर प्राप्त होगा। आप एनआईओएस के **वेब रेडियो, मुक्त विद्या वाणी** पर लाइव व्याख्यान भी सुन सकते हैं। यह एनआईओएस की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसे खोजिए और व्याख्यान सुनिए तथा इस पर आप तत्काल अपने प्रश्न पूछ सकते हैं और उनका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इसका भरपूर लाभ उठाइए। आपको प्रत्येक कदम पर एसएमएस एलर्ट मिलते रहेंगे। आप हमें टॉल फ्री नं. **1800-180-9393** पर फोन द्वारा और **lsc@nios.ac.in** पर ई-मेल द्वारा संपर्क कर सकते हैं। यदि, आप मुझसे कुछ साझा करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरी ई-मेल आई डी **cbsharma@nios.ac.in** पर लिख सकते हैं।

एक बार फिर से एनआईओएस समुदाय में आपका स्वागत है।

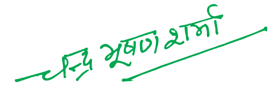

(चन्द्र भूषण शर्मा, आचार्य)
अध्यक्ष, एनआईओएस

विवरणिका
2019-20

माध्यमिक
एवं
उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम
(शैक्षिक)

विद्याधनम् सर्वधनं प्रधानम्

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान

आईएसओ 9001 : 2008 प्रमाणित

(मा.सं.वि.मं., भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था)

ए-24-25, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर-62, नोएडा-201309

NIOSHQ | @niostwit | www.nios.ac.in

शिक्षार्थी सहायता केन्द्र टॉल फ्री नंबर : 1800 180 9393, ई-मेल : lsc@nios.ac.in

एनआईओएस : विश्व में सबसे बड़ी मुक्त विद्यालयी शिक्षा प्रणाली और सीबीएसई/सीआईएससीई के समकक्ष भारत सरकार का एक परीक्षा बोर्ड

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस)
शिक्षार्थी सहायता केन्द्र (एलएससी)

एनआईओएस का मानना है और वह आशा करता है कि शिक्षार्थियों को पढ़ाई के दौरान कोई समस्या न आए और उनकी कोई शिकायत न हो। फिर भी, एनआईओएस ने ई-मेल, अंत: क्रियात्मक स्वर-अनुबोधन प्रणाली (आईवीआरएस) और टॉल फ्री नं द्वारा शिक्षार्थी संबंधी विभिन्न समस्याओं के निवारण के लिए शिक्षार्थी सहायता केन्द्र की स्थापना की है। एनआईओएस के शिक्षार्थी सहायता सेवाओं (एलएससी) की संरचना की चित्रात्मक प्रस्तुति नीचे दी गई है :-

1800 180 9393 डॉयल करें

स्वागत संदेश

हिंदी के लिए 1 दबाएँ | **अंग्रेजी के लिए 2 दबाएँ**

प्रवेश के लिए 1 दबाएँ

यदि आपने अभी तक पंजीकरण नहीं कराया तो दबाएँ :

1. प्रवेश की तिथि के लिए
2. प्रवेश शुल्क के लिए
3. प्रवेश योग्यताओं के लिए
4. विषय चुनाव के लिए

यदि आप पंजीकृत हैं तो दबाएँ :

1. प्रवेश की स्थिति जानने के लिए
2. पहचान पत्र और पाठ्यक्रम सामग्री भेजने के लिए
3. टीएमए के लिए
4. क्रेडिट स्थानांतरण और पुन: प्रवेश के लिए
5. विषय और अतिरिक्त विषय में परिवर्तन, किसी भी प्रकार के संशोधन के लिए

परीक्षा के लिए 2 दबाएँ

दबाएँ :

1. परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए
2. परीक्षा की तिथियों के लिए
3. परीक्षा केन्द्रों के लिए
4. परीक्षा केन्द्रों में परिवर्तन के लिए
5. जब चाहो तब परीक्षा से संबंधित किसी भी संशोधन के लिए

परीक्षा परिणाम के लिए 3 दबाएँ

दबाएँ :

1. माध्यमिक परीक्षा के परिणाम के लिए
2. उच्चतर माध्यमिक परीक्षा के परिणाम के लिए
3. जब चाहो तब परीक्षा के लिए
4. अंकों की पुन: जाँच के लिए
5. अंकों के लिए
6. अंक सूची/माईग्रेशन अथवा अस्थायी प्रमाणपत्र के लिए
7. दस्तावेज़ों की दूसरी प्रतियों के लिए

शैक्षिक के लिए 4 दबाएँ

दबाएँ :

1. एनआईओएस द्वारा चलाए जा रहे शैक्षिक पाठ्यक्रमों के लिए
2. एनआईओएस के प्रमाणपत्र की समकक्षता के लिए
3. पढ़ाई के माध्यम के लिए
4. नमूना प्रश्न पत्र, पाठ्यक्रम और पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र के लिए
5. विषयों के चयन के लिए
6. व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम (पीसीपी) के लिए

व्यावसायिक के लिए 5 दबाएँ

दबाएँ :

1. व्यावसायिक पाठ्यक्रमों और उनके शुल्क के लिए
2. प्रत्यायित व्यावसायिक संस्थाओं (एवीआई) के लिए
3. अध्ययन सामग्री के लिए
4. परीक्षा और मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए
5. जीवन समृद्धि पाठ्यक्रमों के लिए

जीवन कौशल के लिए 6 दबाएँ

दबाएँ :

1. शरीर संरचना की जानकारी के लिए
2. नशे से मुक्ति के लिए
3. संबंध के लिए
4. यौन रोगों के लिए

प्रत्यायन के लिए 7 दबाएँ

दबाएँ :

1. प्रोसेसिंग शुल्क के लिए
2. आवश्यक दस्तावेज़ों के लिए
3. प्रत्यायन की प्रक्रिया के लिए
4. प्रत्यायन के लिए आवेदन की स्थिति के लिए

एलएससी कार्यकारी अधिकारी से बात करने के लिए 9 दबाएँ

पिछले मेन्यू में वापस जाने के लिए * दबाएँ | **अधिकारी से बात करने के लिए 9 दबाएँ**

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान को अपनी पसंद बनाने के कारण

1. सीखने की स्वतंत्रता

एनआईओएस का मुख्य लक्ष्य 'शिक्षा वंचितों तक शिक्षा पहुँचाना'' है। एनआईओएस सीखने की स्वतंत्रता के सिद्धांत का पालन करता है, अर्थात् क्या सीखना है, कब सीखना है, कैसे सीखना है और कब परीक्षा में बैठना है, आदि का निर्णय शिक्षार्थी द्वारा किया जाता है। समय, स्थान और सीखने की गति का कोई बंधन नहीं है।

2. सुविधा

एनआईओएस निम्नलिखित सुविधाएँ देता है :

- **विषयों का चयन :** शिक्षार्थी उत्तीर्ण होने के मानदंड को ध्यान में रखते हुए दी गई सूची के अनुसार आप अपनी पसंद के विषयों का चुनाव कर सकता/सकती है।
- **प्रवेश :** शिक्षार्थी माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तरों पर विभिन्न स्ट्रीमों के अंतर्गत ऑन-लाइन प्रवेश ले सकते हैं अथवा माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम के लिए अध्ययन केन्द्रों, सुविधा केंद्रों, क्षेत्रीय केंद्रो द्वारा प्रवेश ले सकते हैं।
- **परीक्षा :** सार्वजनिक परीक्षाएँ वर्ष में दो बार आयोजित होती हैं। शिक्षार्थी को पाँच वर्षों में नौ बार परीक्षा देने के अवसर दिए जाते हैं। इस अवधि के दौरान जब भी शिक्षार्थी अच्छी तरह तैयार हो तभी परीक्षा दे सकता/सकती है। और क्रेडिट एकत्रित करने की सुविधा भी ले सकता/सकती है।
- **जब चाहो तब परीक्षा :** शिक्षार्थी जब भी पहली सार्वजनिक परीक्षा के बाद परीक्षा के लिए तैयार हो, वह नोएडा स्थित एनआईओएस मुख्यालय, नोएडा, एनआईओएस के क्षेत्रीय केंद्रों तथा पूरे भारत में 44 केंद्रीय विद्यालयों में माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर एनआईओएस की जब चाहो तब परीक्षा (ओड्स) में भी बैठ सकता/सकती है।

3. प्रासंगिकता

एनआईओएस पाठ्यक्रम और कार्यक्रम, कार्य आधारित, दिन-प्रतिदिन के जीवन में अत्यंत उपयोगी हैं और भावी पढ़ाई के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं। एनआईओएस के सफल पूर्व शिक्षार्थी आई आई टी, दिल्ली विश्वविद्यालय, जामिया हमदर्द, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, पंजाब विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय और बहुत से अन्य प्रसिद्ध और व्यावसायिक संस्थाओं में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

4. क्रेडिट स्थानांतरण

एनआईओएस पूर्व ज्ञान को महत्त्व देता है और इसी के अंतर्गत कुछ ऐसे अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य परीक्षा बोर्डों/राज्य मुक्त विद्यालयों से उत्तीर्ण किए गए अधिकतम दो विषयों के क्रेडिट स्थानांतरण की अनुमति देता है जिनके साथ एनआईओएस ने अनुबंध किया है।

5. मान्यताप्राप्त गुणात्मक शिक्षा

एनआईओएस गुणात्मक शिक्षा देने के लिए सार्थक प्रयत्न कर रहा है। भारत सरकार ने एनआईओएस को माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर सार्वजनिक परीक्षाएँ आयोजित करने और प्रमाणपत्र देने का अधिकार प्रदान किया है जो कि अन्य बोर्डों के प्रमाणपत्रों के समान है। ऐसा इसलिए क्योंकि सभी बोर्ड चाहे वे राष्ट्रीय अथवा राज्य बोर्ड हों, वे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (एनसीईआरटी) द्वारा तैयार किए गए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा का पालन कर रहे हैं। **एनआईओएस तीन राष्ट्रीय बोर्डों में से एक है, अन्य दो बोर्ड (i) केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) और (ii) भारतीय विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा परिषद् (सीआईएससीई) हैं।**

एनआईओएस और इसके कार्यक्रमों के बारे में
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

1. **एनआईओएस में प्रवेश लेने की प्रक्रिया क्या है?**

उत्तर : एनआईओएस ने माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर 100% ऑन-लाइन प्रवेश आरंभ किया है ताकि शिक्षार्थियों को अपना पंजीकरण कराने में सहायता मिल सके।

इस योजना के अंतर्गत, शिक्षार्थियों के पास तीन विकल्प हैं:

(i) वह एनआईओएस की वेबसाइट अर्थात् www.nios.ac.in पर जाकर प्रत्यक्ष रूप से स्वयं अपना पंजीकरण करा सकता/सकती है।

(ii) वह अपने निकटतम एआई (अध्ययन केन्द्र/सहायता केन्द्र) पर जाकर वहाँ ऑन-लाइन पंजीकरण के लिए उनकी सहायता ले सकता/सकती है।

(iii) वह एनआईओएस के क्षेत्रीय केन्द्रों पर जा कर ऑन-लाइन पंजीकरण के लिए उनकी सहायता ले सकता/सकती है।

(iv) शिक्षार्थी देशभर में ऑनलाइन पंजीकरण के लिए भारत सरकार के जन सेवा केन्द्र की सेवाओं का प्रयोग भी कर सकता है।

2. **माध्यमिक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए योग्यता मानदंड क्या हैं?**

उत्तर :
- ➥ कोई शिक्षार्थी जिसने आठवीं कक्षा पास की हो और उसके पास 14 वर्ष की आयु पूरी करने का वैध प्रमाणपत्र हो तो वह माध्यमिक पाठ्यक्रम में पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकता है।
- ➥ शिक्षार्थी स्व-प्रमाणपत्र देता है कि ''मैंने माध्यमिक पाठ्यक्रम करने के लिए पर्याप्त अध्ययन किया है और मैं माध्यमिक पाठ्यक्रम करने योग्य हूँ।'' देकर भी शिक्षार्थी माध्यमिक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए योग्य हो सकता है।
- ➥ कोई शिक्षार्थी जिसने माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त कर ली है वह भी अपने पाठ्यक्रम को पूरा करने या अपने अंकों में और सुधार करने के लिए एनआईओएस के माध्यमिक पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकता है।
- ➥ शिक्षार्थी का आवासीय प्रमाण।

3. **जन्म तिथि का वैध प्रमाण क्या है ?**

उत्तर : नगर निगम नगर पालिका निकाय, ग्राम पंचायत या रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु, भारत सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य निकाय द्वारा जारी जन्म तिथि प्रमाणपत्र तथा सरकारी एजेंसी द्वारा जारी आधार कार्ड एक वैध प्रमाण है। यद्यपि, अनाथ, बेघर बच्चों आदि के मामले में सरकारी अस्पतालों द्वारा जारी उनकी आयु संबंधी चिकित्सा प्रमाणपत्र को भी जन्म तिथि के वैध प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाता है।

4. **प्रवेश की वैधता अवधि क्या है?**

उत्तर : प्रवेश (एक बार पंजीकृत होने पर), प्रवेश की तिथि से अगले 5 वर्षों की अवधि तक वैध रहता है।

5. **क्या एनआईओएस शुल्क में किसी प्रकार की छूट प्रदान करता है?**

उत्तर : एनआईओएस के नियमानुसार महिलाओं तथा अ.जा./अ.ज.जा./भूतपूर्व सैनिकों तथा भिन्न रूप से अक्षम शिक्षार्थियों को शुल्क में छूट प्रदान की जाती है।

6. **क्या कोई शिक्षार्थी सीधे उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले सकता है ?**

उत्तर : जी नहीं। उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम में प्रवेश करने के लिए शिक्षार्थी को एक मान्यता प्राप्त बोर्ड से माध्यमिक पाठ्यक्रम में पास होना अनिवार्य है।

7. **उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है ?**

उत्तर : उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष है।

8. **एनआईओएस में पढ़ाई के माध्यम के रूप में कौन सी भाषाएँ उपलब्ध हैं ?**

उत्तर : एनआईओएस में माध्यमिक पाठ्यक्रम अंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू, मराठी, ओडिया, तेलुगू, गुजराती, तमिल, मलयालम और पंजाबी भाषाओं में तथा उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम अँग्रेजी, हिन्दी, ओडिया, उर्दू, गुजराती तथा बांगला माध्यम भाषाओं में उपलब्ध है।

9. **माध्यमिक पाठ्यक्रम (कक्षा-X) के लिए कौन से विषय उपलब्ध हैं ?**

उत्तर : हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, बांग्ला, ओडिया, मराठी, तेलुगु, गुजराती, कन्नड़, पंजाबी, असमिया, नेपाली, मलयालम, अरबी, फारसी, तमिल, सिंधी, गणित, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सामाजिक ज्ञान, अर्थशास्त्र, व्यवसाय अध्ययन, गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, भारतीय संस्कृति और विरासत, चित्रकला, डॉटा एन्ट्री कार्य, लेखांकन, हिंदुस्तानी संगीत, कर्नाटक संगीत, वेद अध्ययन, संस्कृत व्याकरण, भारतीय दर्शन, संस्कृत साहित्य (18 भाषाओं सहित 35 विषय)।

10. **उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम (कक्षा-XII) के लिए कौन से विषय उपलब्ध हैं ?**

उत्तर : हिन्दी, अंग्रेजी, बांग्ला, ओडिया, तमिल, उर्दू, संस्कृत, गुजराती, पंजाबी, फारसी, अरबी, मलयालम, गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, व्यवसाय अध्ययन, लेखांकन, गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, कम्प्यूटर विज्ञान, समाजशास्त्र, चित्रकला, पर्यावरण विज्ञान, जन संचार, डाटा एन्ट्री कार्य, कानून का परिचय, पुस्तकालय और सूचना विज्ञान, वेद अध्ययन, संस्कृत व्याकरण, भारतीय दर्शन, संस्कृत साहित्य, शारीरिक शिक्षा एवं योग, सेना अध्ययन, सेना का इतिहास (12 भाषाओं सहित 40 विषय)।

11. **क्या एक शिक्षार्थी अपने प्रवेश की वैधता अवधि के दौरान अपने विषयों को बदल सकता/सकती है?**

उत्तर : जी हां। शिक्षार्थी अपने एक या अधिक विषयों को बदल सकता है बशर्ते उसके विषयों की कुल संख्या सात से अधिक नहीं होनी चाहिए। तथापि, इस प्रकार के परिवर्तन की अनुमति पंजीकरण से चार वर्ष के भीतर ही है, ताकि शिक्षार्थी प्रवेश की वैधता अवधि के भीतर सार्वजनिक

परीक्षा में बैठ सके। प्रथम परीक्षा में विषयों में किसी प्रकार के परिवर्तन/संवर्धन की अनुमति नहीं है। उत्तीर्ण किए जा चुके विषयों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।

12. **उत्तीर्ण प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए कितने विषय अपेक्षित हैं ?**

उत्तर : माध्यमिक स्तर पर उत्तीर्ण प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए, शिक्षार्थी को एक या अधिकतम दो भाषाओं के साथ अधिकतम पांच विषयों में उत्तीर्ण होना आवशयक है।

13. **क्या शिक्षार्थी अतिरिक्त विषयों में भी प्रवेश ले सकता है ?**

उत्तर : जी हां, शिक्षार्थी दो अतिरिक्त विषय चुन सकता है। इस प्रकार, वह अधिकतम सात विषय ले सकता है।

14. **पंजीकरण और परीक्षा के लिए प्रवेश शुल्क कितना है?**

उत्तर : पंजीकरण और परीक्षा के लिए नवीनतम शुल्क की रूपरेखा एनआईओएस की वेबसाइट और विवरणिका में भी उपलब्ध है।

15. **क्या एक शिक्षार्थी एक स्कूली शिक्षा को औपचारिक बोर्ड से माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण होने के पश्चात एनआईओएस के माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त कर सकता है?**

उत्तर : जी हां। यदि शिक्षार्थी ने किसी राष्ट्रीय/राज्य बोर्ड से माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम की शिक्षा प्राप्त की है और वह एनआईओएस में समान पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करना चाहता है तो इसे एनआईओएस में चार विषयों के साथ प्रवेश प्राप्त हो सकता है। इस पाठ्यक्रम को पूरा करने के पश्चात शिक्षार्थी को केवल अंक तालिका प्रदान की जाएगी। दोहरी/आंशिक प्रवेश योजना के अंतर्गत प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाता है।

16. **शिक्षार्थी को उसके प्रवेश की पुष्टि किस प्रकार प्राप्त होगी?**

उत्तर : एक पाठ्यक्रम विशेष में प्रवेश की पुष्टि सामान्यत: एनआईओएस द्वारा एक पहचान पत्र जारी करके होती है जिसमें एनआईओएस के पास उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर शिक्षार्थी के प्रवेश संबंधी विवरण होते हैं। प्रवेश की पुष्टि के बाद शिक्षार्थी को उसकी नामांकन संख्या के बारे में भी सूचित किया जाता है।

17. **शिक्षार्थी को स्व-अध्ययन सामग्री कैसे प्राप्त होगी?**

उत्तर : विभिन्न विषयों के लिए विशेष रूप से तैयार की गई मुद्रित स्व-अध्ययन सामग्री अन्य सहायक सामग्री सहित डाक द्वारा शिक्षार्थी के घर के पते पर भेजी जाती है। अत: शिक्षार्थी अपने घर का सही और पूरा पता दें।

18. **यदि शिक्षार्थी को इस सामग्री का पार्सल प्राप्त नहीं होता है तो वह स्वयं किस प्रकार यह अध्ययन सामग्री प्राप्त कर सकता है?**

उत्तर : यदि अध्ययन सामग्री का पार्सल शिक्षार्थी के पास नहीं पहुंचता है तो उसे वह अपने आवास पर अध्ययन सामग्री के पुन: प्रेषण के लिए उप निदेशक, सामग्री वितरण इकाई, सीडब्ल्यूसी, जी.टी. करनाल रोड, राणा प्रताप बाग, दिल्ली-110033 को रु. 100/- (एक सौ रुपए केवल) का डिमांड ड्रॉफ्ट भेज सकता है और यह डिमांड ड्रॉफ्ट सचिव, एनआईओएस के पक्ष में और दिल्ली में देय होगा।

19. **क्या प्रवेश रिकॉर्ड में संशोधन किए जाने का कोई प्रावधान है?**

उत्तर : चूंकि प्रवेश 100% ऑन लाइन है, इसलिए शिक्षार्थियों से आवेदन फार्म में ध्यान से प्रविष्टियाँ करने का अनुरोध किया जाता है। फिर भी एनआईओएस की वेबसाइट पर दिए गए निर्देशानुसार सुधार किया जाएगा।

20. **क्या एनआईओएस पहचान पत्र की दूसरी प्रति जारी करता है?**

उत्तर : जी हाँ, पहचान पत्र खो जाने की स्थिति में, संबंधित पुलिस स्टेशन में इसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज कराने के पश्चात पहचान पत्र की दूसरी प्रति जारी की जाती है। पहचान पत्र की दूसरी प्रति प्राप्त करने के लिए सबसे पहले संबंधित पुलिस स्टेशन में एफआईआर (प्रथम सूचना रिपोर्ट) दर्ज कराएँ। ई-सेवा द्वारा ऑनलाइन आवेदन कर और शिक्षार्थी एफआईआर की मूल स्कैन की गई प्रति अपलोड करें और रु. 100/- का शुल्क ऑनलाइन माध्यम से भुगतान करें। दूसरी बार पहचान पत्र की दूसरी प्रति प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थी को रु. 500/- का शुल्क देना होगा।

21. **क्या शिक्षार्थी कोई भी विषय संयोजन चुन सकता है?**

उत्तर : जी हाँ, शिक्षार्थी उत्तीर्ण होने का मानदंड और प्रमाणन मानदंड के साथ-साथ आगे की शिक्षा के लिए अन्य बोर्डों/विश्वविद्यालयों की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखते हुए एनआईओएस की वेबसाइट और विवरणिका पर दी गई सूची से अपनी पसंद के विषय चुन सकता/सकती है।

22. **क्या शिक्षार्थी माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर शैक्षिक पाठ्यक्रमों के साथ व्यावसायिक विषय ले सकता है?**

उत्तर : जी हाँ। एनआईओएस के पाठ्यक्रमों को और अधिक सार्थक बनाने के लिए माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तरों पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी स्वतंत्र रूप से या शैक्षिक विषयों के साथ चलाए जाते हैं।

23. **क्या भारत सरकार के जन सेवा केंद्र एनआईओएस के सहायता केंद्रों के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत हैं?**

उत्तर : जी हाँ। एनआईओएस ने सीएससी ई-गवर्नेंस इंडिया ज्ञापन सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस एमओयू के अंतर्गत देश भर के सभी जन सेवा केंद्र एनआईओएस के सहायता केंद्रों के रूप में वहाँ कार्य करेंगे जहां कोई भी भावी शिक्षार्थी निर्धारित दरों पर एनआईओएस की विभिन्न ऑनलाइन सुविधाएं ले सकते हैं।

शिक्षार्थी को इन दरों के अनुसार राशि का भुगतान करना होगा और यह राशि एनआईओएस के पंजीकरण शुल्क के अतिरिक्त होगी।

शिक्षार्थी की जिम्मेदारियाँ : एक नज़र

- **विवरणिका में दिए गए निर्देशों को ठीक से पढ़े** बिना आवेदन फॉर्म न भरें।
- आवेदन–फॉर्म में कोई भी **कॉलम खाली** न छोड़ें।
- **सहायक कागजात अपलोड किए** बिना प्रवेश के लिए आवेदन–फॉर्म जमा न करें।
- **ऐसी झूठी एजेंसियों के बहकावे में नहीं आएँ जो उत्तीर्ण कराने का झूठा वादा करती हैं।**
- क्रेडिट स्थानांतरण (टीओसी) के लिए आवेदन करते हुए मूल अंक सूची संलग्न करना न भूलें।
- **जैसा कि प्रवेश के लिए आवेदन फॉर्म में भी लिखा गया है प्रवेश तथा परीक्षा के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक राशि किसी को न दें।**
- अपने अध्ययन केन्द्र में आयोजित होने वाली प्रत्येक विषय में **व्यक्तिगत सम्पर्क कक्षाओं (पीसीपी) में अवश्य भाग लें जिन्हें सभी एआई को अनिवार्य तौर पर आयोजित कराना होता है।**
- अपने मूल्यांकन कार्य (टीएमए) अपने अध्ययन केंद्र पर समय पर अवश्य जमा करें।
- नकल करने, अपने स्थान पर दूसरे व्यक्ति से परीक्षा दिलाने जैसे **अनुचित साधनों के उपयोग में लिप्त न हों।**
- कृपया नोट करें की परीक्षा शुल्क भी केवल ऑनलाइन अध्ययन से ही जमा किया जाएगा।
- एसएमएस अलर्ट्स के लिए अपनी कार्य कर रही **ई-मेल आईडी** और **मोबाइल नंबर** दें।

वर्ष 2019–20 में स्ट्रीम-I के ब्लॉक-I और ब्लॉक-II में प्रवेश लेने वाला शिक्षार्थी पहली बार वर्ष 2020 में क्रमशः अप्रैल-मई और अक्तूबर-नवंबर में ही परीक्षा दे सकेगा।

शिक्षार्थी एनआईओएस के बारे में अधिकांश जानकारी, जिसकी अपनी पढ़ाई के दौरान उसे आवश्यकता हो सकती है, एनआईओएस वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।

कृपया **www.nios.ac.in**

पर लॉग ऑन करें।

जब भी शिक्षार्थी एनआईओएस अध्ययन केन्द्र अथवा संबंधित क्षेत्रीय केन्द्र को पत्र लिखें, कृपया अपना नाम, अपनी नामांकन संख्या और अपना पूरा पता अवश्य लिखें।

विषय-सूची

1. एनआईओएस : एक अनोखी विद्यालयी शिक्षा प्रणाली 1-5

- 1.1 एनआईओएस में विशेषताएँ तथा सहूलियतें
- 1.2 कार्यक्रम, पाठ्यक्रम और मार्ग
- 1.3 अध्ययन योजना
- 1.4 व्यावसायिक एवं शैक्षिक विषयों का संयोजन

2. प्रवेश 6-22

- 2.1 ऑन-लाइन प्रवेश की प्रकिया
- 2.2 सीधे शिक्षार्थियों द्वारा ऑनलाइन प्रवेश की प्रक्रिया
- 2.3 आरसी/सीएससी के माध्यम से ऑनलाइन प्रवेश की प्रक्रिया
- 2.4 प्रवेश आवश्यकताएँ
- 2.5 एनआईओएस के पूर्व-शिक्षार्थियों का पुन: प्रवेश
- 2.6 क्रेडिट स्थानांतरण (टीओसी)
- 2.7 दोहरा नामांकन और आंशिक प्रवेश
- 2.8 प्रवेश के लिए शुल्क का विवरण
- 2.9 प्रवेश की पुष्टि
- 2.10 प्रवेश के बाद ई-सेवा द्वारा अन्य सुविधाएँ
- 2.11 एआई/अध्ययन केन्द्र के बारे में
- 2.12 प्रवेश रिकॉर्ड में संशोधन की प्रक्रिया

3. एनआईओएस में अध्ययन प्रक्रिया 23-25

- 3.1 स्व-अध्ययन सामग्री
- 3.2 व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम (पीसीपी)
- 3.3 ऑडियो और वीडियो कार्यक्रम
- 3.4 मुक्त विद्या वाणी
- 3.5 शिक्षक अंकित मूल्यांकन कार्य (टीएमए)
- 3.6 प्रकार-2, 3 तथा 4 के अंतर्गत ऑन-लाइन प्रवेश

4. मूल्यांकन प्रणाली 26-34

- 4.1 सार्वजनिक परीक्षाएं
- 4.2 जब चाहो तब परीक्षा प्रणाली (ओड्स)
- 4.3 पास विषयों के अंकों को एकत्र करना
- 4.4 अंकों की स्थिति में सुधार
- 4.5 अंक सूची और प्रमाणपत्र जारी करना
- 4.6 प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए मानदण्ड
- 4.7 परीक्षा योजना
- 4.8 उत्तरपुस्तिका की पुन: जाँच
- 4.9 अनुचित साधन
- 4.10 शिक्षा का स्तर और मान्यता
- 4.11 सार्वजनिक/जब चाहो तब परीक्षा के परिणामों में संशोधन की प्रक्रिया
- 4.12 एनआईओएस के शिक्षार्थियों के लिए पुरस्कार और वजीफे

5. शिक्षक अंकित मूल्यांकन कार्य (टीएमए) 35-36

6. एनआईओएस परीक्षाओं के दौरान सामान्य तथा विशेष प्रावधान (अक्षमतानुसार) 37-42

- 6.1 प्रक्रिया संबंधी आवश्यकताएँ
- 6.2 सामान्य प्रावधान
- 6.3 विशेष प्रावधान

परिशिष्ट

परिशिष्ट क :	एनआईओएस के क्षेत्रीय केन्द्रों की सूची	43
परिशिष्ट ख:	विभिन्न राज्यों में जन सेवा केंद्रों के नामों की सूची (सीएससी)	46
परिशिष्ट ग :	मा.सं.वि.मं. द्वारा एनआईओएस के ओबीई कार्यक्रमों को मान्यता देने वाले पत्र की प्रति	47
परिशिष्ट घ :	मा.सं.वि.मं. द्वारा एनआईओएस को परीक्षा लेने और प्रमाणपत्र प्रदान करने के अधिकार प्रदान करने वाले संकल्प की प्रति	48
परिशिष्ट ङ.:	एनआईओएस प्रमाणपत्रों की समकक्षता के संबंध में भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा जारी परिपत्र की प्रति	49
परिशिष्ट च :	भारतीय भेषजी परिषद् द्वारा जारी परिपत्र की प्रति	50
परिशिष्ट छ :	भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा जारी परिपत्र की प्रति	51
परिशिष्ट ज :	सेना मुख्यालय कमांड और एनआईओएस क्षेत्रीय केंद्रों का क्षेत्राधिकार	52

NIOS का है ये सपना, शिक्षित हो देश यह अपना

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान

- 4.3 मिलियन (पिछले पांच वर्षों से) संचयी नामांकन के साथ विश्व की सबसे बड़ी मुक्त विद्यालयी शिक्षा प्रणाली है।
- वर्ष 1991 से माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक और व्यावसायिक स्तर पर 3.85 मिलियन शिक्षार्थियों को प्रमाणपत्र दिए गए।
- वर्ष 2018-19 के दौरान विभिन्न पाठ्यक्रमों में 5 लाख से अधिक शिक्षार्थियों ने प्रवेश लिया।
- देशभर में तथा विदेशों में फैले 23 क्षेत्रीय केन्द्रों, दो उप क्षेत्रीय केन्द्रों, दो एनआईओएस प्रकोष्ठों तथा 7400 से अधिक अध्ययन केंद्रों (एआई/एवीआई) के नेटवर्क के माध्यम से सभी तक पहुँचता है।
- स्व-अध्ययन मुद्रित सामग्री, ऑडियो, वीडियो और एआई पर व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम का उपयोग करते हुए दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से शिक्षा प्रदान करता है। साथ ही रेडियो प्रसारणों, टी.वी. कार्यक्रमों, मुक्त विद्या वाणी (एनआईओएस वेबसाइट पर इंटरनेट द्वारा ऑडियो स्ट्रीमिंग) की भी सहायता ली जाती है।

1 एनआईओएसः एक अनोखी विद्यालयी शिक्षा प्रणाली

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) की स्थापना सन् 1989 में एक स्वायत्त संस्था के रूप में भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय के रूप में की गई। यह ऐसे लोगों को शिक्षा के अवसर प्रदान करता है जो आगे पढ़ना चाहते हैं और उत्तीर्ण होकर बेहतर भविष्य बनाना चाहते हैं। एनआईओएस का मिशन ''सबको शिक्षा'' प्रदान करना है तथा बालिकाओं और महिलाओं, ग्रामीण युवाओं, कामकाजी पुरुषों एवं महिलाओं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अक्षम व्यक्तियों और अन्य सुविधा वंचित वर्गों को शिक्षित करना इसकी विशेष प्राथमिकता है, जो किसी न किसी कारण से औपचारिक शिक्षा प्रणाली द्वारा पढ़ नहीं पाए हैं। एनआईओएस का उद्देश्य शिक्षा वंचितों तक पहुँचना है। एनआईओएस ने भारतभर में जेलों में अध्ययन केन्द्र स्थापित करके और शुल्क में पूर्ण रूप से छूट देकर, जेल के कारावासियों को शिक्षित करने विशेष नवाचार किए हैं। एनआईओएस तेईस क्षेत्रीय केन्द्रों, दो उप क्षेत्रीय केन्द्रों, दो एनआईओएस प्रकोष्ठों, सात हजार चार सौ से अधिक प्रत्यायित संस्थाओं (एआई) तथा प्रत्यायित व्यावसायिक संस्थाएँ (एवीआई) के एक नेटवर्क के माध्यम से कार्य करता है, इन एआई और एवीआई को सामान्यतः अध्ययन केंद्रों के रूप में जाना जाता है। ये केंद्र भारत, नेपाल तथा मध्य पूर्व के देशों में स्थित हैं। शैक्षिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश केवल ऑन-लाइन माध्यम से किया जाता है।

1.1 एनआईओएस में विशेषताएँ तथा सहूलियतें

- **आयु सीमा :** प्रवेश के लिए कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है। फिर भी माध्यमिक पाठ्यक्रम में नामांकन के लिए न्यूनतम आयु 14 वर्ष और उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम के लिए 15 वर्ष होनी चाहिए जैसा कि **तालिका-3** में प्रवेश आवश्यकताओं में दी गई जानकारी में दर्शाया गया है।
- **अध्ययन के माध्यमों का विकल्प :**
  - माध्यमिक स्तर पर हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, मराठी, तेलुगू, गुजराती, मलयालम, तमिल, ओडिया और पंजाबी माध्यम उपलब्ध हैं।
  - उच्चतर माध्यमिक स्तर पर हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, बांग्ला, गुजराती और ओडिया माध्यम उपलब्ध हैं।

नोट : **तालिका-1 में दी गई अध्ययन योजना में ''भारतीय ज्ञान परंपरा'' शीर्षक के अंतर्गत आने वाले विषय माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर केवल संस्कृत में उपलब्ध हैं।**

- **विषयों का चयन :** शिक्षार्थी **तालिका-1 में दी गई अध्ययन की योजना** में दिए गए मानदंड के अनुसार विषयों की सूची में से किसी भी विषय संयोजन का चयन कर सकता है।

नोट

शिक्षार्थी विचार करे और अपने उच्च अध्ययन, विशेष नौकरियों, संबंधित बोर्ड की आवश्यकताओं आदि की योजनाओं को ध्यान में रखते हुए अपने विषयों का चयन करे।

यदि शिक्षार्थी उच्च अध्ययन के लिए एनआईओएस प्रमाणपत्र का प्रयोग करना चाहता है तो यह उसके हित में होगा कि वह एनआईओएस से माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करके जिन बोर्डों/विश्वविद्यालयों में जाना चाहता/चाहती हैं, उसकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखे। कुछ बोर्ड/विश्वविद्यालय अपनी सम्बद्ध संस्थाओं में प्रवेश के लिए विशेष विषय संयोजन चाहते हैं। उदाहरण के लिए, मेडिकल पाठ्यक्रम के लिए बहुत से संस्थान यह चाहेंगे कि शिक्षार्थी रसायन विज्ञान, भौतिकी और जीव विज्ञान/जीव प्रौद्योगिकी के संयोजन के साथ-साथ दो भाषाओं में उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण हों। ऐसै शिक्षार्थी जो एनआईओएस की दसवीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ग्यारहवीं कक्षा में औपचारिक विद्यालय बोर्ड में प्रवेश लेना चाहते हैं, वे ऐसे विषय संयोजन (5 अथवा 6 विषय जैसा भी मामला हो) चुन सकते हैं जो इस प्रकार के औपचारिक विद्यालय बोर्ड द्वारा एनआईओएस के अधिकारों से भेदभाव किए बिना स्वीकार्य होते हैं।

- **अतिरिक्त विषय :** यदि शिक्षार्थी चाहता है अथवा आवश्यक हो तो शिक्षार्थी के पास प्रवेश के वक्त अथवा अध्ययन के दौरान एक अथवा दो अतिरिक्त विषय चुनने का विकल्प है।

- **शैक्षिक और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का संयोजन :** एनआईओएस पाठ्यक्रमों को अधिक सार्थक बनाने के लिए, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर बहुत से व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को शैक्षिक विषयों के साथ संयोजित करके चलाया जा रहा है **(तालिका-2 देखें)। इन व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रत्यायित व्यावसायिक संस्थाओं (एवीआई) से लिया जा सकता है।** अधिक विवरण के लिए, कृपया व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की विवरणिका पढ़ें।

- **निरंतर मूल्यांकन :** पढ़ाई के दौरान, शिक्षक अंकित मूल्यांकन कार्यों (टीएमए) तथा व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रमों (पीसीपी) द्वारा प्रगति के बारे में जानकारी देने के लिए आंतरिक मूल्यांकन किया जाता है।

- **प्रवेश की सुविधाजनक योजना :** शिक्षार्थी विभिन्न स्ट्रीमों के अंतर्गत ऑन-लाइन अथवा अपनी पसंद के निकट स्थित अध्ययन केन्द्र/एनआईओएस प्राधिकृत सहायता केन्द्र/सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के सामान्य सेवा केन्द्र से संपर्क करके प्रवेश ले सकता है।

- **परीक्षा की सुविधाजनक योजना: एनआईओएस वर्ष में दो बार सार्वजनिक परीक्षाएँ आयोजित करता है। शिक्षार्थी को पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए परीक्षा में बैठने के लिए कुल पाँच वर्षों में नौ अवसर मिलते हैं। फिर भी, शिक्षार्थी अपना मूल्यांकन कराने और प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसी एक का चयन कर सकता/सकती है :-**

  – एनआईओएस द्वारा आयोजित वर्ष में दो बार सार्वजनिक परीक्षाएँ

  – जब चाहो तब परीक्षा प्रणाली (ओड्स)

  – सार्वजनिक परीक्षा द्वारा कुछ विषय तथा अन्य विषयों में ओड्स।

- **क्रेडिट संचयन :** शिक्षार्थी एक परीक्षा में किसी भी एक अथवा अधिक विषयों में बैठ सकता है और अंतिम प्रमाणपत्र के लिए पाँच वर्षों की पंजीकरण अवधि में सभी विषयों में उत्तीर्ण होने तक क्रेडिट ले सकता है।

- **क्रेडिट स्थानांतरण :** शिक्षार्थी मान्यताप्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्डों से उत्तीर्ण किए गए अधिकतम दो विषयों के अंक स्थानांतरित करा सकते हैं, बशर्ते वे विषय एनआईओएस की अध्ययन योजना में भी उपलब्ध हों और उनके परिणाम संबंधित बोर्ड की वेबसाइट से सत्यापित किए गए हों। **भाग 2.6** में दी गई शर्तों के अनुसार क्रेडिट स्थानांतरण दिया गया है।

- **प्रवेश की वैधता : शिक्षार्थी का प्रवेश पांच वर्षों के लिए वैध है। माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर सार्वजनिक परीक्षा के लिए शिक्षार्थी पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए प्रवेश की वैध अवधि के दौरान अधिकतम नौ या उससे कम अवसर ले सकता है।**

- **आंशिक प्रवेश :** इस योजना के अंतर्गत, शिक्षार्थी एक या एक से अधिक लेकिन अधिकतम चार विषयों में ही प्रवेश ले सकता है। उत्तीर्ण होने पर शिक्षार्थी को अंक सूची ही दी जाएगी।

- **वंचित समूहों के लिए शिक्षा :** शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से अक्षम, सामाजिक तथा भौगोलिक दृष्टि से अलग-थलग पड़ जाने वाले एवं वंचित वर्गों, जैसे- फुटपाथ पर रहने वाले बच्चे, काम करने वाले बच्चे, ग्रामीण महिलाओं की विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एनआईओएस ने विशेष प्रत्यायित संस्थाएँ स्थापित की हैं, जिन्हें वंचितों की शिक्षा के लिए विशेष प्रत्यायित संस्थाएँ (एसएआईईडी) कहा जाता है।

- **जेल के कारावासियों को अवसर : जेल के कारावासियों को जेल से छूटने के बाद आजीविका कमाने में मदद करने के लिए और मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, एनआईओएस ने भारत भर में जेलों में अपने अध्ययन केन्द्र स्थापित किए हैं। जेल के कारावासियों को पूर्ण रूप से शुल्क (प्रवेश और परीक्षा शुल्क) में छूट दी गई है।**

1.2 कार्यक्रम, पाठ्यक्रम और मार्ग

एनआईओएस निम्नलिखित पाठ्यक्रम और कार्यक्रम चलाता है :

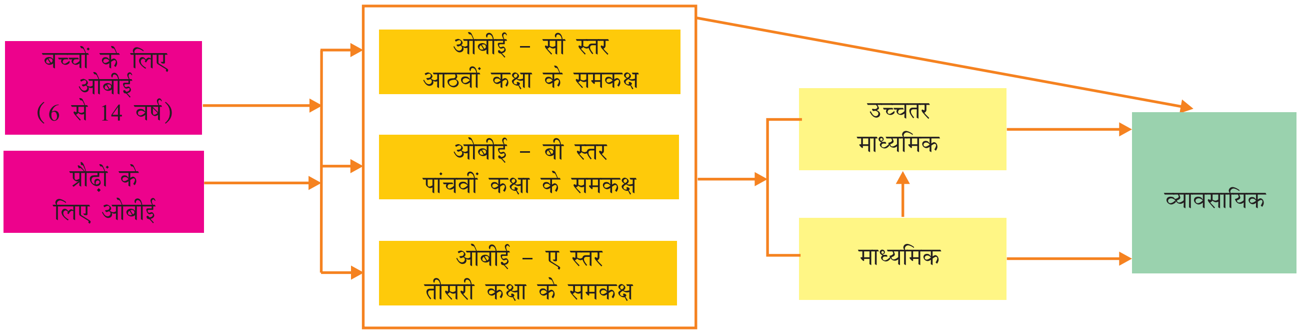

1.2.1 एनआईओएस वर्चुअल मुक्त विद्यालयी शिक्षा

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान ने वर्ष 2014-15 के दौरान शिक्षार्थियों की शिक्षा एवं कौशल विकास के लिए ऑन लाइन पाठ्यक्रमों के माध्यम से शिक्षार्थियों की सहायता के लिए वर्चुअल मुक्त विद्यालयी शिक्षा (वीओएस) आरंभ की। वर्चुअल मुक्त विद्यालयी शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत शिक्षार्थियों को किसी पाठ्यक्रम का ऑनलाइन अध्ययन करने और प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए क्रेडिट लेने का अवसर मिलता है।

एनआईओएस के वीओएस मंच पर एक अधिगम प्रबंधन प्रणाली (एलएमएस) है जो वीडियो सम्मेलन, ऑनलाइन मूल्यांकन इत्यादि के माध्यम से शिक्षार्थियों एवं शिक्षकों के बीच ऑन लाईन प्रवेश के संबंध में, विचार-विमर्श मंच, ब्लॉग्स, ऑन लाईन कक्षाओं के माध्यम से सीधे संपर्क रखती है।

वर्चुअल मुक्त विद्यालयी शिक्षा (वीओएस) के निम्नलिखित लाभ हैं :-

- ऑन लाइन प्रवेश, ऑन लाईन विषयवस्तु, ऑन लाईन मूल्यांकन कार्य जमा करना, ऑन लाइन कक्षाएँ तथा ऑन लाइन परीक्षा
- लचीलापन : कहीं भी, कभी भी शिक्षा प्राप्त करना,
- उच्च गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्राप्त करना : गुणी शिक्षकों एवं मित्र समूहों से संपर्क, सहयोग में बढ़ोतरी
- सशक्त नवाचार : यह शिक्षा प्राप्त करने के अवसर बढ़ाता है।

इस समय, एनआईओएस वीओएस के अंतर्गत दो व्यावसायिक पाठ्यक्रम चला रहा है :

1. आईसीटी एप्लीकेशन्स में प्रमाणपत्र
2. ग्रामीण प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा

अधिक जानकारी के लिए कृपया : **http://vos.nios.ac.in/niosvirtual/VOSProgrammeGuide.pdf** लिंक से वीओएस प्रोग्राम गाइड डाउनलोड करें।

अद्यतन जानकारी के लिए, कृपया एनआईओएस वीओएस वेबसाइट : **http://vos.nios.ac.in** समय-समय पर देखते रहें।

1.3 अध्ययन योजना

एनआईओएस के माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रमों के लिए अध्ययन योजना **तालिका -1** में दी गई है। परीक्षा पास करके प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थी को **कम से कम पाँच विषयों** में पास होना जरूरी है **जिनमें समूह 'क' में से एक अथवा अधिकतम दो भाषाएं हों तथा अन्य तीन या चार विषय समूह 'ख' में से हों**। हालाँकि शिक्षार्थी दो अतिरिक्त विषय लेने के लिए स्वतंत्र है। इस प्रकार वह अधिकतम सात विषय चुन सकता/सकती है।

तालिका 1 : शैक्षिक पाठ्यक्रमों के लिए अध्ययन की योजना

माध्यमिक स्तर

क्र.सं.	कोड	विषय	
समूह 'क'			
1.	(201)	हिंदी	
2.	(202)	अंग्रेजी	
3.	(206)	उर्दू	
4.	(209)	संस्कृत	
5.	(203)	बंगाली	इन विषयों की परीक्षा एक ही दिन और एक ही समय आयोजित की जाएगी।
6.	(204)	मराठी	
7.	(205)	तेलुगू	
8.	(207)	गुजराती	
9.	(208)	कन्नड़	
10.	(210)	पंजाबी	
11.	(228)	असमिया	
12.	(231)	नेपाली	
13.	(232)	मलयालम	
14.	(233)	ओडिया	
15.	(235)	अरबी	
16.	(236)	फारसी	
17.	(237)	तमिल	
18.	(238)	सिंधी	
समूह 'ख'			
1.	(211)	गणित*	
2.	(212)	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी*	
3.	(213)	सामाजिक विज्ञान	
4.	(214)	अर्थशास्त्र	
5.	(215)	व्यवसाय अध्ययन	
6.	(216)	गृह विज्ञान*	
7.	(222)	मनोविज्ञान	
8.	(223)	भारतीय संस्कृति एवं विरासत	
9.	(224)	लेखांकन	
10.	(225)	चित्रकला*	
11.	(229)	डाटा एंट्री कार्य*	
12.	(242)	हिंदुस्तानी संगीत*	
13.	(243)	कर्नाटक संगीत*	
14.	(245)	वेद अध्ययन#	भारतीय ज्ञान परम्परा#
15.	(246)	संस्कृत व्याकरण#	
16.	(247)	भारतीय दर्शन#	
17.	(248)	संस्कृत साहित्य#	

- ➡ पाँच विषय, जिनमें से समूह "क" से एक अथवा दो भाषाएँ और समूह "ख" से शेष विषय।
- ➡ दोनों समूहों में से किसी समूह से भी दो अतिरिक्त विषय लिए जा सकते हैं। एनआईओएस के नियमानुसार अतिरिक्त शुल्क के साथ।

उच्चतर माध्यमिक स्तर

क्र.सं.	कोड	विषय	
समूह 'क'			
1.	(301)	हिंदी	
2.	(302)	अंग्रेजी	
3.	(306)	उर्दू	
4.	(309)	संस्कृत	
5.	(307)	गुजराती	इन विषयों की परीक्षा एक ही दिन और एक ही समय आयोजित की जाएगी।
6.	(303)	बंगाली	
7.	(304)	तमिल	
8.	(305)	ओडिया	
9.	(310)	पंजाबी	
10.	(341)	अरबी	
11.	(342)	फारसी	
12.	(343)	मलयालम	
समूह 'ख'			
1.	(311)	गणित	
2.	(321)	गृह विज्ञान*	
3.	(328)	मनोविज्ञान	
4.	(316)	भूगोल*	
5.	(318)	अर्थशास्त्र	
6.	(319)	व्यवसाय अध्ययन	
7.	(332)	चित्रकला*	
8.	(336)	डाटा एंट्री कार्य*	
9.	(345)	वेद अध्ययन #	भारतीय ज्ञान परम्परा#
10.	(346)	संस्कृत व्याकरण #	
11.	(347)	भारतीय दर्शन #	
12.	(348)	संस्कृत साहित्य #	
समूह 'ग'			
13.	(312)	भौतिकी*	इन विषयों की परीक्षा एक ही दिन और एक ही समय आयोजित की जाएगी।
14.	(315)	इतिहास	
15.	(333)	पर्यावरण विज्ञान*	
16.	(339)	पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान*	
समूह 'घ'			
17.	(313)	रसायन विज्ञान*	इन विषयों की परीक्षा एक ही दिन और एक ही समय आयोजित की जाएगी।
18.	(317)	राजनीति विज्ञान	
19.	(335)	जन संचार*	
20.	(374)	सेना अध्ययन	
समूह 'ड.'			
21.	(314)	जीव विज्ञान*	इन विषयों की परीक्षा एक ही दिन और एक ही समय आयोजित की जाएगी।
22.	(320)	लेखांकन	
23.	(338)	कानून का परिचय	
24.	(375)	सेना का इतिहास	
समूह 'च'			
25.	(330)	कम्प्यूटर विज्ञान*	इन विषयों की परीक्षा एक ही दिन और एक ही समय आयोजित की जाएगी।
26.	(331)	समाजशास्त्र	
27.	(337)	पर्यटन	
28.	(373)	शारीरिक शिक्षा एवं योग*	

- ➡ समूह क से एक अथवा दो भाषाओं सहित पांच विषय और शेष विषय समूह ख, ग, घ, ड. और च (ग, घ, ड. और च के प्रत्येक समूह से केवल एक विषय)
- ➡ किसी समूह से केवल दो अतिरिक्त विषय लिए जा सकते हैं। (ग, घ, ड. और च के प्रत्येक समूह से केवल एक विषय) एनआईओएस के नियमानुसार अतिरिक्त शुल्क के साथ।

प्रमाणपत्र में ''भारतीय ज्ञान परम्परा'' का उल्लेख माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक स्तर पर संस्कृत भाषा विषय के साथ उपर्युक्त चार विषय सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर किया जाएगा। ये विषय केवल संस्कृत माध्यम में उपलब्ध हैं।

नोट : 1. * वाले विषयों में सिद्धांत एवं प्रयोग दोनों हैं।
नोट : 2. शिक्षार्थी, ग, घ, ड. और च में प्रत्येक समूह में से केवल एक विषय चुन सकता है।

1.4 व्यावसायिक और शैक्षिक विषयों का संयोजन

माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम में प्रवेश लेते हुए शिक्षार्थी **तालिका-2** में सूचीबद्ध ऐसे पृथक् रूप से लिए जाने वाले व्यावसायिक विषयों में से कोई एक विषय ले सकता है, जो **तालिका-1 समूह 'ख'** में नहीं दर्शाए गए हैं। इस प्रकार के विषय के लिए किसी एवीआई पर प्रवेश लेना होगा। एवीआई संबंधी जानकारी www.nios.ac.in से प्राप्त की जा सकती है। शिक्षार्थी के अनुरोध पर विषय में प्राप्त अंक माध्यमिक अथवा उच्चतर माध्यमिक परीक्षा की अंकसूची में स्थानांतरित कर दिए जाएँगे। इसके लिए सादे कागज पर एनआईओएस के निदेशक (मूल्यांकन) के नाम आवेदन फॉर्म तथा दस्तावेज़ के साथ माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक स्तर की मूल अंक सूची एवं व्यावसायिक शिक्षा परीक्षा की अंक सूची की फोटोकॉपी संलग्न करें।

तालिका 2 : ऐसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की सूची जिन्हें शैक्षिक पाठ्यक्रमों के संयोजन में चलाया जा रहा है

माध्यमिक स्तर

क्र.सं.	कोड	विषय	क्र.सं.	कोड	विषय
1.	(217)	टंकण (हिंदी)	6.	(254)	बायो-गैस टेक्नीशियन
2.	(218)	टंकण (अंग्रेजी)	7.	(255)	लॉण्ड्री सेवाएँ
3.	(221)	टंकण (उर्दू)	8.	(256)	बेकरी एवं कन्फेक्शनरी
4.	(252)	बढ़ईगिरी	9.	(257)	वेल्डिंग प्रौद्योगिकी
5.	(253)	सौर ऊर्जा तकनीशियन			

उच्चतर माध्यमिक स्तर

क्र.सं.	कोड	विषय	क्र.सं.	कोड	विषय
1.	(322)	टंकण (हिंदी)	10.	(355)	इलेक्ट्रोप्लेटिंग
2.	(323)	टंकण (अंग्रेजी)	11.	(356)	गृह व्यवस्था
3.	(324)	आशुलिपि (हिंदी)	12.	(357)	कैटरिंग प्रबंधन
4.	(325)	आशुलिपि (अंग्रेजी)	13.	(358)	खाद्य संसाधन
5.	(326)	सचिवीय पद्धति	14.	(360)	होटल स्वागत कार्यालय संचालन
6.	(329)	आशुलिपि (उर्दू)	15.	(361)	मुर्गी पालन
7.	(364)	टंकण (उर्दू)	16.	(362)	मृदा और खाद प्रबंधन
8.	(351)	पौध संरक्षण	17.	(363)	फलों और सब्जियों का अनुरक्षण
9.	(354)	फर्नीचर और कैबिनेट निर्माण			

महत्वपूर्ण सूचना

जहाँ तक एनआईओएस द्वारा जारी प्रमाणपत्रों का संबंध है, वे उच्चतर शिक्षा, सरकारी नौकरियों और अन्य सभी उद्देश्यों के लिए स्वीकार किए जाते हैं। साथ ही एनआईओएस द्वारा जारी प्रमाणपत्र सभी राष्ट्रीय/राज्य बोर्डों और विश्वविद्यालयों द्वारा स्वीकार किए जाते हैं। यद्यपि, कुछ मामलों में विभिन्न बोर्डों/विश्वविद्यालयों ने अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर एक योग्यता मानदंड निश्चित किया है। अतः एनआईओएस में प्रवेश लेने वाले शिक्षार्थी विभिन्न बोर्डों/विश्वविद्यालयों के नवीनतम योग्यता मानदंड भी ध्यान से पढ़ें।

2 प्रवेश

विविध प्रकार के शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एनआईओएस चार स्ट्रीमों में वर्ष भर ऑन-लाइन प्रवेश चलाता है। ऑन-लाइन प्रवेश के लिए स्ट्रीमों और प्रक्रिया का विवरण नीचे दिया गया है:

2.1 ऑनलाइन प्रवेश की प्रक्रिया

एनआईओएस ने वेबसाइट www.nios.ac.in अथवा मोबाइल एप (एनआईओएस वेब पोर्टल) के माध्यम से 100% ऑन-लाइन प्रवेश की शुरुआत की है जिससे शिक्षार्थी स्वयं प्रवेश ले सकें।

इस योजना के अंतर्गत, शिक्षार्थियों के पास तीन विकल्प हैं :-

(i) **भाग 2.2** में निर्धारित की गई प्रक्रिया के अनुसार ऑन-लाइन द्वारा सीधे अपना पंजीकरण कराएं।

(ii) अपने निकटतम एआई (अध्ययन केन्द्र)/सहायता केन्द्र पर जाएं और ऑनलाइन पंजीकरण के लिए सहायता ले। प्रत्यायित संस्थाओं (एआई) की सूची एनआईओएस वेबसाइट पर दी गई है।

(iii) अपने संबंधित क्षेत्रीय केन्द्र में जाएं और ऑनलाइन पंजीकरण के लिए उनकी सहायता लें। क्षेत्रीय केन्द्रों की सूची **परिशिष्ट-क** पर दी गई है।

(iv) सूचना और प्रौद्योगिकी, भारत सरकार के जन सेवा केन्द्रों (सीएससी) में जाएं। विभिन्न राज्यों में जन सेवा केन्द्र जिन नामों से जाने जाते हैं उनकी सूची **'परिशिष्ट-ख'** पर है।

ऑनलाइन प्रवेश के चार स्ट्रीम हैं, जो कि विभिन्न आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों के लिए सहायक हैं। इन चार स्ट्रीमों में प्रवेश एक दूसरे से अलग हैं अर्थात् शिक्षार्थी इनमें से कोई एक ही चुन सकता/सकती है।

2.1.1 सभी शिक्षार्थियों के लिए ऑन-लाइन प्रवेश (स्ट्रीम-1) : सभी शिक्षार्थियों के लिए इस विशेष प्रकार के ऑन-लाइन प्रवेश माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक के लिए निर्धारित योग्यता के अनुसार होंगे। प्रवेश सत्र 2019-20 से स्ट्रीम-1 के लिए वर्ष भर (24×7) ऑन-लाइन प्रवेश की तिथियाँ इस प्रकार हैं :

ऑन-लाइन प्रवेश के ब्लॉक	ऑन-लाइन प्रवेश की तिथियाँ	शुल्क	परीक्षा जिसमें शिक्षार्थी अगले वर्ष पहली बार बैठ सकता है
ब्लॉक-1	16 मार्च - 31 जुलाई, 2019 1 अगस्त - 15 अगस्त, 2019 16 अगस्त - 31 अगस्त, 2019 1 सितंबर - 15 सितंबर, 2019	विलंब शुल्क के बिना रु. 200/- विलंब शुल्क के साथ रु. 400/- विलंब शुल्क के साथ रु. 700/- विलंब शुल्क के साथ	अप्रैल/मई, 2020
ब्लॉक-2	16 सितंबर, 2019-31 जनवरी, 2020 1 फरवरी - 15 फरवरी, 2020 16 फरवरी - 28 फरवरी, 2020 1 मार्च - 15 मार्च, 2020	विलंब शुल्क के बिना रु. 200/- विलंब शुल्क के साथ रु. 400/- विलंब शुल्क के साथ रु. 700/- विलंब शुल्क के साथ	अक्तूबर/नवंबर, 2020

शिक्षार्थियों को प्रवेश की पुष्टि के लिए संबंधित/सहायक दस्तावेज़ और ऑनलाइन प्रवेश फॉर्म में उपलब्ध उपयुक्त स्थान पर फोटो अपलोड करने होंगे। ऐसे शिक्षार्थी जिन्होंने क्रेडिट स्थानांतरण (टीओसी) के लिए आवेदन किया था,

वे मूल अनुत्तीर्ण अंक तालिका के पीछे संदर्भ संख्या लिखकर परिशिष्ट-क के अनुसार एनआईओएस के संबंधित क्षेत्रीय केंद्र को भेजें। जो शिक्षार्थी स्ट्रीम-1 के अंतर्गत ऑनलाइन प्रवेश ले रहे हैं उन्हें प्रवेश के समय उनके द्वारा दी गई प्राथमिकता और एआई में सीटों की उपलब्धता के आधार पर एआई (अध्ययन केंद्र) के साथ संबद्ध किया जाएगा।

2.1.2 उन शिक्षार्थियों के लिए ऑन-लाइन प्रवेश जो अक्तूबर-नवंबर 2019 परीक्षा में बैठना चाहते हैं (स्ट्रीम-2) : यह ऑनलाइन प्रवेश **01.05.2019 से 30.06.2019 तक** उन शिक्षार्थियों के लिए खुला है जो किसी भी मान्यता प्राप्त परीक्षा बोर्ड से माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में बैठे किन्तु सार्वजनिक परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सके अथवा जो परीक्षा में बैठने योग्य थे परन्तु सार्वजनिक परीक्षा में बैठ नहीं सके तथा **तालिका 3** पर दिए आयु, पते के प्रमाण के अनुसार प्रवेश आवश्यकता पूरी करते हों। शिक्षार्थी को प्रवेश की पुष्टि के लिए ऑन लाइन प्रवेश फार्म में दिए गए उचित स्थान पर संबंधित/सहायक दस्तावेजों तथा फोटोग्राफ के साथ-साथ अनुत्तीर्ण अंकतालिका/प्रवेश पत्र (हॉल टिकट) भी अपलोड करना होगा। ऐसे शिक्षार्थी जिन्होंने क्रेडिट स्थानांतरण (टीओसी) के लिए आवेदन किया था, वे मूल अनुत्तीर्ण अंक तालिका के पीछे संदर्भ संख्या लिखकर परिशिष्ट-क के अनुसार एनआईओएस के संबंधित क्षेत्रीय केंद्र को भेजें। इस स्ट्रीम के अंतर्गत शामिल होने वाले शिक्षार्थी एनआईओएस की अक्तूबर/नवंबर 2019 की माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में बैठ सकेंगे।

2.1.3 ऑन-लाइन प्रवेश उन शिक्षार्थियों के लिए जो माध्यमिक स्तर पर जब चाहो तब परीक्षा (ओड्स) में बैठना चाहते हैं (स्ट्रीम-3) : इसके अंतर्गत ऑन-लाइन प्रवेश उन शिक्षार्थियों के लिए पूरे वर्ष खुला रहेगा जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण की है और अपनी योग्यता को एक अथवा अधिकतम चार विषयों में प्रवेश लेकर बढ़ाना चाहते हैं अथवा ऐसे शिक्षार्थी जिन्होंने किसी भी मान्यता प्राप्त परीक्षा बोर्ड से परीक्षा दी परंतु उत्तीर्ण नहीं हो सके अथवा जो परीक्षा में बैठने योग्य थे परन्तु सार्वजनिक परीक्षा में बैठ नहीं सके और एनआईओएस की जब चाहो तब परीक्षा प्रणाली से केवल माध्यमिक परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं और **तालिका 3** पर दिए आयु, पते के प्रमाण के अनुसार प्रवेश आवश्यकता पूरी करते हों। शिक्षार्थी को प्रवेश की पुष्टि के लिए ऑन लाइन प्रवेश फार्म में दिए गए उचित स्थान पर संबंधित/सहायक दस्तावेजों तथा फोटोग्राफ के साथ-साथ अनुत्तीर्ण अंकतालिका/प्रवेश पत्र (हॉल टिकट) भी अपलोड करना होगा। ऐसे शिक्षार्थी जिन्होंने क्रेडिट स्थानांतरण (टीओसी) के लिए आवेदन किया था उन्हें मूल अनुत्तीर्ण अंक तालिका के पीछे संदर्भ संख्या लिखकर इसे ऑन लाइन प्रकोष्ठ, एनआईओएस, कक्ष सं. 408, ए-24-25, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर-62, नोएडा-201309, उत्तर प्रदेश को भेजना होगा। माध्यमिक स्तर पर ओड्स द्वारा परीक्षा में बैठने के लिए उपलब्ध विषय हैं हिंदी (201), अंग्रेजी (202), संस्कृत (209), गणित (211), विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (212), सामाजिक विज्ञान (213), अर्थशास्त्र (214), व्यवसाय अध्ययन (215), गृह विज्ञान (216), मनोविज्ञान (222), भारतीय संस्कृति एवं विरासत (223), चित्रकला (225) और डाटा एंट्री आपरेशन्स (229)।

2.1.4 ऑन-लाइन प्रवेश ऐसे शिक्षार्थियों के लिए जो उच्चतर माध्यमिक स्तर पर एनआईओएस की जब चाहो तब परीक्षा (ओड्स) प्रणाली में बैठना चाहते हैं (स्ट्रीम-4) : इसके अंतर्गत ऑन-लाइन प्रवेश उन शिक्षार्थियों के लिए पूरे वर्ष खुला रहेगा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से उच्चतर माध्यमिक अथवा ऐसे शिक्षार्थी उच्च परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं और एक अथवा अधिकतम चार विषयों में प्रवेश लेकर अपनी योग्यता को बढ़ाना चाहते हैं और जिन्होंने किसी भी मान्यताप्राप्त बोर्ड से माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण अवश्य की हो अथवा ऐसे शिक्षार्थी जिन्होंने किसी भी मान्यता प्राप्त परीक्षा बोर्ड से उच्चतर माध्यमिक स्तर से परीक्षा दी परन्तु उत्तीर्ण नहीं हो सके अथवा जो परीक्षा में बैठने योग्य थे परन्तु सार्वजनिक परीक्षा में बैठ नहीं सके और वे उच्चतर माध्यमिक स्तर पर उन्हीं विषयों में एनआईओएस की 'जब चाहो तब परीक्षा' में बैठना चाहते हैं और **तालिका 3** के अनुसार आयु, पते के प्रमाण के अनुसार प्रवेश आवश्यकता पूरी करते हों। शिक्षार्थी को प्रवेश की पुष्टि के लिए ऑन लाइन प्रवेश फार्म में दिए गए उचित स्थान पर संबंधित/सहायक दस्तावेजों तथा फोटोग्राफ के साथ-साथ अनुत्तीर्ण अंकतालिका/प्रवेश पत्र (हॉल

टिकट) भी अपलोड करना होगा। ऐसे शिक्षार्थी जिन्होंने क्रेडिट स्थानांतरण (टीओसी) के लिए आवेदन किया था उन्हें मूल अनुत्तीर्ण अंक तालिका के पीछे संदर्भ संख्या लिखकर इसे ऑन लाइन प्रकोष्ठ, एनआईओएस, कक्ष सं. 408, ए-24-25, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर-62, नोएडा-201309, उत्तर प्रदेश को भेजना होगा। **इस समय उच्चतर माध्यमिक स्तर पर ओड्स द्वारा उपलब्ध विषय हैं :** हिंदी (301), अंग्रेजी (302), गणित (311), संस्कृत (309), भौतिकी (312), रसायन विज्ञान (313), जीव विज्ञान (314), इतिहास (315), भूगोल (316), राजनीति विज्ञान (317), अर्थशास्त्र (318), व्यवसाय अध्ययन (319), लेखांकन (320), गृह विज्ञान (321), मनोविज्ञान (328), समाजशास्त्र (331), चित्रकला (332) और पर्यावरण विज्ञान (333), जन संचार (335), डाटा एंट्री आपरेशन्स (336) और कानून का परिचय (338)।

नोट : (i) स्ट्रीम-III और स्ट्रीम-IV के अंतर्गत पंजीकरण कराने वाले शिक्षार्थियों को **केवल जब चाहो तब परीक्षा माध्यम से ही परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी।** उन्हें अक्तूबर/नवंबर और अप्रैल/मई के दौरान एनआईओएस द्वारा आयोजित **सार्वजनिक परीक्षा द्वारा परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।**

(ii) किसी भी स्ट्रीम के अंतर्गत नामांकित शिक्षार्थी हैं **अनुच्छेद 2.6** में दिए गए नियम एवं शर्तों के अनुसार टीओसी लेने के पात्र होंगे।

(iii) **स्ट्रीम-2, स्ट्रीम-3, स्ट्रीम-4 में पंजीकरण कराने वाले ऐसे शिक्षार्थी जो मूल बोर्ड से विभिन्न विषय अथवा अतिरिक्त विषय लेना चाहते हैं उसे प्रवेश/पंजीकरण शुल्क, परीक्षा शुल्क और टीओसी शुल्क के अतिरिक्त रु. 720/- प्रति विषय का भुगतान करना होगा।**

(iv) **प्रामाणिकता की आवश्यकता :** शिक्षार्थी को आधार संख्या, आधार नामांकन संख्या, पासपोर्ट संख्या, राशन कार्ड संख्या, बैंक खाता संख्या अथवा कोई अन्य वैध सरकारी पहचान जैसे उपलब्ध प्रामाणिक दस्तावेज़ में से एक चुनना होगा। प्रमाण के रूप में चुने गए प्रामाणिक तरीके के दस्तावेज़ की स्कैन की गई प्रति अपलोड करना आवश्यक है।

2.2 ऑनलाइन प्रवेश की प्रक्रिया

उपर्युक्त चार स्ट्रीमों के संदर्भ में ऑनलाइन प्रवेश की प्रक्रिया इस प्रकार है :-

2.2.1 एनआईओएस की वेबसाइट **www.nios.ac.in** अथवा एनआईओएस के शिक्षार्थी पोर्टल **sdmis.nios.ac.in** पर जाएं और निम्नलिखित विषयों के बारे में दिए गए निर्देश ध्यान से पढ़ें और ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने आरंभ करने से पहले फोटो, हस्ताक्षर और तालिका-3 में उल्लिखित प्रवेश की आवश्यकताओं के अनुरूप संबंधित दस्तावेज की स्कैन की गई फोटो तैयार रखें। आप अपना वैध मोबाइल नंबर और वैध ई-मेल आईडी भी तैयार रखें।

2.2.2 शिक्षार्थी निम्नलिखित दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रति/सॉफ्ट प्रति के साथ तैयार रहें जिन्हें माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अपलोड करना होगा :-

- हाल ही का पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो
- शिक्षार्थी के हस्ताक्षर (बेहतर होगा यदि काली स्याही में हों।)
- जन्म तिथि का वैध प्रमाण (जन्म प्रमाणपत्र अथवा पासपोर्ट अथवा स्थानांतरण प्रमाणपत्र/विद्यालय छोड़ने का प्रमाणपत्र अथवा आधार कार्ड जिसमें जन्म तिथि/दिन/माह/वर्ष प्रारूप में मुद्रित हो, जन्म प्रमाणपत्र आदि)

- निवास का वैध प्रमाण (राशन कार्ड अथवा आधार कार्ड, अथवा नियोक्ता से प्राप्त उसके पत्र शीर्ष पर नियुक्ति पत्र, अथवा पानी/टेलीफोन/बिजली बिल/चल रहे बैंक खाते का विवरण अथवा आयकर आंकलन आदेश/निर्वाचन आयोग का मतदाता पहचान पत्र, नाबालिग के मामले में माता-पिता का पासपोर्ट, अगर किराए के घर में रह रहे हैं तो स्थायी पते के प्रमाणपत्र के साथ किराए के वर्तमान अनुबंध की प्रति।

- आठवीं कक्षा की अंकसूची अथवा स्व-प्रमाणपत्र (माध्यमिक पाठ्यक्रम के मामले में) दसवीं कक्षा की अंकसूची (उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम के मामले में)। दसवीं कक्षा की अंकसूची (उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम के मामले में)

- सामाजिक वर्ग/जाति प्रमाणपत्र (यदि शिक्षार्थी अनु. जाति/अनु.ज.जा./ओबीसी सामाजिक वर्ग का है)

- भूतपूर्व सैनिक प्रमाणपत्र (यदि वह भूतपूर्व सैनिक है)

- अक्षमता प्रमाणपत्र (यदि उसे किसी प्रकार की अक्षमता है)

- मूल स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी मूल अनुत्तीर्ण अंकसूची की स्कैन की गई प्रति यदि शिक्षार्थी एनआईओएस की स्ट्रीम 2/3/4 में पंजीकरण कराते हैं।

2.2.3 नीचे ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के लिए चरण :

- शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुसार ऑनलाइन प्रवेश के चार स्ट्रीम हैं। इन चारों स्ट्रीमों में प्रवेश नितांत भिन्न हैं अर्थात शिक्षार्थी केवल एक ही स्ट्रीम चुन सकते हैं। निर्देश पढ़ने के बाद स्ट्रीम-1 ब्लॉक-1 भाग में **''रजिस्टर''** बटन पर क्लिक करें। इससे कुछ अन्य निदेश और एक घोषणा दिखेंगे। निर्देश/घोषणा पढ़ें और **'प्रोसीड'** पर क्लिक करें। यदि शिक्षार्थी प्रक्रिया को जारी नहीं रखना चाहते, तो वे **'कैंसल'** बटन पर क्लिक कर सकते हैं।

- शिक्षार्थी जिस राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के हैं, वह चुनें।

- शिक्षार्थी जिस पहचान द्वारा अपनी पहचान की वैधता सिद्ध करना चाहते हैं, उसका चयन करें। शिक्षार्थी पहचान के प्रकारों की सूची में से किसी एक का चयन करें जैसे आधार नंबर, (आधार नामांकन आईडी उन्हें आबंटित की गई है जो आधार नंबर के लिए नामांकित हैं परन्तु अब तक आधार नंबर नहीं मिला है), पासपोर्ट नंबर, राशन कार्ड नंबर, बैंक खाता नंबर, जन्म तिथि प्रमाणपत्र अथवा कोई अन्य वैध पहचान का प्रकार आदि।

- पहचान के दस्तावेज़ की संख्या टाइप करें। यह संख्या की वैधता जांची जाएगी। शिक्षार्थी को चुने हुए पहचान दस्तावेज़ की स्कैन की गई प्रति अपलोड भी करनी होगी।

- शिक्षार्थी जिस पाठ्यक्रम (माध्यमिक अथवा उच्चतर माध्यमिक) में प्रवेश लेना चाहता/चाहती है, उसका चयन करें।

- आधार नंबर का सत्यापन अपने आप में एक पूरी प्रक्रिया है। आप जो आधार नं. नाम (आधार कार्ड पर छपे अनुसार) और लिंग (आधार कार्ड पर छपे अनुसार) देंगे उसे आधार जारीकर्ता प्राधिकारी (यूनीक आइडेंटिफि केशन ऑथारिटी ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई) - सत्यापित किया जाएगा। यदि पंजीकरण प्रक्रिया में दी गई कोई जानकारी (आधार नंबर, नाम और लिंग) आधार कार्ड से मेल नहीं खाती तो सत्यापन प्रक्रिया असफल हो जाएगी और शिक्षार्थी को आगे प्रवेश फॉर्म भरने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

- आधार डाटा का सफलतापूर्वक सत्यापन के बाद ही शिक्षार्थी को प्रवेश फार्म में आरंभिक विवरण पर पुनः भेजा जाएगा।

- **प्रवेश के लिए आवेदन फॉर्म भागों में बंटा है, जैसे आरंभिक विवरण, वैकल्पिक विवरण, विषय चयन और अध्ययन केंद्र चयन।**

- एनआईओएस में प्रवेश ले रहे आवेदक का नाम, पिता का नाम और माता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, आधार नंबर, एक वैध मोबाइल नंबर और एक वैध ईमेल आईडी भरें।

- वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) मोबाइल नंबर पर और ई मेल आईडी पर लेने के लिए 'जनरेट ओटीपी' बटन पर क्लिक करें जिससे संप्रेषण के दोनों माध्यमों का सत्यापन किया जा सके।

  नोट : एक ईमेल आईडी केवल एक बार प्रयोग किया जा सकता है और एक मोबाइल नंबर और एक पता अधिकतम तीन शिक्षार्थियों के पंजीकरण के लिए प्रयोग किया जा सकता है।

  नोट : इस बिंदु पर पहुँचकर, शिक्षार्थी के लिए एक यूजर नाम और पासवर्ड सत्यापित ईमेल पते पर भेजे जाएंगे जिसका शिक्षार्थी के आरंभिक विवरण में उल्लेख किया गया है। इस मेल में आगे की प्रोसेसिंग के लिए निर्देश भी रहेंगे। अपने यूजर विवरण (यूजर नाम और पासवर्ड) सुरक्षित रखें।

- मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के सफलतापूर्वक सत्यापन के बाद शिक्षार्थी को अन्य विवरण जैसे स्थायी पता और डाक का पता, सामाजिक वर्ग/जाति का विवरण, अध्ययन का माध्यम आदि को भरने के लिए अनुमति मिलेगी।

- अगले भाग में, वैकल्पिक विवरण जैसे परिवार की आय, माता-पिता की शैक्षिक योग्यता आदि भरें।

- यदि शिक्षार्थी उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम के लिए पंजीकरण कर रहा है तो उसे अपनी पिछली शैक्षिक योग्यता (दसवीं) का भी विवरण भरना होगा।

- बोर्ड का नाम, रोल नंबर और वर्ष चुनें जब आप पिछली परीक्षा में बैठे थे।

- बोर्ड परीक्षा में पढ़े गए विषय चुनें। चुने हुए प्रत्येक विषय के लिए सिद्धांत और प्रयोग में प्राप्त किए गए अंक लिखें।

- वे विषय चुनें, जो आप एनआईओएस में पढ़ता चाहते हैं और वे विषय भी स्पष्ट करें जिनके लिए आप क्रेडिट स्थानांतरण (टीओसी) लेना चाहते हैं। टीओसी के लिए विषयों का चुनाव एनआईओएस के नियमानुसार होगा।

- अगले भाग में, अध्ययन केंद्र चुनें। शिक्षार्थी अधिकतम 3 प्राथमिकताएं चुन सकता है। अध्ययन केंद्र उसके द्वारा चुने गए राज्य और जिले के आधार पर उपलब्ध होगा। अध्ययन केंद्र स्वचालित प्रणाली द्वारा अध्ययन केंद्र में सीटों की उपलब्धता के आधार पर प्रदान किया जाएगा। अध्ययन केंद्र शिक्षार्थी द्वारा चुने गए पाठ्यक्रम, माध्यम और लिंग आदि जैसे विभिन्न चयनों के संयोजन के आधार पर चयनों के लिए उपलब्ध होंगे।

- शिक्षार्थी को इस भाग में आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे।

नोट

शिक्षार्थी को फॉर्म की हार्ड प्रति और दस्तावेज भेजने/जमा नहीं करने हैं परन्तु आवश्यक दस्तावेजों को ऑनलाइन अपलोड करना अनिवार्य है। यदि एनआईओएस प्रबंधन द्वारा मांगा जाए अथवा जमा किए गए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म/दस्तावेज़ों में कोई अन्य अनियमितता पाई जाती है, तो शिक्षार्थी को मुद्रित आवेदन फॉर्म एवं दस्तावेज़ और फोटो जमा करने होंगे। यह आवश्यकता शिक्षार्थी को ई-मेल अथवा एसएमएस द्वारा संप्रेषित की जाएगी।

- विवरण भरने और दस्तावेज़ अपलोड करने के बाद, आगे बढ़ने के लिए **Next** बटन को क्लिक करें।

- विवरण भरने और आवश्यक दस्तावेज़ों को अपलोड करने के बाद **Review Section** में पूरे फार्म का परिशोधन करें जिसमें शुल्क विवरण भी शामिल है। यदि, शिक्षार्थी भरी हुई किसी सूचना में कोई परिवर्तन करना चाहता है तो वह हर भाग के **Edit**

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) माध्यमिक शिक्षा और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रमों में ऑन-लाइन प्रवेश की प्रक्रिया का चित्रात्मक प्रस्तुति

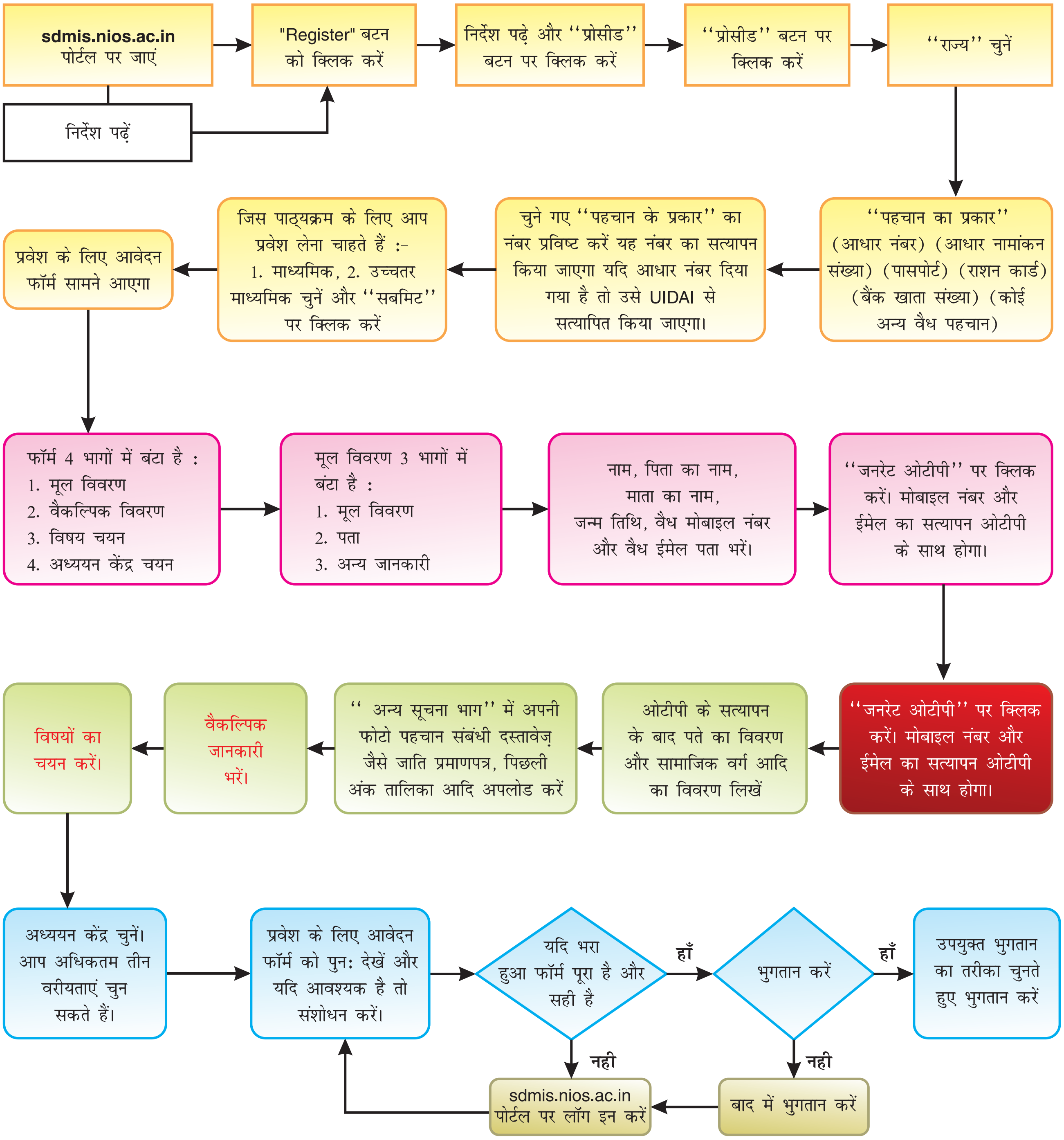

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान

जब चाहो तब परीक्षा (ओड्स) के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया

मौजूदा एनआईओएस शिक्षार्थियों के लिए चरण 2 और 3 को छोड़ दिए जाएंगे

1. ओटीपी मोबाइल और ईमेल द्वारा पंजीकरण करें →
2. मूल विवरण भरें →
3. बोर्ड परीक्षा में पढ़े गए विषय/जिन विषयों में परीक्षा दी वे चुनें →
4. वे विषयों चुनें/जोड़ें जिनमें आप परीक्षा देना चाहते हैं →
5. ओड्स के लिए आप जिस परीक्षा केंद्र में परीक्षा देना चाहते हैं, वह चुनें ↓
6. परीक्षा केंद्र के लिए तिथिवार सीटों की उपलब्धता देखें ←
7. उपलब्ध कैलेंडर से परीक्षा की तिथि चुनें ←
8. यदि परीक्षा की मनचाही तिथि उपलब्ध नहीं है, तो ←
9. अगले महीने के लिए कैलेंडर से तिथियाँ चुनें ←
10. चुने गए विषयों के लिए शुल्क का भुगतान चुनें ↓
11. संबंधित और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें →
12. ऑन डिमांड परीक्षा के लिए सीटें उपलब्धता के अनुसार दी जाएंगी। यदि दिनांक उपलब्ध नहीं हैं तो →
13. दो बार शुल्क का भुगतान किए बगैर अन्य तारीख के लिए प्रयास करें →

नोट 1: तिथियां बाद में डैशबोर्ड से भी बुक की जा सकती हैं →

नोट 2: किसी ऑन डिमांड परीक्षा में बैठने के बाद तिथियां दोबारा भी बुक की जा सकती हैं

तिथियों के सफलतापूर्वक बुक हो जाने के बाद

अपने डैशबोर्ड पर लॉगइन करें और प्रवेश की पुष्टि की प्रतीक्षा करें → एनआईओएस मुख्यालय के अनुमोदन के बाद आप डैशबोर्ड से अपना पहचान पत्र और हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं → प्रायोगिक परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र से संपर्क करें

बटन/बदलने के बाद **Review** भाग पर पहुंचने के लिए **Next** बटन पर क्लिक करें।

- यदि पंजीकरण प्रक्रिया में शिक्षार्थी द्वारा दिया गया विवरण सही है, तो शिक्षार्थी आगे जारी रखकर उपलब्ध भुगतान गेटवेज जैसे आईडीबीआई, यूबीआई, आईसीआईसीआई बैंक आदि चुनकर ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। प्रवेश शुल्क के ऑन लाइन भुगतान के लिए सीएससी ग्रामीण स्तर उद्यमी द्वारा सीएससी वॉलेट प्रयोग किया जा सकता है।
- शुल्क का सफलतापूर्वक भुगतान करने के बाद, एनआईओएस शिक्षार्थी के पंजीकृत ईमेल में और उसके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस द्वारा भी शुल्क भुगतान की रसीद प्राप्त होगी।
- शुल्क के सफल भुगतान के बाद आपको एक संदर्भ संख्या दी जाएगी जिसे आप अपने प्रवेश की पुष्टि होने तक एनआईओएस से पत्राचार करते हुए प्रयोग कर सकते हैं। एक बार भुगतान सफलतापूर्वक हो गया, शिक्षार्थी को अपने लॉग इन में डैशबोर्ड देखने की अनुमति होगी।

नोट

कृपया ध्यान दें कि शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन ही किया जाएगा। शुल्क के भुगतान के लिए कोई बैंक ड्रॉफ्ट/डिमांड ड्रॉफ्ट/नकद/चैक अथवा कोई अन्य माध्यम स्वीकार्य नहीं है। सभी सीएससी और एनआईओएस एआई (अध्ययन केंद्र) ऑन लाइन प्रवेश ले रहे शिक्षार्थियों की सहायता के लिए प्राधिकृत हैं। ऑन लाइन प्रवेश करने के लिए एनआईओएस ने किन्हीं अन्य एजेंसियों/साइबर कैफे/कोई अन्य संस्थाओं को मान्यता नहीं दी है।

- **कृपया ध्यान दें कि प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीकरण ब्लॉक विशेष के प्रवेश की अंतिम तिथि पर बंद हो जाएगा। प्रवेश के लिए आवेदन फॉर्म जमा करने वाले शिक्षार्थी को आवेदन के साथ अथवा आवेदन ऑनलाइन जमा करने के अधिकतम दस दिनों में जमा करना होगा। यदि शिक्षार्थी अपना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म ब्लॉक की अंतिम तिथि पर जमा करता/करती है तो ऐसे शिक्षार्थी को ब्लॉक की अंतिम तिथि में पांच दिनों में शुल्क का भुगतान करना होगा।**
- पंजीकरण के समय शिक्षार्थी द्वारा जमा किए गए दस्तावेज़ों, प्रवेश शुल्क और सूचना का सफलतापूर्वक सत्यापन होने के बाद, उसके प्रवेश की पुष्टि की जाएगी और एक नामांकन संख्या दी जाएगी। एनआईओएस प्रबंधन द्वारा प्रवेश की पुष्टि के बाद शिक्षार्थी को उपयुक्त सूचना ई-मेल और एसएमएस द्वारा भेजी जाएगी।
- यदि भुगतान असफल रहता है तो शिक्षार्थी को फिर से भुगतान करना होगा।
- शिक्षार्थी अपने यूज़र नाम और उसके पंजीकृत ई-मेल पर भेजे गए पासवर्ड का प्रयोग करके एनआईओएस के शिक्षार्थी पोर्टल (sdmis.nios.ac.in) में लॉग इन करके बाद में भुगतान कर सकता है।
- शिक्षार्थी का लॉग इन डैशबोर्ड शिक्षार्थी संबंधी गतिविधियां जैसे आवेदन फॉर्म मुद्रित करना, शुल्क भुगतान की रसीद मुद्रित करना, पहचान पत्र मुद्रित करना, अध्ययन सामग्री जिसे एनआईओएस से शिक्षार्थी को नि:शुल्क भेजी जाएगी की स्थिति देखना, परीक्षा के लिए पंजीकरण, परीक्षा शुल्क भुगतान और अन्य ई-सेवाएँ प्रदान करेगा।

शिक्षार्थी को सुझाव दिया जाता है कि सही और प्रामाणिक सूचना में और आवेदन फॉर्म के संबंधित भागों में वै, प्रामाणिक और संबंधित फोटो/दस्तावेज़ अपलोड करें। भुगतान होने के बाद आवेदन फॉर्म में कोई परिवर्तन करने की अनुमति नहीं होगी। अधूरी/गलत जानकारी अथवा असंबंधित फोटो/दस्तावेज़ अपलोड करने से एनआईओएस किसी भी समय पंजीकरण/प्रवेश रद्द कर सकता है।

ऑन लाइन प्रवेश संबंधी पूछताछ के लिए शिक्षार्थी lsc@nios.ac.in पर ई-मेल कर सकते हैं।

2.3 एआई (अध्ययन केन्द्र)/जन सेवा केन्द्र/प्राधिकृत सहायता केन्द्र के माध्यम से ऑन-लाइन प्रवेश की प्रक्रिया

एनआईओएस के सभी एआई/अध्ययन केन्द्रों को अधिकार है कि वे ऑन-लाइन प्रवेश कराने वाले शिक्षार्थियों की सहायता के लिए ऑन-लाइन पंजीकरण काउंटर खोलें। वे शिक्षार्थियों को प्रवेश-पूर्व परामर्श, अध्ययन केन्द्रों/पाठ्यक्रमों के चुनाव, अध्ययन के माध्यम, क्रेडिट स्थानांतरण, क्रेडिट संचयन और एनआईओएस की अन्य विशेषताओं के बारे में सहायता करेंगे। **एआई उपर्युक्त भाग 2.2 में ऑन-लाइन पंजीकरण के लिए वही प्रक्रिया अपनाएँगे।** दूरदराज के क्षेत्रों तक पहुँचने के उद्देश्य से, एनआईओएस ने जन सेवा केन्द्र (सीएससी), आईटी मंत्रालय, भारत सरकार और अन्य सुविधाजनक केन्द्रों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। अब एक लाख से अधिक सीएससी एनआईओएस सहायता केन्द्र शिक्षार्थियों को एक पूर्व निश्चित शुल्क पर एनआईओएस की ऑन लाइन सेवाएँ प्रदान करेंगे। पूर्व निर्धारित शुल्क का विवरण वेबसाइट पर उपलब्ध है।

2.4 प्रवेश आवश्यकताएँ

तालिका : 3 : प्रवेश आवश्यकताएँ

आवश्यकताएँ	प्रवेश की तिथियाँ	माध्यमिक पाठ्यक्रम	उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम
(क) प्रवेश			
स्ट्रीम-1 (प्रथम ब्लॉक) स्ट्रीम-2, 3 एवं 4	16.03.2019 से 15.09.2019	31 जुलाई, 2019 को 14 वर्ष (31.7.2005 को अथवा उससे पहले जन्मे)	31 जुलाई, 2019 को 15 वर्ष (31.7.2004 को अथवा उससे पहले जन्मे)
स्ट्रीम-1 (द्वितीय ब्लॉक)	16.09.2019 से 15.03.2020	31 जनवरी, 2020 को 14 वर्ष (31.1.2006 को अथवा उससे पहले जन्मे)	31 जनवरी, 2020 को 15 वर्ष (31.1.2005 को अथवा उससे पहले जन्मे)
सहायक दस्तावेज़		(i) निगम के अधिकारी अथवा जन्म एवं मृत्यु के रजिस्ट्रार के जिला कार्यालय से जारी जन्म प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति उन सभी के लिए जिनका जन्म 26.01.1989 को अथवा उसके बाद हुआ हो। **अथवा** (ii) भारत सरकार द्वारा पासपोर्ट की सत्यापित प्रति (iii) पिछले विद्यालय से प्राप्त विद्यालय छोड़ने का पत्र/स्थानांतरण प्रमाण-पत्र की मूल प्रति जिसमें आवेदक की जन्म-तिथि लिखी हो। सरकारी विद्यालय के मामले में स्थानांतरण प्रमाणपत्र/विद्यालय छोड़ने के प्रमाण-पत्र पर प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर होने चाहिए जबकि प्राइवेट विद्यालय होने पर उसे राज्य के सक्षम शिक्षा प्राधिकारी/या जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिए। अथवा (iv) भारत सरकार की संबंधित एजेंसी द्वारा जारी आधार कार्ड की सत्यापित प्रति।	किसी मान्यताप्राप्त माध्यमिक/हाई स्कूल परीक्षा के प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रति जिसमें जन्मतिथि अंकित हो। (उच्चतर माध्यमिक प्रवेश हेतु आयु का कोई भी अन्य प्रमाण मान्य नहीं होगा)
टिप्पणी: (i) अनाथ/किशोर/बेघर बच्चों के लिए चिकित्सा विधि प्रमाण-पत्र के साथ प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा जारी शपथ पत्र अथवा आधार कार्ड की प्रति जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में अवश्य दी जाए। (ii) आवेदन फॉर्म में लिखी जन्म-तिथि में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अतः जाँच लें और आवेदन फार्म में सही जन्मतिथि लिखें।			
(ख) न्यूनतम शैक्षिक योग्यताएँ		• आठवीं कक्षा पास का प्रमाणपत्र, अथवा • स्व-प्रमाणपत्र (प्रवेश फॉर्म के पिछले पृष्ठ के अनुसार)	मान्यताप्राप्त माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से माध्यमिक/हाई स्कूल परीक्षा पास प्रमाणपत्र की प्रति

(ग) आवास का प्रमाण

आवासीय पते का प्रमाण सभी के लिए अनिवार्य है। निम्नलिखित में से किसी एक की प्रति संलग्न करें।

1. राशन कार्ड अथवा आधार कार्ड अथवा नियोक्ता के शीर्ष पत्र पर आवेदन पत्र अथवा पानी/टेलीफोन/बिजली का बिल/चल रहे बैंक खाते की स्टेटमेंट अथवा आय कर निर्धारण आदेश/चुनाव आयोग का पहचान पत्र, नाबालिग होने के मामले में माता-पिता का पासपोर्ट।
2. जो शिक्षार्थी किराए के मकान में रहते हैं उनके स्थायी पते के प्रमाण के साथ वर्तमान किराए के घर के पते का प्रमाण स्वीकार्य होगा।
3. ऐसे शिक्षार्थी जो बेघर निस्सहाय/प्रवासी/झुग्गी निवासी/अनाथ हैं, वर्तमान में जिनके घर का कोई पता नहीं है उसे अपनी श्रेणी (उपर्युक्त में से) लिखते हुए एक स्वः प्रमाणपत्र देना होगा और प्रमाणित करना होगा कि उनका अपना पता नहीं है। फिर भी एनआईओएस से पत्राचार के लिए सम्पर्क करने हेतु उन्हें एक पता उपलब्ध कराना होगा। यह स्वः प्रमाणपत्र एनजीओ/अनाथालय सहित वित्तपोषक अभिभावक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिए तथा किसी सरकारी कर्मचारी/पंचायत स्तर के कार्मिक/नगर निगम अधिकारी/ब्लॉक स्तर के अधिकारी/जिला स्तर के अधिकारी अथवा उच्च स्तर के अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। प्रायोजक तथा प्रमाणित करने वाले प्राधिकारी दोनों अपना पूरा नाम, पदनाम, कार्यालयी मोहर के साथ पूरा पता दें।

नोट :(i) ऑनलाइन आवेदन फॉर्म के साथ आवश्यक सहायक दस्तावेज़ अपलोड होने पर आवेदन फॉर्म रद्द कर दिया जाएगा और फीस लौटाई नहीं जाएगी।

(ii) विदेशी बोर्ड/विश्वविद्यालय से हाई स्कूल/माध्यमिक प्रमाणपत्र प्राप्त करने वाले शिक्षार्थियों को राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान के उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने के लिए संबंधित दूतावास तथा भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एआईयू) द्वारा यह प्रमाणपत्र देना होगा कि उनकी परीक्षा भारतीय हाई स्कूल/माध्यमिक परीक्षा के समकक्ष है।

(iii) यदि कोई शिक्षार्थी किसी बोर्ड द्वारा किसी स्तर पर अनुचित गतिविधियों में लिप्त होने के कारण विवर्जित किया गया है तो वह एनआईओएस में प्रवेश के लिए योग्य नहीं है।

(iv) शिक्षार्थियों द्वारा तथ्य को छिपाने पर, उनका प्रवेश बाद में भी रद्द कर दिया जाएगा।

2.5 एनआईओएस के पूर्व शिक्षार्थियों का पुनःप्रवेश

एनआईओएस के उन शिक्षार्थियों का पुनः प्रवेश नहीं होगा जिनका प्रवेश अभी भी वैध है।

एनआईओएस के माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक शिक्षार्थी, जिनकी पाँच वर्ष की प्रवेश अवधि पूरी हो चुकी है, परन्तु वे पाठ्यक्रम पूरा न कर पाए हों, वे एनआईओएस में पुनः प्रवेश ले सकते हैं। मूल प्रमाणपत्र जमा करने पर पिछले प्रवेश के उत्तीर्ण विषयों (अधिकतम चार विषयों) के क्रेडिट नए प्रवेश में स्थानांतरित कर दिए जाएंगे बशर्ते एनआईओएस से ये विषय पिछले दस वर्षों में उत्तीर्ण किए जा चुके हों (अर्थात् यदि 2010 के दौरान अथवा उसके बाद उत्तीर्ण हुए हों) शिक्षार्थी को **तालिका-6क** में दिए विवरण के अनुसार टीओसी शुल्क का भुगतान करना होगा जिसमें **(कोड सं. ''9901 - राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय)'' भी लिखें।)**

2.6 क्रेडिट स्थानांतरण (टीओसी)

माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक स्तर के पूर्व शिक्षार्थी, जिन्होंने कम से कम एक विषय उत्तीर्ण किया हो परन्तु पाठ्यक्रम उत्तीर्ण न कर पाए हों, वे एनआईओएस के पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले सकते हैं तथा क्रेडिट स्थानांतरण का लाभ उठा सकते हैं।

शिक्षार्थी क्रेडिट स्थानांतरण (टीओसी) के लिए प्रवेश के समय ही आवेदन करें जिन्हें एनआईओएस की अध्ययन की योजना में शामिल किया गया है।

जिस शिक्षार्थी ने कम से कम एक विषय पास किया है, लेकिन राज्य बोर्ड में मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम (सीओबीएसई, नई दिल्ली में प्रकाशित अनुसार) में सफलता प्राप्त नहीं की है, वे सत्यापन के लिए संबंधित बोर्ड की कार्यालयी वेबसाइट पर उपलब्ध अपने परिणाम डाटा के अधिकतम दो विषयों में टीओसी की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। वेबसाइट पर परिणाम डाटा उपलब्ध न होने की अवस्था में शिक्षार्थी संबंधित बोर्ड से अपने क्रेडिट स्थानांतरण का सत्यापित डाटा प्राप्त करें और उसे प्रवेश फार्म के साथ जमा करें।

निम्न स्थितियों में टीओसी की सुविधा की अनुमति होगी:

(i) शिक्षार्थी मूल बोर्ड से अधिकतम दो विषयों के क्रेडिट स्थानांतरण करा सकते हैं, यदि ये विषय पिछले पाँच वर्षों में 33: अंकों के साथ पास किए गए हों (अर्थात् 2014 के दौरान अथवा उसके बाद पास किया हो)।

(ii) केवल उन्हीं विषयों में ही क्रेडिट दिए जाएंगे, जो एनआईओएस की अध्ययन की योजना और परीक्षा योजना में शामिल हैं। प्रयोग वाले विषयों में उच्चतर माध्यमिक स्तर पर टीओसी तभी दिए जायेंगे जब शिक्षार्थी सिद्धांत एवं प्रयोग में अलग-अलग पास हों।

(iii) शिक्षार्थी को प्रवेश फॉर्म में टीओसी विषयों, प्राप्त अंकों, अनुक्रमांक इत्यादि का पूरा विवरण देना होगा।

(iv) क्रेडिट स्थानांतरण (टीओसी) के लिए आवेदन करते हुए, शिक्षार्थी को मूल बोर्ड की अनुत्तीर्ण अंकसूची एनआईओएस के संबंधित क्षेत्रीय केंद्र में ऑनलाइन प्रवेश के 10 दिनों में ऑनलाइन प्रवेश फॉर्म की पावती/प्रति की प्रति के साथ भेजनी होगी। यदि जमा करने में देरी होती है अर्थात् 10 दिनों के बाद जमा किया जाता है तो ई-सेवा के द्वारा टीओसी के प्रत्येक विषय के लिए रु.500/- का विलंब शुल्क लिया जाएगा।

(v) शिक्षार्थी को प्रवेश के लिए जितने विषयों में टीओसी चाहिए, उतने विषयों के क्रेडिट स्थानांतरण के लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। शुल्क का विवरण **तालिका-6क** में दिया गया है।

(vi) विस्तृत मानक कार्य प्रणाली (एसओपी) अलग से जारी किए गए हैं और **एनआईओएस वेबसाइट** पर दी गई है। टीओसी की अधिक जानकारी एसओपी में दी गई है।

2.7 दोहरा नामांकन और आंशिक क्रेडिट

इस प्रावधान के अंतर्गत यदि शिक्षार्थी औपचारिक विद्यालय में पढ़ाई कर रहा है या पहले ही किसी बोर्ड/ विश्वविद्यालय से माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक या कोई और उच्च परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका है, तो वह ज्ञान को अद्यतन करने और शैक्षिक योग्यता बढ़ाने के लिए अपनी रुचि के अनुसार कोई भी अधिकतम चार विषय ले सकता है। ऐसे शिक्षार्थी को उत्तीर्ण होने पर केवल अंक सूची ही दी जाएगी। उसे कोई और प्रमाणपत्र नहीं दिया जाएगा। दोहरा नामांकन और आंशिक प्रवेश के लिए प्रवेश आवश्यकता एनआईओएस प्रवेश नियम (तालिका - 3 प्रवेश आवश्यकता) के अनुसार होगा।

2.8 प्रवेश के लिए शुल्क का विवरण

(क) माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक पाठयक्रमों के लिए देय शुल्क का विवरण **तालिका-4** में दिया गया है। इस शुल्क में ही पंजीकरण, अध्ययन सामग्री, व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम (पीसीपी), पहचान पत्र, मूल्यांकन कार्य आदि का शुल्क शामिल है। नीचे दी गई तालिका में दिए गए विवरण के अतिरिक्त प्रवेश के लिए कोई अतिरिक्त राशि का भुगतान न करें।

नोट

लद्दाख क्षेत्र की महिलाओं और बालिकाओं को पंजीकरण शुल्क एवं अध्ययन सामग्री की कीमत में छूट दी जाती है। फिर भी, टीओसी शुल्क, यदि लागू हुआ, तो देना होगा।

तालिका 4: ऑन-लाइन प्रवेश के स्ट्रीम-1 के लिए शुल्क विवरण

नोट

प्रवेश शुल्क में परीक्षा शुल्क शामिल नहीं है। यदि शिक्षार्थी परीक्षा में बैठने चाहते हैं तो परीक्षा शुल्क निर्धारित तिथियों में अलग से जमा करें।

पाठ्यक्रम	सामान्य वर्ग		छूट प्राप्त वर्ग*
	पुरुष	महिलाएं	अ.जा/अ.ज.जा./भूतपूर्व सैनिक/अक्षम
माध्यमिक पाठ्यक्रम			
(i) पाँच विषयों के लिए	रु. 1800	रु. 1450	रु. 1200
(ii) प्रत्येक अतिरिक्त विषय के लिए	रु. 720	रु. 720	रु. 720
उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम			
(i) पाँच विषयों के लिए	रु. 2000	रु. 1650	रु. 1300
(ii) प्रत्येक अतिरिक्त विषय के लिए	रु. 720	रु. 720	रु. 720

* उपर्युक्त शुल्क के अतिरिक्त प्रत्येक ऑनलाइन लेन-देन के लिए रु. 50/- का भुगतान किया जाएगा।

*छूट प्राप्त करने के लिए अनु. जाति/अनु. जनजाति, भूतपूर्व सैनिक और अक्षम व्यक्ति आवेदन फॉर्म के साथ सहायक दस्तावेज़ों की मूल स्कैन की गई प्रति अपलोड करें।

जेल कारावासियों के लिए मुफ्त शिक्षा : एनआईओएस ने जेल कारावासियों को मुफ्त शिक्षा की विशेष सुविधा दी है जिससे जब वे जेलों में हों, तो उन्हें अपनी अजीविका कमाने में मदद मिल सके और उन्हें जेल से रिहा होने के बाद समाज की मुख्य धारा में लाया जा सके।

भारतीय सेना के लिए एनआईओएस शिक्षा परियोजना विशेष रूप से भारतीय सेना के जवानों की शैक्षिक योग्यता बढ़ाने के लिए बनाया गया है। एनआईओएस ने सेना शिक्षा कॉर्प्स (एईपी) एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (सेना), डीएचक्यू, पीओ, नई दिल्ली के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। सेना मुख्यालय कमांड परिशिष्ट-'ज' दर्शाए गए संबंधित एनआईओएस क्षेत्रीय केंद्रों के साथ कार्य करेगा।

तालिका 5: एनआईओएस के माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए छूट प्राप्त वर्गों से आवश्यक सहायक दस्तावेज़ों की मूल प्रति स्कैन की गई प्रति

वर्ग	संलग्न किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज़
(i) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के शिक्षार्थी	• उपायुक्त, मजिस्ट्रेट या आयुक्त अ.जाति/अनु.जनजाति द्वारा जारी जाति प्रमाणपत्र की प्रति
(ii) भूतपूर्व सैनिक	• नियोक्ता के प्रमाणपत्र की मूल प्रति।
(iii) अक्षम शिक्षार्थी	• सरकारी अस्पताल द्वारा जारी प्रमाणपत्र और जो **प्राइवेट नर्सिंग होम का न हो।** उसमें अक्षमता की प्रकृति और स्तर स्पष्ट रूप से लिखे गए हों।

दोहरा नामांकन/आंशिक प्रवेश के लिए, स्ट्रीम-1 हेतु निर्धारित शुल्क रूपरेखा **तालिका-6क** पर दी गई है तथा स्ट्रीम-2, 3 तथा 4 के ऑन-लाइन शिक्षार्थियों के लिए शुल्क रूपरेखा **तालिका-6ख** पर दी गई है।

तालिका-6 क : दोहरा नामांकन/आंशिक प्रवेश/क्रेडिट स्थानांतरण (टीओसी) के लिए शुल्क का विवरण

पाठ्यक्रम	पंजीकरण शुल्क	प्रत्येक विषय के लिए अध्ययन सामग्री का मूल्य	क्रेडिट स्थानांतरण (टीओसी)* के लिए शुल्क
माध्यमिक	रु. 480 (प्रति विषय)	रु. 360/- (अनिवार्य)	रु. 180/- प्रति विषय
उच्चतर माध्यमिक	रु. 480 (प्रति विषय)	रु. 400/- (अनिवार्य)	रु. 180/- प्रति विषय

* टीओसी **भाग 2.6** के अंतर्गत दिए गए मानदण्ड के अनुसार दिया जाएगा।

तालिका-6 ख : ऑन-लाइन प्रवेश के शिक्षार्थियों के लिए शुल्क का विवरण (स्ट्रीम 2, 3 तथा 4)

क्र.सं.	पाठ्यक्रम	पंजीकरण शुल्क	परीक्षा शुल्क	क्रेडिट स्थानांतरण शुल्क	*विषय परिवर्तन/ अतिरिक्त विषय शुल्क
1.	माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक (स्ट्रीम-2 के अंतर्गत) ऑन-लाइन प्रवेश	रु. 480/- प्रति विषय	• सिद्धांत के लिए रु. 250/- प्रति विषय • इसके अलावा प्रयोग के लिए रु.120/- प्रति विषय	रु. 180/- (प्रति विषय)	रु. 720/- (प्रति विषय)
2.	माध्यमिक (स्ट्रीम-3 के अंतर्गत) ऑन-लाइन प्रवेश	रु. 480/- प्रति विषय	• सिद्धांत के लिए रु. 500/- प्रति विषय • इसके अलावा प्रयोग के लिए रु.200/- प्रति विषय	रु. 180/- (प्रति विषय)	रु. 720/- (प्रति विषय)
3.	उच्चतर माध्यमिक (स्ट्रीम-4 के अंतर्गत) ऑन-लाइन प्रवेश	रु. 480/- प्रति विषय	• सिद्धांत के लिए रु. 500/- प्रति विषय • इसके अलावा प्रयोग के लिए रु.200/- प्रति विषय	रु. 180/- (प्रति विषय)	रु. 720/- (प्रति विषय)

*** स्ट्रीम-2, स्ट्रीम-3, स्ट्रीम-4 में पंजीकरण कराने वाले ऐसे शिक्षार्थी जो मूल बोर्डों से भिन्न विषय अथवा अतिरिक्त विषय लेना चाहते हैं उन्हें प्रवेश/पंजीकरण शुल्क, परीक्षा शुल्क और टीओसी शुल्क के अतिरिक्त रु. 720/- प्रति विषय का भुगतान करना होगा।**

नोट : उपर्युक्त शुल्क के अतिरिक्त 50/- रु. (पचास रुपए केवल) सभी स्ट्रीमों (स्ट्रीम 1,2,3 और 4) के ऑन-लाइन आवेदन फॉर्म के शुल्क के रूप में जोड़े जाएंगे।

(ग) शुल्क का भुगतान कैसे करें

ऑन-लाइन प्रवेश के लिए शुल्क : शुल्क के भुगतान के लिए दो विकल्प होंगे :

विकल्प-1 शुल्क क्रेडिट कार्ड /डेबिट कार्ड/नेट बैंकिंग, उपलब्ध भुगतान माध्यमों द्वारा ऑन-लाइन जमा किया जा सकता है, अथवा

विकल्प-2 यदि प्रवेश जन सेवा केंद्रों द्वारा किया जाएगा तो शुल्क सीएससी के इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट द्वारा भरा जा सकता है।

नोट
शिक्षार्थी अपना एआई बहुत ध्यान से चुनें।

प्रवेश रद्द होना

आपका प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा यदि

- ऑनलाइन प्रवेश फॉर्म अधूरा हो,
- दी गई फीस कम हो,
- सहायक दस्तावेज पूरे न हों,
- यदि जाली कागज़ात जमा किए गए हैं, यदि त्रुटिपूर्ण अथवा गलत सूचना दी गई हो,
- आवश्यक शैक्षिक योग्यताएँ पूरी न करते हों,
- न्यूनतम आयु के न हों,
- माध्यमिक परीक्षा किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से उत्तीर्ण न हों,
- आवासीय प्रमाणपत्र संलग्न न हों।

टिप्पणी : 1. एक बार प्रवेश रद्द करने पर पुन: विचार नहीं किया जाएगा।

2. एक बार दिया गया शुल्क किसी भी स्थिति में लौटाया नहीं जाएगा।

2.9 प्रवेश की पुष्टि

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान में विशेष पाठ्यक्रम में प्रवेश की पुष्टि हेतु सामान्यत: शिक्षार्थी को एनआईओएस के रिकॉर्ड के अनुसार एक **पहचान पत्र** भेजा जाएगा। **यदि प्रवेश लेने के बाद किसी स्तर पर कोई विसंगति पाई जाती है, यहाँ तक कि यदि पहचान पत्र जारी भी कर दिया जाता है तक भी आपका प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा तथा यदि आप परीक्षा में उपस्थित भी हो जाते हैं तब भी आपका परीक्षा परिणाम रोक दिया जाएगा।**

कृपया पहचान-पत्र में दिए गए अपने विवरण की जाँच कर लें। यदि कोई गलती हो, तो अपने अध्ययन केन्द्र से तुरंत संपर्क करें। पहचान पत्र सिर्फ एक बार ही जारी किया जाएगा। इसलिए आप एनआईओएस में पाठ्यक्रम पूरा होने तक अपना पहचान-पत्र सँभालकर रखें।

प्रवेश रिकॉर्ड में संशोधन एनआईओएस वेबसाइट पर उपलब्ध नियमों के अनुसार ही किया जाएगा।

सार्वजनिक परीक्षा/ओड्स में बैठने वाले शिक्षार्थियों को परीक्षा के समय एनआईओएस द्वारा दिया गया पहचान पत्र दिखाना होगा अन्यथा उन्हें परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा।

2.10 प्रवेश के बाद ई-सेवाओं द्वारा अन्य सुविधाएँ

2.10.1 ई-सेवाओं द्वारा प्राप्त की जाने वाली शिक्षार्थी केंद्रित गतिविधि इस प्रकार है :-

(क) पहचान पत्र की दूसरी प्रति जारी करना

पहचान पत्र खो जाने पर, दूसरी प्रति दी जा सकती है। पहचान पत्र की दूसरी प्रति प्राप्त करने के लिए सबसे पहले संबंधित पुलिस स्टेशन में एफआईआर (प्रथम सूचना रिपोर्ट) दर्ज कराएँ। ई-सेवा द्वारा ऑनलाइन आवेदन कर और शिक्षार्थी एफआईआर की मूल स्कैन की गई प्रति अपलोड करें और रु. 100/- का शुल्क ऑनलाइन माध्यम से भुगतान करें। दूसरी बार पहचान पत्र की दूसरी प्रति प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थी को रु. 500/- का शुल्क देना होगा।

(ख) सभी स्ट्रीमों के लिए विषय बदलना/अतिरिक्त विषय

पाँच वर्षों की प्रवेश अवधि के दौरान, शिक्षार्थी एक या अधिक विषयों को बदल सकते हैं या एक/दो अतिरिक्त विषय ले सकते हैं परन्तु कुल विषय सात से अधिक नहीं होने चाहिए। जो विषय शिक्षार्थी उत्तीर्ण कर चुके हैं, वे बदले नहीं जा सकते।

विषय परिवर्तन/अतिरिक्त विषय के लिए शिक्षार्थी को ई-सेवा द्वारा ऑनलाइन आवेदन करना होगा। और नीचे दिया गया शुल्क ऑनलाइन माध्यम से भुगतान करना होगा :

माध्यमिक पाठ्यक्रम हेतु	**रु. 720/- प्रति विषय**
उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम हेतु	**रु. 720/- प्रति विषय**

(ग) अध्ययन केन्द्र/एआई में परिवर्तन

शिक्षार्थी अपने अध्ययन केन्द्र/एआई बहुत ध्यान से चुनें। यदि कोई शिक्षार्थी अपना अध्ययन केन्द्र एक केन्द्र से दूसरे केन्द्र में परिवर्तित करना चाहता/चाहती है तो शिक्षार्थी उचित कारण देते हुए, उपयुक्त दस्तावेज़ों के साथ-साथ 400/- रुपये (चार सौ रुपए केवल) की अतिरिक्त राशि का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करें। इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश वेबसाइट (www.nios.ac.in) पर दिए गए हैं।

(घ) दस्तावेज़ों की दूसरी प्रति जारी करना

(ड.) पाठ्यक्रम सामग्री की आवश्यकता

(च) नाम, पिता का नाम, माता का नाम अथवा अभिभावक के नाम में थोड़ा सा संशोधन।

(च) शिक्षार्थी के नाम में परिवर्तन

(छ) जन्म तिथि, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, अभिभावक के नाम में संशोधन

(ज) टीओसी माध्यम में परिवर्तन आदि।

2.11 आपके एआई/अध्ययन केन्द्र के बारे में

प्रवेश के समय शिक्षार्थी द्वारा चुनी गई प्रत्यायित संस्थाएँ (अर्थात् अध्ययन केन्द्र) आपको निम्नलिखित सेवाएँ **बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के** प्रदान करेंगी :

- एनआईओएस के नियमानुसार एआई द्वारा सिद्धांत के लिए कुल मिलाकर 30 व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रमों (पीसीपी) और पाँच प्रायोगिक कक्षाओं का आयोजन। **शिक्षार्थी पीसीपी की समय सूची जानने के लिए अपने अध्ययन केन्द्र जाएँ अथवा एनआईओएस की वेबसाइट पर देखें।** फिर भी शिक्षार्थी अपनी विषय संबंधी प्रश्नों के समाधान के लिए lsc@nios.ac.in पर ई-मेल कर सकते हैं।
- अनुशिक्षकों द्वारा कार्यों का मूल्यांकन।
- पाठ्यक्रम से संबंधित आपकी समस्याओं/प्रश्नों को सुलझाने के लिए परामर्श।
- शुल्क के भुगतान की तिथियाँ, परीक्षा तिथियाँ और परीक्षा केन्द्र तथा अन्य महत्त्वपूर्ण सूचना प्रदान करना।

2.12 केवल ई-सेवाओं के माध्यम से प्रवेश रिकॉर्डों में संशोधन के लिए प्रक्रिया

➤ एनआईओएस द्वारा किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश की पृष्टि एक ऑनलाइन पहचान पत्र जारी करके की जाती है जैसे शिक्षार्थियों का नाम, जन्म तिथि, चुने गए विषय आदि। ये विवरण वही हैं जो शिक्षार्थियों ने एनआईओएस में प्रवेश के समय भरे थे। शिक्षार्थियों से अनुरोध है कि वे निम्न में अपने विवरण तुरंत जांच लें :-

(i) वेबसाइट में शिक्षार्थियों के कोने में

(ii) प्रवेश की पुष्टि के लिए ई-मेल प्राप्त होने पर

(iii) ऑनलाइन पहचान पत्र प्राप्त करते हुए।

यदि शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत विवरण, पते, फोटो आदि में कोई अनियमितता है तो इसे ई-सेवाओं द्वारा संशोधित कराया जाए।

- प्रवेश के आंकड़ों में संशोधन के लिए दस्तावेजी प्रमाण के साथ आवेदन पर शिक्षार्थी के प्रथम परीक्षा में बैठने से पहले पंजीकरण की तिथि से 3 वर्षों में विचार किया जाएगा। यद्यपि, यह वांछित है कि यदि कोई संशोधन हो, उनका अनुरोध इस प्रकार किया जाए कि परीक्षा में बैठने के लिए प्रवेश पत्र जारी होने से पहले संशोधन किया जा सके जिससे जारी उत्तीर्ण दस्तावेजों पर सही विवरण हो।
- पंजीकरण की तिथि से 3 वर्षों के बाद और परीक्षा में बैठने के बाद संशोधन का कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- दस्तावेज़ की संशोधित प्रति में उपर्युक्त संशोधन के लिए एनआईओएस के नियमानुसार लागू शुल्क भी लिया जाएगा जो ऑनलाइन लिया जाएगा।
- रिकॉर्ड में संशोधन के लिए अनुरोध करने के समय 'अद्यतन संशोधन नियम' लागू होंगे।
- कृपया ध्यान दें कि संशोधित एवं सही किए गए दस्तावेज़ तभी जारी किए जाएंगे जब आपने अपने आवेदन और निर्धारित शुल्क के साथ एनआईओएस द्वारा जारी त्रुटिपूर्ण विवरण के साथ मूल दस्तावेज़ (अंक सूची, माइग्रेशन अथवा अनंतिम प्रमाणपत्र अथवा अंतिम प्रमाणपत्र) जमा किए होंगे।

प्रवेश रिकॉर्ड में संशोधन के लिए शुल्क

क्र.सं.	संशोधन की प्रकृति	राशि
1	प्रवेश के पश्चात शिक्षार्थी के नाम/पिता के नाम/माता के नाम/अभिभावक के नाम में संशोधन	100/-
2	शिक्षार्थी की जन्मतिथि में संशोधन	100/-
3	शिक्षार्थी के नाम/पिता के नाम/माता के नाम/अभिभावक के नाम में परिवर्तन	200/-
4	शिक्षार्थी की जन्म तिथि में परिवर्तन (नियमानुसार)	200/-
5	फोटो में परितर्वन	100/-
6	शिक्षार्थी के पते में परिवर्तन	100/-
7	अध्ययन केन्द्र में परिवर्तन	400/-
8	क्रेडिट स्थानांतरण शुल्क (प्रति विषय)	150/-
9	पंजीकरण के पश्चात टीओसी के लिए अनुरोध करने के मामले में (नियमानुसार) क्रेडिट स्थानांतरण शुल्क (प्रति विषय)	500/-
10	टीएमए (प्रति विषय) जमा करने के लिए विलंब शुल्क	1500/-
11	दूसरी बार जारी किए गये पहचान पत्र की दूसरी प्रति	500/-
12	*प्रायोगिक/सिद्धांत परीक्षा आरंभ होने से पहले सार्वजनिक परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र के साथ-साथ जब चाहो तब परीक्षा के परीक्षा केंद्र में परिवर्तन	1500/-

नोट : इसके अतिरिक्त शिक्षार्थियों को **भाग 4.5** में उल्लिखित एनआईओएस के नियमानुसार संशोधित/नवीकृत दस्तावेज़ों की दूसरी प्रति के शुल्क का भुगतान करना भी आवश्यक है।

* अत्यंत कठोर परिस्थितियों तथा शिक्षार्थियों की अपरिहार्य कारणों के कारण यदि आवश्यक हो तो, एनआईओएस की सार्वजनिक/प्रायोगिक परीक्षाओं के आरंभ होने से पहले ही क्षेत्र में ही अंदर परीक्षा केंद्र में परिवर्तन के साथ-साथ क्षेत्र के बाहर परीक्षा केंद्र में परिवर्तन के लिए मूल्यांकन विभाग द्वारा निदेशक (मूल्यांकन), एनआईओएस के अनुमोदन से संस्तुति की गई हो।

शिकायतों/समस्याओं के लिए संपर्क का पता

यह माना है कि एनआईओएस में पढ़ाई के दौरान शिक्षार्थी को कोई समस्या अथवा शिकायत नहीं होगी। फिर भी शिक्षार्थी के समक्ष कोई समस्या आने पर वह अपने अध्ययन केन्द्र (एआई) अथवा क्षेत्रीय केन्द्र से संपर्क कर सकता/सकती है। (परिशिष्ट 'क' देखें)।

आपकी किसी समस्या/शिकायत का निवारण अध्ययन केन्द्र अथवा क्षेत्रीय केन्द्र द्वारा नहीं किया जाता, तो कृपया इस पते पर लिखें :

निदेशक (विद्यार्थी सहायता सेवाएँ)
राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान,
ए-24-25, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर-62, नोएडा, उ.प्र.-201309
अथवा lsc@nios.ac.in पर ई-मेल करें अथवा
टोल फ्री नं. 1800-180-9393 पर फोन करें

एनआईओएस की वेबसाइट पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न भी उपलब्ध हैं।

3

एनआईओएस में अध्ययन प्रक्रिया

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान में शिक्षार्थी को स्वयं अध्ययन करना है अर्थात् वह स्वयं सीखने वाला/वाली है। यहाँ वह अपनी गति और सुविधा से अध्ययन कर सकता/सकती है। अध्ययन प्रक्रिया में स्व-अध्ययन मुद्रित सामग्री पढ़ना, ऑडियो और वीडियो कार्यक्रमों को सुनना और देखना, अध्ययन केन्द्र में व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रमों में उपस्थित होना और शिक्षक अंकित मूल्यांकन कार्य करना शामिल हैं जिनका मूल्यांकन किया जाता है। एनआईओएस मुख्यालय द्वारा पूरी अध्ययन सामग्री डिजाइन की जाती है और तैयार करके सीधे शिक्षार्थियों को भेजी जाती है।

3. ऑन-लाइन स्ट्रीम-1 के द्वारा प्रवेश

3.1 स्व-अध्ययन सामग्री

नोट

पाठ्यक्रम शुल्क में अध्ययन सामग्री का मूल्य शामिल है। इसके लिए अलग से कोई भुगतान न करें।

शिक्षार्थी को उसके द्वारा दिए गए पते पर डाक द्वारा विभिन्न विषयों में विशेष रूप से तैयार मुद्रित अध्ययन सामग्री एवं सहायक सामग्री भेजी जाएगी।

शिक्षार्थी अपने आवेदन फॉर्म में डाक का सही पता अपलोड करें। अध्ययन सामग्री का पार्सल वापस आने पर सामग्री उसके आवास के पते पर पुन: भेजने के लिए उसे (क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/नेट बैंकिंग के माध्यम से) रु.100/- (सौ रुपये मात्र) का डिमांड ड्राफ्ट भेजना होगा। अध्ययन सामग्री के पुन: प्रेषण के लिए **सामग्री वितरण इकाई, द्वारा-सीडब्ल्यूसी, जी.टी. करनाल रोड, राणा बाग, दिल्ली-110033** को अनुरोध भेजें।

3.2 व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम (पीसीपी)

नोट

पीसीपी कक्षाओं के लिए एआई को अलग से भुगतान न करें।

एनआईओएस में प्रावधान है कि प्रवेश के प्रथम वर्ष में एआई (अध्ययन केन्द्र) द्वारा **एक परिचय सत्र** और सिद्धांत वाले विषयों के लिए प्रति विषय अधिकतम **30 पीसीपी सत्र** तथा प्रयोग वाले विषयों में 5 अतिरिक्त सत्र आमने-सामने आयोजित किए जाएंगे। ये पाँच (05) पीसीपी प्रयोग सत्र पढ़ाई करने और रचनात्मक मूल्यांकन के लिए प्रयोग किए जाएंगे। रचनात्मक आकलन (05 प्रयोग कक्षाएँ) के लिए अंकों का 50% अंकभार दिया जाएगा और योगात्मक मूल्यांकन के लिए छठी प्रयोग कक्षा (अंतिम) के लिए 50% अंक दिए जाएंगे। ये पीसीपी सत्र संबंधित अध्ययन केंद्र (एआई) में ब्लॉक-I के लिए नवंबर से और ब्लॉक-II के लिए मई से आयोजित किए जाएंगे।

आंतरिक मूल्यांकन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश वेबसाइट पर दिए गए हैं। शिक्षार्थियों को सलाह दी जाती है कि दिशा-निर्देश ध्यानपूर्वक पढ़ें।

संपर्क सत्र पाठ्यक्रम पूरा करने के उद्देश्य से नहीं हैं। **औपचारिक शिक्षा प्रणाली की तरह परम्परागत ढंग से कक्षा में पढ़ाई करने की उम्मीद न रखें।** वहाँ शिक्षक शिक्षार्थी की सहायता करने, पीसीपी सत्रों के दौरान आने वाली समस्याओं का समाधान एवं शिक्षार्थियों के मार्गदर्शन के लिए हैं। यह शिक्षार्थियों के हित में होगा कि वे सभी संपर्क कक्षाओं में उपस्थित हों। ***प्रयोग वाले विषयों में पाँच प्रायोगिक सत्रों में उपस्थिति अनिवार्य है।***

3.3 ऑडियो और वीडियो कार्यक्रम

एनआईओएस ने अध्ययन में सहायता के लिए शैक्षिक और व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों से संबंधित विभिन्न ऑडियो और वीडियो (एवी) कार्यक्रम तैयार किए हैं। एनआईओएस ने सामान्य प्रकृति के कुछ ऑडियो और वीडियो कार्यक्रम भी तैयार किए हैं।

ऑडियो/वीडियो डीवीडी का विक्रय : अधिकांश ऑडियो और वीडियो कार्यक्रम अब विक्रय के लिए क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/नेट बैंकिंग के माध्यम से रु. 100/- की दर पर ऑडियो सीडी और डीवीडी में उपलब्ध हैं। एनआईओएस वेबसाइट पर मीडिया कार्यक्रमों के अंतर्गत ऑडियो/वीडियो फोल्डर उपलब्ध है। शिक्षार्थी ये कार्यक्रम निम्नलिखित पते से खरीद सकता/सकती है **: सामग्री वितरण इकाई, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, मार्फत सीडब्ल्यूसी, करनाल रोड, राणा प्रताप बाग, स्टेट बैंक कॉलोनी के सामने, दिल्ली-110033 फोन 011-27416329/27462690 अथवा संयुक्त निदेशक (मीडिया), ए-24-25, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर-62, नोएडा-201309, फोन नं. : 0120-4089837,** अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट **www.nios.ac.in** देखें।

3.4 मुक्त विद्या वाणी

एनआईओएस शिक्षार्थियों के हित के लिए वेब पर आधारित पीसीपी कार्यक्रम भी चलाता है।

मुक्त विद्या वाणी भारत में अनोखा शैक्षिक वेब रेडियो है। शैक्षिक उद्देश्यों के लिए स्ट्रीमिंग ऑडियो का उपयोग करने के लिए एनआईओएस का यह एक अग्रणी नवाचार है। यह 19 जुलाई, 2012 को आरंभ हुआ था। यह एनआईओएस मुख्यालय में स्थित अपने स्टूडियो से इंटरनेट कनेक्शन तक पहुँचने वाले किसी भी श्रोता के साथ दो तरफा संपर्क करने में सक्षम है। इसने एक प्रयोग से आरंभ होकर विश्वभर में विशेष रूप से मुक्त दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) के परिप्रेक्ष्य में एक प्रभावशाली और लोकप्रिय मंच बनने की महत्वपूर्ण यात्रा में एक मील का पत्थर तय किया है।

मुक्त विद्या वाणी कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य मुद्रित पाठ्य सामग्री के अतिरिक्त वेब स्ट्रीमिंग के माध्मम से पढ़ने वाले माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के शिक्षार्थियों को सशक्त करना है। यह 24×7 लाइव/सीधे व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम (पीसीपी)है।

समय :	सोमवार - शुक्रवार	सायं 2.00 - 5.00 बजे
	शनिवार एवं रविवार	प्रात: 10.30 - सायं 12.30 बजे
	राजपत्रित अवकाश	प्रात: 10.30 - सायं 01.30 बजे

शिक्षार्थी हमसे टॉल फ्री - 1800-180-2543 एवं लैंड लाइन 0120-4626949 पर संपर्क कर सकता/सकती है।

3.4.1 कम्युनिटी रेडियो

एनआईओएस का कम्युनिटी रेडियो कार्यक्रम 25 दिसंबर 2015 को प्रारंभ हुआ। यह एफएम 91.2 मेगाहर्ट्ज पर उपलब्ध है। इस शैक्षिक कार्यक्रम से एनआईओएस के शिक्षार्थी लाभांवित हुए हैं।

सूचना एवं प्रसार मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार एनआईओएस के कम्युनिटी रेडियो कार्यक्रम का लक्ष्य एनआईओएस में पीसीपी कार्यक्रम सामुदायिक स्तर पर गरीबी, सामाजिक भेदभाव, दरकिनार किए गए, ग्रामीण समूहों को सशक्त करना, लोकतांत्रिक प्रक्रियाएँ, विकास प्रयत्न जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों को संबोधित करना है और समुदाय के किसी सदस्य को कार्यक्रम के निर्माण में अभिव्यक्ति करने और हिस्सा लेने, स्टेशन के प्रबंधन का कार्य करना है।

3.5 शिक्षक अंकित मूल्यांकन कार्य

पढ़ाई के दौरान शिक्षार्थी को अपनी प्रगति की जाँच के लिए अनुशिक्षक अंकित मूल्यांकन कार्यों (टीएमए) को गंभीरतापूर्वक लेना चाहिए। **ये लिखित कार्य शिक्षार्थियों के सतत मूल्यांकन का अंग होंगे** और पीसीपी में शिक्षार्थियों को हिस्सा लेने

के लिए प्रोत्साहित करने वाला शैक्षिक उपकरण का कार्य करेंगे और शिक्षार्थियों और अध्ययन केंद्रों के शिक्षकों के बीच अच्छे संबंध विकसित करने में सहायक होंगे। प्रत्येक विषय में केवल एक मूल्यांकन कार्य है। **शिक्षार्थी अपने मूल्यांकन कार्य समय पर जमा कराएं।** अधिक जानकारी के लिए कृपया अध्याय-5 और वेबसाइट पर दिए गए 'दिशा-निर्देश' भी देखें।

3.6 स्ट्रीम 2, 3 और 4 के अंतर्गत ऑन-लाइन प्रवेश के बारे में महत्त्वपूर्ण जानकारी

- स्ट्रीम 2, 3 तथा 4 में ऑन-लाइन प्रवेश प्रक्रिया विशेषकर उन शिक्षार्थियों के लिए बनाई गई है जो अध्ययन पाठ्यक्रम पहले ही पूर्ण कर चुके हैं लेकिन एनआईओएस की परीक्षाओं को पहले से उपलब्ध अवसरों के आधार पर देना चाहते हैं। अतः एनआईओएस स्ट्रीम 2, 3 तथा 4 के अंतर्गत प्रवेश लेने वाले शिक्षार्थियों को निम्नलिखित सुविधाएँ उपलब्ध नहीं करायेगा :
    - अध्ययन सामग्री,
    - व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम (पीसीपी) तथा
    - अनुशिक्षक अंकित मूल्यांकन कार्य (टीएमए)
- तदनुसार, एनआईओएस इन तीनों स्ट्रीमों के शिक्षार्थियों से पूरे पाँच वर्ष की नामांकन अवधि के दौरान अध्ययन सामग्री, पीसीपी के आयोजन तथा मूल्यांकन कार्य के लिए कोई शुल्क नहीं ले रहा है। फिर भी, इसके अंतर्गत शामिल शिक्षार्थी एनआईओएस के वेबसाइट (**www.nios.ac.in**) द्वारा अध्ययन सामग्री डाउनलोड कर सकते हैं अथवा क्षेत्रीय केन्द्रों अथवा सामग्री वितरण इकाई (एमडीयू), दिल्ली से (**तालिका-6 क के अनुसार**) ऑन-लाइन भुगतान करके प्राप्त कर सकते हैं।
- जो शिक्षार्थी अल्पकालिक सूचना पर एनआईओएस परीक्षा में बैठने का निर्णय लेता/लेती है उसे अनिवार्य रूप से प्रवेश के समय ही परीक्षा शुल्क जमा कराना होगा और ऑन-लाइन प्रवेश के समय ही परीक्षा फॉर्म/सूचना भरनी होगी।
- प्रवेश के समय शिक्षार्थी को अपने सभी चुने हुए विषयों का उल्लेख प्रवेश फॉर्म में करना होगा जिनमें वे परीक्षा देना चाहता/चाहती हैं यदि टीओसी की आवश्यकता है तो उससे संबंधित विवरण भी देना होगा।
- स्ट्रीम-2 के शिक्षार्थी को परीक्षा में 09 (नौ) बार बैठने, विषय परिवर्तन आदि जैसे अन्य सुविधाएँ दी जाएंगी। फिर भी, शिक्षार्थी प्रवेश की वैधता के अंदर 'जब चाहो तब परीक्षा' प्रणाली (ओड्स) के माध्यम से (माह में केवल एक बार) कितनी ही बार परीक्षा में बैठने के लिए स्वतंत्र है।
- विषय परिवर्तन के लिए विवरणिका के अध्याय 2 पैरा 2.10 (ख) में दिए गए एनआईओएस नियम लागू होंगे।
- प्रत्येक शिक्षार्थी को भेजी गयी अध्ययन सामग्री की स्थिति एनआईओएस वेबसाइट www.nios.ac.in पर देखी जा सकती है। जानकारी प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थी एनआईओएस के टॉल फ्री नं 1800-180-9393 का प्रयोग भी कर सकते हैं।
- एक स्ट्रीम विशेष के अंतर्गत एक बार प्रवेश की पुष्टि होने के बाद शिक्षार्थी आगे की अवधि में प्रवेश का स्ट्रीम नहीं बदल सकता/सकती।

4 मूल्यांकन प्रणाली

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान की मूल्यांकन प्रणाली में कुछ महत्त्वपूर्ण विशेषताएँ हैं। सार्वजनिक परीक्षाओं में संविधान द्वारा अधिसूचित किसी भी क्षेत्रीय भाषा में प्रश्नों के उत्तर लिखने की स्वतंत्रता, यद्यपि प्रश्नपत्र सामान्य तौर पर अंग्रेजी और हिंदी या उपलब्ध क्षेत्रीय माध्यम में ही दिए जाएँगे। सूचना पत्र और प्रमाणपत्र पर शिक्षार्थियों की स्कैन की गई फोटो होती है। परीक्षा केन्द्रों तथा परिणामों के बारे में जानकारी एनआईओएस वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाती है। इनके अतिरिक्त, एनआईओएस परीक्षा प्रणाली की प्रामाणिकता और स्तर को बनाए रखने के कुछ नए प्रयोग कर रहा है। पंजीकृत शिक्षार्थियों के लिए माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर 'जब चाहो तब परीक्षा प्रणाली', इसी प्रकार का एक महत्वपूर्ण नवाचार है।

4.1 सार्वजनिक परीक्षाएँ

सार्वजनिक परीक्षाएँ वर्ष में दो बार अप्रैल-मई और अक्तूबर-नवंबर में एनआईओएस द्वारा निर्धारित तिथियों पर होती हैं। हालांकि, शिक्षार्थी भी माध्यमिक स्तर और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर केवल उन्हीं विषयों में जब चाहो तब परीक्षा प्रणाली (ओड्स) दे सकते हैं जिनमें शिक्षार्थी ने एनआईओएस में प्रवेश लिया है।

नोट

उत्तर लिखने के लिए परीक्षार्थी को 32 पृष्ठों की केवल एक उत्तर पुस्तिका दी जाएगी। कोई अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका नहीं दी

नोट

यदि आपने निर्धारित तिथियों में परीक्षा शुल्क जमा किया है तभी आपको परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी।

(क) स्ट्रीम-I तथा स्ट्रीम-II से अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों को ऑन लाइन के माध्यम से प्रवेश हेतु सार्वजनिक परीक्षा के लिए नामांकन

एनआईओएस की परीक्षा में बैठने के लिए शिक्षार्थी को संबंधित अध्ययन केंद्र (एआई) के माध्यम से नीचे दी गई निर्दिष्ट तिथियों पर परीक्षा फॉर्म भर कर पंजीकरण कराना होगा तथा **तालिका-7** के अनुसार परीक्षा शुल्क जमा करना होगा :

i) **अप्रैल-मई परीक्षाएं**

नए और पिछली परीक्षाओं में असफल शिक्षार्थियों के लिए

- 21 नवंबर से 20 दिसंबर (बिना विलंब शुल्क)

उन शिक्षार्थियों के लिए जो पिछली परीक्षा अर्थात् अक्तूबर की परीक्षाओं में असफल रहे हैं

- 01 दिसंबर से 20 दिसंबर (बिना विलंब शुल्क)

सभी शिक्षार्थियों के लिए

- 21 दिसंबर से 31 दिसंबर (रु. 100/- प्रति विषय विलंब शुल्क सहित)
- 01 जनवरी से 10 जनवरी (रु. 1500/- समेकित विलंब शुल्क सहित)

ii) **अक्तूबर-नवंबर परीक्षाएं**

नए और पिछली परीक्षाओं में असफल शिक्षार्थियों के लिए

- 21 मई से 20 जून (बिना विलंब शुल्क)

उन शिक्षार्थियों के लिए जो पिछली परीक्षा अर्थात् अप्रैल की परीक्षाओं में असफल रहे हैं

- 1 जून से 20 जून (बिना विलंब शुल्क)

सभी शिक्षार्थियों के लिए

- 21 जून से 30 जून (रु. 100/- प्रति विषय विलंब शुल्क सहित)
- 01 जुलाई से 10 जुलाई (रु. 1500/- समेकित विलंब शुल्क सहित)

शिक्षार्थी सार्वजनिक परीक्षाओं के लिए केवल ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। परीक्षा शुल्क का भुगतान/क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/नेट बैंकिंग द्वारा किया जा सकता है।

(ख) सार्वजनिक परीक्षा के लिए पंजीकरण

(i) एआईओएस की अप्रैल-मई और अक्तूबर-नवम्बर में आयोजित होने वाली सार्वजनिक परीक्षाओं में पंजीकरण के लिए शिक्षार्थी एनआईओएस की वेबसाइट www.nios.ac.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें।

(ii) शिक्षार्थी विषयों की सूची से विषयों के सही कोड भरें जिसमें वह उपस्थित होना चाहता/चाहती है।

ध्यान देने योग्य महत्त्वपूर्ण बिंदु

➤ **उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले शिक्षार्थी यह सुनिश्चित कर लें कि उच्चतर माध्यमिक स्तर पर प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए, माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के वर्ष से दो वर्ष का अंतर अवश्य हो।** यदि शिक्षार्थी का दो वर्ष का अंतर नहीं है तो वह आने वाली अप्रैल-मई और उसके बाद अक्तूबर-नवंबर की परीक्षाओं में अधिकतम चार विषयों की परीक्षा में ही बैठ सकता है। शेष विषयों की परीक्षा में बैठने के लिए वह तभी योग्य होगा जब दो वर्ष का अनिवार्य अंतराल पूरा हो जाएगा। दो वर्षों का अंतराल न होने पर उसका परीक्षा शुल्क पहले चार चुने गए विषयों में समायोजित किया जाएगा और यदि अन्य विषयों के लिए शुल्क का भुगतान किया गया है तो वह शुल्क लौटाया नहीं जाएगा।

➤ परीक्षा केन्द्र निश्चित करना एनआईओएस का विशेषाधिकार है। एनआईओएस द्वारा सामान्यत: जिला मुख्यालयों और उप-मंडल मुख्यालयों और एआई के नजदीक उपलब्ध जगहों पर परीक्षा केन्द्र निश्चित किए जाते हैं।

➤ कृपया अपने परीक्षा केन्द्र और परीक्षा तिथियों से संबंधित विवरण जानने के लिए परीक्षा आरंभ होने से दो सप्ताह पहले अपने संबंधित एआई से संपर्क करें अथवा एनआईओएस की वेबसाइट पर लॉग ऑन करें।

➤ सूचना पत्रों और प्रमाणपत्रों पर शिक्षार्थियों के फोटो स्कैन किए गए हैं। परीक्षा केंद्रों और परिणाम की सूचना एनआईओएस की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाती है।

➤ शिक्षार्थी को एनआईओएस द्वारा दिए गए परीक्षा केन्द्र पर ही परीक्षा में बैठना होगा। परीक्षा केन्द्रों के आबंटन से संबंधित संस्थान का निर्णय अन्तिम होगा।

➤ यदि शिक्षार्थी एनआईओएस द्वारा दिए गए परीक्षा केन्द्र के अतिरिक्त किसी अन्य केन्द्र से परीक्षा देता/देती है तो उसके परिणाम की घोषणा नहीं की जाएगी और उसका मामला अनुचित साधनों के प्रयोग के अंतर्गत माना जाएगा।

परीक्षा के दौरान विभिन्न रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए प्रावधान

- एक परीक्षा विशेष के लिए नामांकन के समय एक लिखित निवेदन के साथ एक सरकारी अस्पताल से चिकित्सा प्रमाणपत्र, जिसमें अक्षमता की प्रकृति और कितनी अक्षमता है, इसका उल्लेख होना आवश्यक है।
- लेखक का प्रावधान
- देखने में अक्षम अथवा विभिन्न प्रकार की अक्षमताओं वाले व्यक्तियों अथवा मानसिक पक्षाघात वाले शिक्षार्थियों के लिए एक घंटा अतिरिक्त समय की अनुमति दी जाएगी।
- आकस्मिक अस्वस्थता/दुर्घटना से ग्रस्त शिक्षार्थियों के लिए प्रावधान
- अलग बैठने की व्यवस्था
- हाथ/पैर अथवा हड्डी रोग संबंधी अक्षमता, ऑटिज्म, देखने में और सुनने में अक्षम, विभिन्न अक्षमताओं /मानसिक पक्षाघात, कुष्ठ रोग मुक्त शिक्षार्थियों के लिए अक्षमतानुसार सुविधाएँ

  विस्तृत जानकारी के लिए कृपया अध्याय 6 देखें।
- ये प्रावधान केवल सिद्धांत परीक्षा में उपलब्ध हैं, प्रायोगिक परीक्षाओं में नहीं।
- जब चाहो तब परीक्षा (ओडीई) के मामले में शिक्षार्थी को लेखक/लिपिक का प्रबंध करना होगा। फिर भी परीक्षा में केवल एक घंटा अतिरिक्त समय की अनुमति दी जाएगी और एनआईओएस की ओड्स परीक्षा में अन्य सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं।

4.2 जब चाहो तब परीक्षा प्रणाली (ओड्स)

यदि शिक्षार्थी माध्यमिक अथवा उच्चतर माध्यमिक स्तर के लिए पहले से ही पंजीकृत शिक्षार्थी है, तो उसके पास एनआईओएस की जब चाहो तब परीक्षा प्रणाली (ओड्स) द्वारा परीक्षा देने का विकल्प है। ओड्स के माध्यम से वह जब भी परीक्षा देने के लिए तैयार हो, वह अपनी इच्छा और तैयारी के अनुसार परीक्षा दे सकता है, बशर्ते परीक्षा केंद्र में स्थान उपलब्ध हो।

ओड्स के माध्यम से माध्यमिक स्तर पर परीक्षा देने के लिए उपलब्ध विषय हैं : हिन्दी (201), अंग्रेजी (202), संस्कृत (209), गणित (211), विज्ञान और प्रौद्योगिकी (212), सामाजिक विज्ञान (213), अर्थशास्त्र (214), व्यवसाय अध्ययन (215), गृह-विज्ञान (216), मनोविज्ञान (222), भारतीय संस्कृति एवं विरासत (223), चित्रकला (225), डाटा एंट्री ऑपरेशन्स (229)

ओड्स के माध्यम से उच्चतर माध्यमिक स्तर पर उपलब्ध विषय हैं : हिंदी (301), अंग्रेजी (302), संस्कृत (309), गणित (311), भौतिकी (312), रसायन विज्ञान (313), जीव विज्ञान (314), इतिहास (315), भूगोल (316), राजनीति विज्ञान (317), अर्थशास्त्र (318), व्यवसाय अध्ययन (319),लेखांकन (320), गृह विज्ञान (321), मनोविज्ञान (328), समाजशास्त्र (331), चित्रकला (332) और पर्यावरण विज्ञान (333) और डाटा एंट्री ऑपरेशन्स (336) तथा कानून का परिचय (338)।

उपर्युक्त विषयों के लिए 'जब चाहो तब परीक्षा' (माध्यमिक एवं उच्च. माध्यमिक), एनआईओएस, ए-31, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर-62, नोएडा-201309, जिला गौतम बुद्ध नगर (उ.प्र.) में (ii) एनआईओएस के सभी क्षेत्रीय केन्द्रों पर और (iii) पूरे भारत में निर्दिष्ट केंद्रीय विद्यालयों में आयोजित की जाती है।

जब चाहो तब परीक्षा (ओड्स) के लिए पंजीकरण

- जब चाहो तब परीक्षा (ओड्स) की सुविधा लेने के लिए शिक्षार्थी एनआईओएस का पंजीकृत शिक्षार्थी होना चाहिए तथा उसके पास नामांकन संख्या और एक वैध पहचान पत्र होना चाहिए;

- ओड्स के लिए पंजीकरण पहले से नामांकित शिक्षार्थियों के लिए केवल **ऑन-लाइन** के माध्यम से उपलब्ध है। इसकी प्रक्रिया जानने के लिए आप एनआईओएस की वेबसाइट www.nios.ac.in पर जाएँ (जब चाहो तब परीक्षा पर क्लिक करें और उसके बाद पूर्व शिक्षार्थियों के लिए ऑन-लाइन ओडीई पंजीकरण पर क्लिक करें);

- स्ट्रीम-1 के ब्लॉक-I और II के शिक्षार्थी अप्रैल/मई 2020 और अक्तूबर/नवंबर 2020 की सार्वजनिक परीक्षाओं के बाद ही ओडीई में ऑन-लाइन पंजीकरण करा सकते हैं;

- ओड्स में बैठने के लिए, शिक्षार्थी एनआईओएस द्वारा दिए गए पहचान पत्र के साथ-साथ फोटो सहित कोई अन्य पहचान के प्रमाण जैसे वाहन लाइसेंस, मतदान पहचान पत्र, पासपोर्ट इत्यादि अवश्य लाएं। साथ ही वह कंप्यूटर निर्मित ओडीई पंजीकरण के आवेदन की मुद्रित प्रति भी लाए;

- ओडीई के लिए परीक्षा शुल्क इस प्रकार है :-

  – माध्यमिक स्तर : रु. 500/- + रु. 200/- अतिरिक्त जिन विषयों में प्रयोग शामिल हैं

  – उच्च. माध्यमिक स्तर : रु. 500/- + रु. 200/- अतिरिक्त जिन विषयों में प्रयोग शामिल हैं

- शिक्षार्थी ओडीई के लिए संबंधित क्षेत्रीय केन्द्र अथवा एनआईओएस मुख्यालय (नोएडा) अथवा संबंधित केंद्रीय विद्यालय में बैठ सकता/सकती है। दिल्ली क्षेत्र के शिक्षार्थी ओडीएल परीक्षा के लिए एनआईओएस मुख्यालय, नोएडा में बैठ सकते हैं। विदेशी शिक्षार्थी एनआईओएस के किसी भी ओडीई केन्द्र में बैठ सकते हैं।

- 'जब चाहो तब परीक्षा' (ओड्स) के शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से किया जा सकता है।

- **जो शिक्षार्थी पूर्ण रूप से उत्तीर्ण होंगे उनकी अंक सूची और अन्य दस्तावेज़ अंक एवं स्थानांतरण इकाई, मूल्यांकन विभाग, एनआईओएस द्वारा मुद्रित किए जाएंगे और प्रत्येक शिक्षार्थी के पास भेजने के लिए उनके संबंधित क्षेत्रीय केन्द्र को भेजे जाएंगे। अन्य शिक्षार्थी जो अंक सूची लेना चाहते हैं वे ई-सेवा के माध्यम से ऑन-लाइन आवेदन करें और रु. 200/- का ऑनलाइन भुगतान करें**

- किसी विषय विशेष में एक ही महीने में दो बार ओडीई ऑन-लाइन पंजीकरण की अनुमति नहीं है।

- पंजीकरण में कोई भी समस्या होने पर, शिक्षार्थी **lsc@nios.ac.in** पर ई-मेल करें या 18001809393 डायल करें।

4.3 पास विषयों के अंकों को शामिल करना

4.3.1 शिक्षार्थी प्रवेश के पाँच वर्ष की वैध अवधि में नौ बार सार्वजनिक परीक्षाओं में बैठ सकता/सकती है। एनआईओएस आपके उत्तीर्ण किए गए संबंधित विषयों के क्रेडिट डाटा बेस में तब तक एकत्रित करता रहेगा, जब तक कि शिक्षार्थी प्रमाणपत्र हेतु आवश्यक विषयों में सफलता हासिल न कर लें। बेहतर शिक्षा एवं अच्छे परिणाम के लिए इस सुविधाजनक योजना का लाभ उठाइए।

संस्थान के विभिन्न पाठ्यक्रमों को समय-समय पर संशोधित करना आवश्यक हो जाता है। ऐसे मामले में जब चाहो तब परीक्षा के लिए एनआईओएस का निर्णय मान्य होगा।

4.3.2 आंशिक क्रेडिट

(क) अगर उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम का/की शिक्षार्थी किसी विषय की प्रयोग परीक्षा में पास हो जाता/जाती है और सिद्धांत परीक्षा में फेल हो जाता/जाती है, तो ऐसी स्थिति में उसकी प्रयोग परीक्षा के प्राप्तांक जमा कर लिए जायेंगे और अगली परीक्षा में वह सिद्धांत परीक्षा में ही भाग ले सकता/सकती है। परन्तु अगर वह अच्छे अंक प्राप्त करने के उद्देश्य से दोबारा प्रयोग परीक्षा में भी सम्मिलित होना चाहे तो सिद्धांत तथा प्रयोग दोनों परीक्षाओं में से अधिक प्राप्तांक ही परीक्षाफल में दर्शाये जायेंगे।

इसी प्रकार अगर शिक्षार्थी सिद्धांत परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाए और प्रायोगिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहता है तो सिद्धांत परीक्षा के प्राप्तांक आंशिक क्रेडिट में जमा रखे जायेंगे। दोनों स्थितियों में उसे सिद्धांत एवं प्रयोग परीक्षा दोनों का परीक्षा शुल्क जमा कराना होगा, भले ही वह किसी एक परीक्षा में सम्मिलित न हो।

नोट

एनआईओएस अपने शिक्षार्थियों को बोनाफाइड/स्थानांतरण/ विद्यालय छोड़ने/चरित्र/जन्म तिथि सम्बन्धी प्रमाणपत्र नहीं देता।

(ख) माध्यमिक परीक्षाओं में सिद्धांत एवं प्रयोग परीक्षा को एक ही इकाई में रखा गया है और शिक्षार्थी को दोनों के योग में उत्तीर्ण होना आवश्यक होता है। इसलिए पुनः परीक्षा देने की स्थिति में उसे सिद्धांत व प्रयोग दोनों परीक्षाओं में भाग लेना आवश्यक होता है।

4.4 अंकों की स्थिति में सुधार

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान शिक्षार्थी को उन विषयों में पुनः परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति देता है, जिनमें वह कम अंकों से उत्तीर्ण है तथा अंकों में सुधार करना चाहता है। परन्तु यह अवसर प्रवेश वर्ष में केवल एक बार दिया जाएगा।

शिक्षार्थी को इन परीक्षाओं के लिए सामान्य परीक्षाओं की तरह ही परीक्षा फार्म भरकर शुल्क जमा करना होगा। ऐसा अवसर आपको प्रवेश के वर्ष से पाँच वर्ष की अवधि में प्रत्येक विषय में मात्र एक बार ही दिया जा सकेगा।

जिन विषयों में प्रयोग शामिल हैं उनमें शिक्षार्थी को अंकों को सुधारने के लिए सिद्धांत व प्रयोग दोनों की परीक्षा देनी होगी। इन परीक्षाओं में उसके बेहतर प्राप्तांक को अंक सूची में दर्शाया जाएगा। यदि आपको पहले ही प्रमाणपत्र दिया जा चुका है तो आपको केवल अंकसूची जारी की जाएगी।

ओड्स के मामले में, शिक्षार्थी जब तक अपने अंकों से संतुष्ट न हों, तब तक परीक्षा दे सकता/सकती है। यद्यपि, शिक्षार्थी किसी विषय में एक ही महीने में दो बार ओड्स की परीक्षा नहीं दे सकता/सकती।

4.5 अंक सूची और प्रमाणपत्र जारी करना

परिणाम की घोषणा के बाद शिक्षार्थी को उसके एआई के माध्यम से उसके पते पर डाक द्वारा एक अंकसूची प्राप्त होंगे। अस्थायी और माइग्रेशन प्रमाणपत्र केवल सफल शिक्षार्थियों को ही दिया जाएगा। उत्तीर्ण प्रमाणपत्र परिणाम की घोषणा के लगभग छह माह बाद जारी किया जाएगा। सभी प्रमाणपत्र क्षेत्रीय केन्द्र द्वारा आपके पत्राचार के पते भेजे जायेंगे।

तालिका-7 : परीक्षा और अन्य विविध शुल्क

(i) माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक सार्वजनिक परीक्षाओं के लिए

शुल्क की प्रकृति	शुल्क की राशि
➢ परीक्षा शुल्क	= रु. 250/- प्रति विषय
➢ प्रयोग के लिए अतिरिक्त शुल्क उन विषयों के लिए जिनमें सिद्धांत एवं प्रयोग दोनों हैं	= रु. 120/- प्रति विषय
➢ परीक्षा के लिए विलंब शुल्क (अंतिम तिथि के बाद)	= रु. 100/- प्रति विषय
➢ केवल संबंधित क्षेत्रीय केन्द्र में निर्धारित तिथियों के बाद समेकित विलंब शुल्क (पैरा 4.1 देखें)	= रु. 1500/- प्रति विषय

(ii) अन्य विविध शुल्क

➢	उत्तीर्ण प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति	= रु. 200/-
➢	अस्थायी प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति	= रु. 200/-
➢	माइग्रेशन प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति	= रु. 200/-
➢	अंक सूची की दूसरी प्रति	= रु. 200/-
➢	पहचान पत्र की दूसरी प्रति	= रु. 100/-
➢	डाक खर्च (यदि सामग्री स्पीड पोस्ट से भेजी जानी है)	= रु. 50/-
➢	उत्तरपुस्तिका की पुन: जांच	= रु. 300/- प्रति विषय
➢	उत्तरपुस्तिका का पुन: मूल्यांकन (उच्चतर माध्यमिक परीक्षा)	= रु. 800/- प्रति विषय
➢	उत्तरपुस्तिका का पुन: मूल्यांकन (उच्चतर माध्यमिक स्तर पर जब चाहो तब परीक्षा)	= रु. 1000/- प्रति विषय
➢	एनआईओएस दस्तावेज़ों का सत्यापन (प्राइवेट कंपनियों और स्वयं शिक्षार्थियों के लिए)	= रु. 500/- प्रति दस्तावेज़
➢	शिक्षार्थी को उत्तर पुस्तिकाओं की फोटो प्रति जारी करना (माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक अथवा समकक्ष पाठ्यक्रम	= रु. 700/- प्रति उत्तर पुस्तिका
➢	विदेशी संस्थाओं/विश्वविद्यालयों (विदेश) के लिए एनआईओएस प्रमाणपत्रों का प्रतिलेखन/सत्यापन	= रु. 5000/-
➢	अंक सूची (संशोधित) — प्रवेश रिकॉर्ड के संशोधन के पश्चात	= रु. 200/–
➢	अस्थायी प्रमाणपत्र (संशोधित) — प्रवेश रिकॉर्ड के संशोधन के पश्चात	= रु. 200/–
➢	माइग्रेशन प्रमाणपत्र (संशोधित) — प्रवेश रिकॉर्ड के संशोधन के पश्चात	= रु. 200/–
➢	उत्तीर्ण प्रमाणपत्र (संशोधित) — प्रवेश रिकॉर्ड के संशोधन के पश्चात	= रु. 200/–

टिप्पणी:

(i) संशोधित दूसरे दस्तावेजों का शुल्क ऊपर लिखे अनुसार लिया जाएगा।

(ii) परीक्षा शुल्क सभी शिक्षार्थियों द्वारा दिया जाना अनिवार्य है।

(iii) परीक्षा शुल्क माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक परीक्षाओं के लिए समान है।

(iv) परीक्षा के लिए एक बार जमा किया गया शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा और न ही समायोजित किया जाएगा।

(v) अंक सूची, प्रमाण पत्र और माइग्रेशन प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति प्राप्त करने के लिए, ई-सेवा के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें।

(vi) अस्थायी प्रमाणपत्र, माइग्रेशन प्रमाणपत्र तथा अंक सूची की दूसरी प्रति में से कोई भी प्रमाणपत्र अतिशीघ्र प्राप्त करने के लिए निर्धारित शुल्क 400 रुपये/– प्रति प्रमाणपत्र है और ये दस्तावेज़ आपको आवेदन प्राप्त होने की तिथि से 48 घंटों के भीतर जारी किए जाएंगे। (निजी कंपनियाँ और शिक्षार्थी)

(vii) आवेदन प्राप्त होने की तिथि से 48 घंटों के अंदर अतिशीघ्र सत्यापन के लिए निर्धारित शुल्क प्रत्येक दस्तावेज़(जों)/प्रमाणपत्र(त्रों) के लिए रु.1000/– है।

(viii) स्पीड पोस्ट के माध्यम से दूसरे प्रमाणपत्र/दस्तावेज/पहचान पत्र के प्रेषण की आवश्यकता के मामले में शिक्षार्थी को शुल्क के साथ रु. 50/– अतिरिक्त प्रभार का भुगतान करना होगा।

(ix) प्रमाणपत्र प्राप्त शिक्षार्थी को पहचान पत्र की दूसरी प्रति नहीं दी जाएगी।

(x) प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति के मामले में, प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट का शपथ पत्र आवश्यक है।

यदि शिक्षार्थी अतिरिक्त विषय उत्तीर्ण किए हैं अथवा एक अथवा अधिक विषयों में बेहतर अंक लिए हैं तो ऐसी स्थिति में आपको कोई नया माइग्रेशन एवं उत्तीर्ण प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा। शिक्षार्थी को केवल एक अंकसूची दी जाएगी। **जब तक शिक्षार्थी पाठ्यक्रम पूरा नहीं करते तब तक शिक्षार्थी कोई माइग्रेशन प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा।**

नोट : यदि शिक्षार्थी सार्वजनिक परीक्षा/जब चाहो तब परीक्षा के परिणाम की घोषणा के बाद शिक्षार्थी परिणाम में कोई गलती पाता है तो उसे परिणाम की घोषणा के 30 दिनों के अंदर एनआईओएस द्वारा जारी त्रुटिपूर्ण दस्तावेज़ों के साथ संबंधित क्षेत्रीय केंद्र को आवेदन करना होगा। ऐसा न करने पर कोई निवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

4.6 प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए मानदण्ड

प्रमाणपत्र प्राप्त करने का मानदंड किसी विषय में उत्तीर्ण होने के लिए और माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रमों में प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए एनआईओएस द्वारा निर्धारित मानदंड (तालिका–8) में दिए गए हैं :-

तालिका-8 : प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए मानदण्ड

पाठ्यक्रम	एक विषय में उत्तीर्ण होने का मानदण्ड	प्रमाणपत्र प्राप्त करने का मानदण्ड
माध्यमिक पाठ्यक्रम (कक्षा दसवीं)	सार्वजनिक परीक्षा में कम से कम कुल 33% प्राप्तांक (सिद्धांत एवं प्रयोग दोनों में मिलाकर जहाँ लागू हो) आंतरिक मूल्यांकन में प्राप्त अंकसूची में अलग से दर्शाए जाएंगे।	कम से कम एक परन्तु अधिकतम दो भाषाओं सहित 5 विषयों में उत्तीर्ण।
उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम (कक्षा बारहवीं)	सार्वजनिक परीक्षा में कम से कम कुल 33% अंक के साथ-साथ सिद्धांत एवं प्रयोग में अलग से 33% प्राप्तांक आंतरिक मूल्यांकन में प्राप्त अंकसूची में अलग से दर्शाए जाएंगे।	कम से कम एक परन्तु अधिकतम दो भाषाओं सहित 5 विषयों में उत्तीर्ण।

नोट : अंकसूची, स्थानांतरण-सह-स्थानांतरण प्रमाणपत्र तथा अस्थायी प्रमाणपत्र जैसे तीन दस्तावेज़ सभी सफल शिक्षार्थियों को जारी किए जाएंगे। असफल शिक्षार्थियों को केवल अंक सूची जारी की जाएगी।

4.7 परीक्षा योजना : परीक्षा योजना संबंधी विवरण, जिसमें प्रत्येक विषय के प्रश्नपत्रों की संख्या, अधिकतम अंक और परीक्षा की अवधि संबंधी विवरण है, **तालिका-9** में दिया गया है।

तालिका 9 : परीक्षा योजना

क) माध्यमिक परीक्षा

क्र.सं.	कोड	विषय	प्रश्नपत्रों की संख्या	अधिकतम अंक	अवधि (घंटे)
	समूह क				
1.	201	हिंदी	1	100	3
2.	202	अंग्रेजी	1	100	3
3.	206	उर्दू	1	100	3
4.	209	संस्कृत	1	100	3
5.	203	बांग्ला	1	100	3
6.	204	मराठी	1	100	3
7.	205	तेलुगू	1	100	3
8.	207	गुजराती	1	100	3
9.	208	कन्नड़	1	100	3
10.	210	पंजाबी	1	100	3
11.	228	असमिया	1	100	3
12.	231	नेपाली	1	100	3
13.	232	मलयालम	1	100	3
14.	233	ओड़िया	1	100	3
15.	235	अरबी	1	100	3
16.	236	फारसी	1	100	3
17.	237	तमिल	1	100	3
18.	238	सिंधी	1	100	3
	समूह ख				
1.	211	गणित	(सिद्धांत) 1	85	2½
			(प्रयोग) 1	15	3
2.	212	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	(सिद्धांत) 1	85	2½
			(प्रयोग) 1	15	3
3.	213	सामाजिक विज्ञान	1	100	3
4.	214	अर्थशास्त्र	1	100	3
5.	215	व्यवसाय अध्ययन	1	100	3
6.	216	गृह विज्ञान	(सिद्धांत) 1	85	2½
			(प्रयोग) 1	15	3
7.	222	मनोविज्ञान	1	100	3
8.	223	भारतीय संस्कृति एवं विरासत	1	100	3
9.	224	लेखांकन	1	100	3
10.	225	चित्रकला	(सिद्धांत) 1	30	1½
			(प्रयोग) 1	70	3
11.	229	डाटा एंट्री आपरेशन्स(अं.)	(सिद्धांत) 1	40	2
			(प्रयोग) 1	60	2
12.	242	हिंदुस्तानी संगीत	(सिद्धांत) 1	40	2
			(प्रयोग) 1	60	2
13.	243	कर्नाटक संगीत	(सिद्धांत) 1	40	2
			(प्रयोग) 1	60	2
14.	245	वेद अध्ययन#	1	100	3
15.	246	संस्कृत व्याकरण#	1	100	3
16.	247	भारतीय दर्शन#	1	100	3
17.	248	संस्कृत साहित्य#	1	100	3

(क्र.सं. 5–18, समूह क:) इन विषयों की परीक्षा एक ही दिन और समय पर आयोजित की जाएगी।

(क्र.सं. 14–17, समूह ख:) भारतीय ज्ञान परम्परा#

ख) उच्चतर माध्यमिक परीक्षा

क्र.सं.	कोड	विषय	प्रश्नपत्रों की संख्या	अधिकतम अंक	अवधि (घंटे)
	समूह क				
1.	301	हिंदी	1	100	3
2.	302	अंग्रेजी	1	100	3
3.	306	उर्दू	1	100	3
4.	309	संस्कृत	1	100	3
5.	307	गुजराती	1	100	3
6.	303	बंगाली	1	100	3
7.	304	तमिल	1	100	3
8.	305	ओडिया	1	100	3
9.	310	पंजाबी	1	100	3
10.	341	अरबी	1	100	3
11.	342	फारसी	1	100	3
12.	343	मलयालम	1	100	3
	समूह ख				
1.	311	गणित	1	100	3
2.	321	गृह विज्ञान	(सिद्धांत) 1	80	3
			(प्रयोग) 1	20	3
3.	316	भूगोल	(सिद्धांत) 1	80	3
			(प्रयोग) 1	20	3
4.	318	अर्थशास्त्र	1	100	3
5.	319	वाणिज्य/व्यवसाय अध्ययन	1	100	3
6.	328	मनोविज्ञान	1	100	3
7.	332	चित्रकला	(सिद्धांत) 1	30	1½
			(प्रयोग) 3	70	6
8.	336	डाटा एंट्री कार्य	(सिद्धांत) 1	40	2
			(प्रयोग) 1	60	2
9.	345	वेद अध्ययन#	1	100	3
10.	346	संस्कृत व्याकरण#	1	100	3
11.	347	भारतीय दर्शन#	1	100	3
12.	348	संस्कृत साहित्य#	1	100	3
	समूह ग*				
13.	312	भौतिकी	(सिद्धांत) 1	80	3
			(प्रयोग) 1	20	3
14.	315	इतिहास	1	100	3
15.	333	पर्यावरण विज्ञान	(सिद्धांत) 1	80	3
			(प्रयोग) 1	20	3
16.	339	पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान	(सिद्धांत) 1	80	3
			(प्रयोग) 1	20	3
	समूह घ*				
17.	313	रसायन विज्ञान	(सिद्धांत) 1	80	3
			(प्रयोग) 1	20	3
18.	317	राजनीति विज्ञान	1	100	3
19.	335	जन संचार	(सिद्धांत) 1	80	3
			(प्रयोग) 1	20	3
20.	374	सेना अध्ययन	1	100	3
	समूह ड.*				
21.	314	जीव विज्ञान	(सिद्धांत) 1	80	3
			(प्रयोग) 1	20	3
22.	320	लेखांकन	1	100	3
23.	338	कानून एक परिचय	1	100	3
24.	375	सेना इतिहास	1	100	3
	समूह च*				
25.	330	कम्प्यूटर विज्ञान	(सिद्धांत) 1	60	3
			(प्रयोग) 1	40	2
26.	331	समाजशास्त्र	1	100	3
27.	337	पर्यटन	1	100	3
28.	373	शारीरिक शिक्षा एवं योग	(सिद्धांत) 1	70	3
			(प्रयोग) 1	30	3

(क्र.सं. 5–12, समूह क:) इन विषयों की परीक्षा एक ही दिन और समय पर आयोजित की जाएगी।

(क्र.सं. 9–12, समूह ख:) भारतीय ज्ञान परम्परा#

*** इन विषयों की परीक्षा एक ही दिन और समय पर आयोजित की जाएगी।**

प्रमाणपत्र में ''भारतीय ज्ञान परम्परा'' का उल्लेख माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक स्तर पर संस्कृत भाषा विषय के साथ उपयुक्त चार विषय सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर किया जाएगा। ये विषय केवल संस्कृत माध्यम में उपलब्ध हैं।

टिप्पणी (तालिका 9 समूह 'क' के लिए लागू)

मान्यता प्राप्त करने के लिए समूह क से न्यूनतम एक और अधिकतम दो भाषाएँ ली जा सकती हैं। फिर भी, तीसरी भाषा अतिरिक्त विषय के रूप में ली जा सकती है।

4.8 उत्तरपुस्तिका की पुन: जाँच

यदि एक शिक्षार्थी किसी सार्वजनिक परीक्षा में बैठा/बैठी है और वह अपने परिणामों से संतुष्ट नहीं है तो एनआईओएस उसे उसकी उत्तर पुस्तिकाओं की पुन: जाँच के लिए एक अवसर प्रदान करता है, जिसमें अंकों की पुन: गणना की जाती है और यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि प्रत्येक प्रश्न का मूल्यांकन किया गया है और प्राप्त अंकों का कुल योग सही है। ध्यान रखें कि **पुन: जांच के दौरान उत्तरों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जाता।** शिक्षार्थी परिणाम घोषित होने के ***15 दिनों के भीतर*** **किसी भी विषय की** उत्तरपुस्तिका की पुन: जाँच के लिए आवेदन कर सकता है। उत्तर पुस्तिका की जांच के लिए आवेदन ऑन-लाइन किया जाएगा। शिक्षार्थी **को प्रति विषय रु. 300/- (तीन सौ रुपए केवल) के निर्धारित शुल्क का भुगतान** क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/नेटबैंकिंग के माध्यम से करना होगा। पुन: जांच कार्य आपसे प्राप्त आवेदन प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर पूरा हो जाएगा। यह सुविधा केवल सिद्धांत के अंकों के लिए उपलब्ध है।

नोट

पुन: जाँच और पुन: मूल्यांकन के बाद के बाद **संशोधित (कम हुए अथवा अधिक हुए) अंक अंतिम होंगे एवं पुन: जांच/पुन: मूल्यांकन के लिए आवेदन करने वाले शिक्षार्थी/ शिक्षार्थियों को मान्य होंगे।** प्रायोगिक परीक्षा में कोई पुन: जांच अथवा पुन: मूल्यांकन उपलब्ध नहीं है।

4.8.1 उच्चतर माध्यमिक स्तर पर उत्तरपुस्तिका का पुन: मूल्यांकन

उच्चतर माध्यमिक स्तर पर उत्तर पुस्तिकाओं के पुन: मूल्यांकन के लिए शिक्षार्थी एनआईओएस सार्वजनिक परीक्षा का परिणाम घोषित होने के **15 दिनों के अंदर** किसी भी विषय के पुन: मूल्यांकन के लिए आवेदन कर सकते हैं। उत्तर पुस्तिका की जांच के लिए आवेदन ऑन-लाइन किया जाएगा। शिक्षार्थी को **प्रति विषय रु. 800/- (आठ सौ रुपए केवल) का निर्धारित शुल्क** क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/नेटबैंकिंग के माध्यम से करना होगा। के रूप में देना होगा। पुन: मूल्यांकन का कार्य आपसे प्राप्त आवेदन प्राप्ति के 45 दिनों के भीतर पूरा होगा। यह सुविधा केवल सिद्धांत के अंकों के लिए उपलब्ध है।

उच्चतर माध्यमिक स्तर पर ओड्स की उत्तरपुस्तिकाओं के पुन: मूल्यांकन के लिए : शिक्षार्थी एनआईओएस ओड्स परीक्षा परिणाम घोषित होने के ***15 दिनों के अंदर*** किसी भी विषय के पुन: मूल्यांकन के लिए आवेदन कर सकता है। आवेदन ऑनलाइन किया जाना चाहिए। **उच्चतर माध्यमिक स्तर पर ओड्स उत्तर पुस्तिकाओं के पुन: मूल्यांकन के लिए शिक्षार्थी को प्रति विषय 1000/-रु. (एक हजार रुपए केवल) का निर्धारित शुल्क** क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/नेटबैंकिंग के माध्यम से देना होगा। पुन: मूल्यांकन का कार्य आपसे प्राप्त आवेदन प्राप्ति के 45 दिनों के भीतर पूरा हो जाएगा।

4.9 अनुचित साधन (यूएफएम)

परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर शिक्षार्थी की परीक्षा रद्द कर दी जाएगी और उसे आगामी परीक्षाओं में बैठने से भी रोका जा सकता है यहाँ तक कि उसका प्रवेश भी रद्द किया जा सकता है। अनुचित साधनों के प्रयोग से संबंधित नियम सार्वजनिक परीक्षा की उत्तरपुस्तिका के दूसरे पृष्ठ पर छपे हैं। शिक्षार्थी उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़े। यदि शिक्षार्थी को यूएफएफ के लिए किसी अन्य स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा रोका गया है तो वह शिक्षार्थी एनआईओएस में भी प्रवेश लेने के योग्य नहीं होगा।

4.10 शिक्षा का स्तर और मान्यता

देश में स्कूल शिक्षा के तीन राष्ट्रीय बोर्ड हैं अर्थात् एनआईओएस, सीबीएसई और सीआईएससीई। एनआईओएस मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) के माध्यम से स्कूली शिक्षा प्रदान करता है, जहां अन्य दो बोर्ड प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा प्रदान करते हैं। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था है। इसे पूर्व-विश्वविद्यालय स्तर तक स्कूल शिक्षा कार्यक्रम चलाने, परीक्षा आयोजित करने, और उसके बाद प्रमाणपत्र देने का अधिकार प्राप्त है। जैसा कि सभी राष्ट्रीय/राज्य बोर्ड राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (एनसीईआरटी) द्वारा तैयार राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना का पालन कर रहे है, अत: सभी बोर्डों द्वारा दिए जाने वाले प्रमाणपत्र समकक्ष हैं। एनआईओएस के साथ भी ऐसा ही है। एनआईओएस द्वारा दिए गए प्रमाणपत्र उच्च शिक्षा, सरकारी नौकरियों और अन्य सभी कार्यों के लिए मान्य है।

4.11 सार्वजनिक परीक्षा/जब चाहो तब परीक्षा के परिणामों में संशोधन के लिए प्रक्रिया

किसी सार्वजनिक/जब चाहो तब परीक्षा के परिणाम में त्रुटि के मामले में शिक्षार्थी परिणामों की घोषणा के 30 दिनों के अंदर अपने क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक को संशोधन के लिए आवेदन कर सकता/सकती है। इसके बाद परिणामों में संशोधन के किसी निवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। रिकॉर्ड में संशोधन के लिए आवेदन हेतु प्रोफॉर्मा एनआईओएस वेबसाइट पर विद्यार्थी सूचना भाग के अंतर्गत उपलब्ध है।

4.12 एनआईओएस शिक्षार्थियों के लिए पुरस्कार और वजीफे

(i) "भूगोल में श्रेष्ठ अंकों के लिए सुश्री संतोष रस्तोगी पुरस्कार"

शैक्षिक वर्ष 2005 से उच्चतर माध्यमिक स्तर पर एनआईओएस के उत्तीर्ण शिक्षार्थियों के लिए एक पुरस्कार आरंभ किया गया जो **"भूगोल में श्रेष्ठ अंकों के लिए सुश्री संतोष रस्तोगी पुरस्कार''** है। **500/- रुपये के पाँच पुरस्कार** प्रत्येक वर्ष दिए जाएंगे।

यह पुरस्कार उन शिक्षार्थियों को दिया जाएगा जो वर्ष की अप्रैल-मई तथा अक्तूबर-नवंबर, की परीक्षाओं में उच्चतर माध्यमिक स्तर पर भूगोल के विषय में सर्वाधिक अंक प्राप्त करते हैं। इन दोनों परीक्षाओं के सर्वाधिक अंकों पर विचार किया जाएगा। यदि दो शिक्षार्थियों के सर्वाधिक अंक हैं तो जिस शिक्षार्थी के कुल अंक अधिक होंगे उसे यह पुरस्कार दिया जाएगा। यदि सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले शिक्षार्थी ने उस विषय में क्रेडिट स्थानांतरण कराया है तो दूसरे स्थान पर सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले शिक्षार्थी को पुरस्कार देने के लिए मान्य माना जाएगा।

(ii) "अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित मेधावी शिक्षार्थियों के लिए डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय वजीफा योजना" वजीफा योजना का क्रियान्वयन सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय के मार्ग दर्शन में डॉ. अम्बेडकर फॉउंडेशन द्वारा 1992 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित मेधावी छात्रों को मान्यता देने, प्रोत्साहन देने और सहायता देने के दृष्टिकोण से किया गया है। यह एक समय में दिया जाने वाला नकद पुरस्कार है जो शिक्षा बोर्ड/समिति द्वारा आयोजित दसवीं कक्षा की परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले तीन शिक्षार्थियों को दिया जाएगा। अनु. जाति और अनु. जनजाति के लिए अलग-अलग पुरस्कार होगा। यदि प्रथम तीन योग्य शिक्षार्थी बालिकाएँ न हों तो सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिका को एक विशेष पुरस्कार दिया जाएगा।

डॉ. अम्बेडकर वजीफे के लिए योग्यता मानदण्ड :

(i) शिक्षार्थी अनुसूचित जाति (अ.जा.) अथवा अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) का होना चाहिए।

(ii) पिछले वित्तीय वर्ष में सभी स्रोतों से हुई शिक्षार्थी के परिवार की आय एक लाख रुपये से कम होनी चाहिए।

(iii) शिक्षार्थी ने एनआईओएस सहित किसी भी मान्यता प्राप्त राज्य/अखिल भारतीय शिक्षा बोर्डों में से किसी एक की परीक्षा दी हो और माध्यमिक परीक्षा प्रमाणपत्रों में उसके कुल अंक 50% प्रतिशत से कम नहीं होने चाहिए।

5

आंतरिक मूल्यांकन
शिक्षक अंकित मूल्यांकन कार्य (टीएमए)

एनआईओएस ने शिक्षार्थियों को अच्छी तरह से सीखने में सहायता पहुँचाने और उन्हें सफल बनाने के लिए अनेक उपाए किए और रणनीतियाँ बनाईं। टीएमए उनमें से एक साधन है जो मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से शिक्षा प्रक्रिया में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। टीएमए शिक्षार्थियों को उसकी प्रगति एवं उपलब्धि जानने में सहायता पहुँचाता है और निरंतर पढ़ने की आदत विकसित करता है। साथ ही वह व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम (पीसीपी) के दौरान नैदानिक तथा उपचारात्मक रणनीति बनाने में सहायक होता है।

प्रत्येक विषय में शिक्षार्थी का आंतरिक मूल्यांकन एक अनुशिक्षक अंकित मूल्यांकन कार्य के माध्यम से किया जाता है। यह मूल्यांकन कार्य एक पुस्तिका के रूप में दिया जाएगा। एआई में विषय शिक्षक शिक्षार्थियों के मूल्यांकन कार्यों की जांच करेंगे और फीडबैक प्रदान करेंगे तथा सुधार के उपाय बताएँगे। मूल्यांकन कार्य एनआईओएस की वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया है। जहाँ से शिक्षार्थी उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं।

नोट

अध्ययन केन्द्र पर टीएमए जमा करने के लिए कोई अतिरिक्त भुगतान न करें।

माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में आंतरिक मूल्यांकन कार्य के लिए सिद्धांत परीक्षा में 20% अंकभार अंक निर्धारित किया गया है, जो कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के समान हैं। ये अंक सिद्धांत परीक्षा के प्रत्येक विषय में 80% अंकभार अंकों के साथ अंक सूची में दर्शाए जाएंगे। यह ऑन-लाइन प्रवेश के केवल स्ट्रीम-1 के अंतर्गत प्रवेश लेने वाले सभी शिक्षार्थियों पर लागू होगा। किसी विषय विशेष की सार्वजनिक परीक्षा में बैठने से पहले मूल्यांकन कार्य जमा करने होंगे। विषय में उत्तीर्ण होने के बाद मूल्यांकन कार्य स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

टीएमए स्ट्रीम II, III और IV के अंतर्गत पंजीकरण कराने वाले शिक्षार्थियों के लिए लागू नहीं है।

शिक्षार्थी अपने मूल्यांकन कार्य नीचे दी गई **तालिका '10'** की तिथियों के अनुसार अध्ययन केन्द्र में जमा करायें तथा जमा करने की रसीद प्राप्त करें। यदि प्रशासनिक कारणों से अध्ययन केन्द्र कार्य नहीं कर रहा हो अथवा बंद कर दिया गया हो तो वह निर्धारित तिथियों पर अपना टीएमए संबंधित क्षेत्रीय केन्द्र में जमा कराए। जिन विषयों में टीएमए लागू होता है उनकी सूची **तालिका-11** में दी गई है।

अति आवश्यक

सिद्धांत परीक्षा का 20% लाभ आंतरिक मूल्यांकन में दिया गया है। सार्वजनिक परीक्षा सिद्धांत परीक्षा के 80% शेष अंकों की होती है। जिन्होंने अपना टीएमए जमा नहीं किया है उन शिक्षार्थियों के परिणाम की घोषणा सार्वजनिक परीक्षा के आधार पर की जाती है।

तालिका (10) : अप्रैल/मई और अक्तूबर/नवंबर में आयोजित होनेवाली सार्वजनिक परीक्षा में बैठने के लिए मूल्यांकन कार्य जमा करने की तिथियाँ

सार्वजनिक परीक्षा	शिक्षार्थियों द्वारा एआई (अध्ययन केन्द्र) को मूल्यांकन कार्य जमा करना	शिक्षक/शैक्षिक विशेषज्ञ द्वारा शिक्षार्थियों को फीडबैक
अप्रैल/मई परीक्षा	31 जनवरी	15 फरवरी
अक्तूबर/नवंबर परीक्षा	31 जुलाई	16 अगस्त

यदि निर्धारित अंतिम तिथि को सार्वजनिक अवकाश/शनिवार/रविवार होगा तो इसके लिए अगले कार्यदिवस को स्वत: ही अंतिम तिथि माना जाएगा।

नोट : *यदि शिक्षार्थी शिक्षक अंकित मूल्यांकन कार्य समय रहते अध्ययन केंद्र में जमा नहीं कर पाता है तो वह शिक्षार्थी अंतिम तिथि समाप्त होने पर तथा परिणाम की घोषणा के पश्चात अप्रैल परीक्षा के लिए 15 जुलाई तक तथा अक्टूबर-नवंबर परीक्षा के लिए 15 जनवरी तक प्रत्येक विषय के लिए रु. 1500/- (एनआईओएस की वेबसाइट पर केवल ऑनलाइन द्वारा) के शुल्क के साथ संबंधित क्षेत्र केंद्र में **परिशिष्ट-क के अनुसार** अपने मूल्यांकन कार्य जमा करें।*

तालिका (11) : टीएमए के लिए विषयों की सूची

माध्यमिक स्तर			उच्चतर माध्यमिक स्तर		
क्र.सं.	**विषय कोड**	**विषय**	**क्र.सं.**	**विषय कोड**	**विषय**
1.	201	हिंदी	1.	301	हिंदी
2.	202	अंग्रेजी	2.	302	अंग्रेजी
3.	203	बंगाली	3.	303	बंगाली
4.	204	मराठी	4.	304	तमिल
5.	205	तेलुगू	5.	305	ओडिया
6.	206	उर्दू	6.	306	उर्दू
7.	207	गुजराती	7.	309	संस्कृत
8.	208	कन्नड़	8.	307	गुजराती
9.	209	संस्कृत	9.	310	पंजाबी
10.	210	पंजाबी	10.	341	अरबी
11.	228	असमी	11.	342	फारसी
12.	231	नेपाली	12.	343	मलयालम
13.	232	मलयालम	13.	311	गणित
14.	233	ओडिया	14.	312	भौतिकी
15.	235	अरबी	15.	313	रसायन विज्ञान
16.	236	फारसी	16.	314	जीव विज्ञान
17.	237	तमिल	17.	315	इतिहास
18.	238	सिंधी	18.	316	भूगोल
19.	211	गणित	19.	317	राजनीति विज्ञान
20.	212	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	20.	318	अर्थशास्त्र
21.	213	सामाजिक विज्ञान	21.	319	व्यवसाय अध्ययन
22.	214	अर्थशास्त्र	22.	320	लेखांकन
23.	215	व्यवसाय अध्ययन	23.	321	गृह विज्ञान
24.	216	गृह विज्ञान	24.	328	मनोविज्ञान
25.	222	मनोविज्ञान	25.	330	कम्प्यूटर विज्ञान
26.	223	भारतीय संस्कृति एवं विरासत	26.	331	समाजशास्त्र
27.	224	लेखांकन	27.	332	चित्रकला
28.	225	चित्रकला	28.	333	पर्यावरण विज्ञान
29.	229	डाटा एंट्री कार्य	29.	335	जन संचार
30.	242	हिंदुस्तानी संगीत	30.	336	डाटा एंट्री कार्य
31.	243	कर्नाटक संगीत	31.	337	पर्यटन
32.	245	वेद अध्ययन	32.	338	कानून का परिचय
33.	246	संस्कृत व्याकरण	33.	339	पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान
34.	247	भारतीय दर्शन	34.	345	वेद अध्ययन
35.	248	संस्कृत साहित्य	35.	346	संस्कृत व्याकरण
			36.	347	भारतीय दर्शन
			37.	348	संस्कृत साहित्य
			38.	373	शारीरिक शिक्षा एवं योग
			39.	374	सेना अध्ययन
			40.	375	सेना का इतिहास

6 एनआईओएस परीक्षाओं के संदर्भ में सामान्य तथा विशेष प्रावधान (अक्षमतानुसार)

दृष्टिहीनता, दृष्टिबाधिता, वाकबाधिता, गति अक्षमता और अन्य प्रकार की अक्षमता वाले जिन (अक्षमतानुसार) अक्षम शिक्षार्थियों को परीक्षा लिखने में कठिनाई होती है उनके लिए आवश्यकता के आधार पर लेखक, तकनीकी उपकरणों आदि की सुविधा का प्रावधान है। एनआईओएस की समय-समय पर अधिसूचित प्रक्रिया के अनुसार उनकी अक्षमताओं के आधार पर सामान्य सुविधाओं का प्रावधान है। स्पष्टता के लिए उपबंधित प्रावधानों को खण्डों तथा उप-खण्डों में परिभाषित किया गया है।

6.1 प्रक्रिया संबंधी आवश्यकताएँ

विकलांगता अधिनियम 1995 तथा राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 में निर्दिष्ट शिक्षार्थियों की अक्षमता तथा वे शिक्षार्थी जिन्हें अधिगम में विशेष परेशानियाँ हैं और वे विशेष सुविधाएँ प्राप्त करना चाहते हैं अथवा जिन्हें परीक्षा में कुछ विशेष सुविधाओं की आवश्यकता है उन्हें एनआईओएस के संबंधित क्षेत्रीय केंद्र को दिए गए प्रोफार्मा में एक आवेदन जमा करना आवश्यक है। एक उचित अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र दें जिसमें उसकी अक्षमता की प्रकृति तथा अक्षमता की सीमा दर्शाई गई हो। यह आवेदन परीक्षार्थी के माता-पिता या अभिभावक द्वारा परीक्षा पंजीकरण फार्म के साथ भरा जाएगा।

अक्षम शिक्षार्थियों के लिए निम्नांकित में से किसी के द्वारा जारी किया गया चिकित्सा प्रमाणपत्र प्राप्त करना आवश्यक है।

i) केंद्रीय अथवा राज्य सरकार के सरकारी अस्पताल द्वारा जारी अक्षमता प्रमाणपत्र।

ii) राष्ट्रीय स्तर के मान्यता प्राप्त संस्थानों जैसे नेशनल एसोसिएशन ऑफ ब्लाइंड, स्पैस्टिक, सोसायटी ऑफ इंडिया द्वारा जारी अक्षमता प्रमाणपत्र।

iii) संबंधित राज्यों के गैर-सरकारी संगठनों/भारतीय पुनर्वास परिषद् के साथ पंजीकृत चिकित्सकों/केंद्र सरकार/संबंधित राज्यों की राज्य सरकार द्वारा जारी अक्षमता प्रमाणपत्र।

परीक्षा में बैठने के दौरान शिक्षार्थी प्रमाणपत्र में दर्शाए अनुसार उत्तर पुस्तिका के ऊपर अपनी अक्षमता लिखें। इसे परीक्षा केंद्र के केंद्र अधीक्षक द्वारा सत्यापित किया जाएगा।

6.2 सामान्य प्रावधान

6.2.1 अतिरिक्त समय का प्रावधान

अक्षम शिक्षार्थियों के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता निर्धारित करने के लिए अक्षमताओं वाले सभी शिक्षार्थियों की स्थिति 6.1 में वर्णित अनुमोदित प्रक्रिया के अनुसार प्रमाणित की जाए।

i) लेखक द्वारा पढ़ने, प्रश्नपत्रों को समझने, लेखक को डिक्टेशन देते हुए लगातार बैठे रहने, थकान आदि की पूर्ति करने के लिए *प्रत्येक विषय की परीक्षा के लिए 20 मिनट प्रति घंटे का अतिरिक्त समय प्रदान किया जाएगा।*

ii) यदि 6.1 पर निर्दिष्ट चिकित्सा प्रमाणपत्र में उल्लिखित लघु अंतराल की आवश्यता हो तो *उपर्युक्त के अतिरिक्त दस मिनट प्रति घंटे के लघु अंतराल की अनुमति दी जाएगी।*

6.2.2 लेखक का प्रावधान

लेखक, रीडर, प्रयोगशाला सहायक की सेवाओं का लाभ केवल संबंधित विषय की आवश्यकतानुसार उठाया जा सकता है। निम्नलिखित श्रेणियों के शिक्षार्थी इस सुविधा के पात्र होंगे :

क. ऑटिज़्म से ग्रसित शिक्षार्थी

ख. मानसिक पक्षाघात

ग. मंदबुद्धि सहित दिमागी अक्षमता

घ. बहुविध अक्षमताएँ

ड. देखने में अक्षम, दृष्टि बाधित

च. बोलने तथा सुनने की कमी।

छ. पैरा 6.1 में उल्लिखित की प्रक्रिया के अनुसार प्रमाणित अन्य क्षमताओं वाले शिक्षार्थी, विशेष रूप से अधिगम में अक्षमताएँ जैसे डाइस्लेक्सिया, डाइस्ग्राफिया, डाश्स्कैलकुलिया, डायस्प्राक्सिया तथा स्वर विकास की अक्षमता।

- i) ऐसे शिक्षार्थी जिसे हाथ चलाने में कठिनाई हो और जिसे बोलने तथा सुनने में भी कठिनाई हो, वह चिन्ह भाषा समझने वाले विशेषज्ञ की मदद ले सकता है जो चिह्नों की भाषा समझते हों।
- ii) हाथ में चोट लगने पर शिक्षार्थी को लेखक की सुविधा दी जा सकती है।
- iii) अचानक बीमार होने के मामले में जहां अस्थायी प्रकृति की अक्षमता हो, लेखक की सेवा की अनुमति 6.1 में निर्धारित विधिवत प्रमाणित चिकित्सा प्रमाणपत्र देने के बाद दी जाएगी।
- iv) ऐसे अक्षम शिक्षार्थी जिसने लेखक की सुविधा का चयन किया है, यदि वह शिक्षार्थी इच्छुक है तो उसे चित्र आदि स्वयं बनाने की अनुमति दी जाए।
- v) अक्षम शिक्षार्थी को प्रायोगिक विषय की आवश्यकतानुसार प्रयोगशाला सहायक की सुविधा प्रदान की जाए।
- vi) अक्षम शिक्षार्थी को आवश्यकता पड़ने पर रीडर की सुविधा प्रदान की जाए।
- vii) यदि शिक्षार्थी को परीक्षा के दौरान परीक्षा हॉल में एक सहायक की आवश्यकता है तो आवेदन फॉर्म के साथ ही, दिए गए प्रोफार्मा में पूर्व आवेदन अवश्य जमा करें और अनुमति प्राप्त करें।
- viii) यदि शिक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में पहुंचने तथा उसकी सीट ढूंढने में सहायक की आवश्यकता है तो आवेदन फार्म के साथ दिए गए प्रोफार्मा में पहले ही आवेदन जमा करें और अनुमति प्राप्त करें।
- ix) विशेष मामलों में शिक्षार्थी को केवल प्रेरित करने तथा समर्थन के लिए उसके निकट संबंधी, सहायक अथवा संबंधित अध्यापक परीक्षा हॉल में उपस्थित हो सकते हैं। इसके लिए संबधित क्षेत्रीय निदेशक, क्षेत्रीय केंद्र, एनआईओएस से पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है।

नोट :

i) **लिपिक तथा लेखक** एक दूसरे के पर्याय हैं और इस कार्य के लिए प्रयोग किया जा रहा कोई अन्य नाम भी इसके लिए प्रयोग किया जा सकता है। इस दस्तावेज़ में इसके लिए लेखक का प्रयोग किया गया है।

ii) यदि आवश्यक हो तो, शिक्षार्थी को भिन्न विषयों के लिए भिन्न-भिन्न लेखकों का चयन करने की अनुमति है। शिक्षार्थी को स्पष्ट रूप से बताना होगा कि उसे किस भाषा में लेखक की आवश्यकता है।

iii) परीक्षा केंद्र परिसर में देखभाल करने वाले की प्रविष्टि हेतु आवेदन प्रोफार्मा, परीक्षा केद्र में और एनआईओएस वेबसाइट पर उपलब्ध है।

iv) लेखक/लिपिक का प्रबंध शिक्षार्थी द्वारा स्वयं किया जा सकता है अथवा केंद्र अधीक्षक द्वारा भी किया जा सकता है। अनुमोदन की प्रक्रिया तथा लेखकों की पात्रता इस अध्याय में निर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार होगी।

v) प्रयोगशाला सहायक की आवश्यक सहायता केवल केंद्र अधीक्षक द्वारा प्रदान की जाएगी।

6.2.2 *(क) एक लेखक के रूप में पात्रता*

i) लेखक, पाठक, प्रयोगशाला सहायक परीक्षार्थी का संबंधी नहीं होना चाहिए।

ii) लेखक किसी भी आयु अथवा कक्षा का विद्यार्थी हो सकता है।

iii) लेखक उसी विषय का नहीं होना चाहिए जिस विषय में शिक्षार्थी परीक्षा दे रहा है। फिर भी, यदि शिक्षार्थी और लेखक, पाठक, प्रयोगशाला सहायक एक ही विषय के हैं तो लेखक, पाठक, प्रयोगशाला सहायक की शैक्षिक योग्यता परीक्षा में बैठने वाले दिव्यांग शिक्षार्थी से कम से कम एक कक्षा कम होनी चाहिए।

iv) आपातकालीन अवस्था में लेखक, पाठक, प्रयोगशाला सहायक में परिवर्तन करने की सुविधा होगी। शिक्षार्थी की आवश्यकतानुसार विभिन्न विषयों में लिखने के लिए एक से अधिक लेखकों, पाठक, प्रयोगशाला सहायक की अनुमति होगी।

v) शिक्षार्थी परीक्षा से एक दिन पहले केंद्र अधीक्षक की उपस्थिति में लेखक से मिल भी सकता है।

vi) केंद्र अधीक्षक सुनिश्चित करेंगे कि दिव्यांग शिक्षार्थी को ये सुविधाएँ दी गई हैं और क्षेत्रीय निदेशक, क्षेत्रीय केंद्र, एनआईओएस को इसके पालन की सूचना देंगे। संबंधित परीक्षा केंद्र अधीक्षक जहां तक संभव हो, स्कूल से एक उपयुक्त व्यक्ति चुनेंगे और उनका नाम एवं फोटो संबंधित क्षेत्रीय केंद्र को शीघ्र ही भेजेंगे जिसके साथ शिक्षार्थी और लेखक, पाठक, प्रयोगशाला सहायक विवरण देते हुए पूरी रिपोर्ट विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ भेजेंगे।

6.2.2 *(ख) लेखक, पाठक, प्रयोगशाला सहायक, चिह्न भाषा का प्रयोग करने वाले दुभाषिए के लिए शुल्क*

(i) परीक्षा केन्द्र के अधीक्षक द्वारा प्रत्येक शिक्षार्थी (दिव्यांग) को परीक्षा के प्रत्येक सत्र के लिए लेखक को रु. 100/- का शुल्क दिया जाएगा। पाठक, प्रयोगशाला सहायक तथा चिह्न भाषा का प्रयोग करने वाले दुभाषिए को मानदेय, स्टाफ के 3.2.1 भुगतान नियमों के अनुसार किया जाएगा। 6.2.2 (iv के अतिरिक्त) श्रेणी के अंतर्गत आने वाले शिक्षार्थियों को किसी प्रभार/शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।

(ii) जो शिक्षार्थी अस्थायी अक्षमताओं के कारण लेखक की सुविधा का प्रयोग कर रहे हैं, उसका शुल्क वे स्वयं देंगे।

6.2.3 कम्प्यूटरों का प्रयोग

ऐसे शिक्षार्थी जिनके हाथ न्यूनतम कार्य करते हैं, देखने में अक्षम तथा दृष्ट बाधित, सीखने में अक्षम, मानसिक पक्षघात, ऑटिज्म तथा अन्य किसी अक्षमता वाले शिक्षार्थी को कम्प्यूटर प्रयोग करने की अनुमति दी जाएगी, यदि *वह संबंधित क्षेत्रीय निदेशक से पहले ही इसके लिए अनुरोध करते हैं।*

i) यदि वे कम्प्यूटर का प्रयोग करना चाहते हैं तो शिक्षार्थियों को सहायक उपकरणों सहित अपना कम्प्यूटर लाना होगा।

ii) उत्तर देने के लिए शिक्षार्थी को आवश्यक सॉफ्टवेयर (टैक्स्ट रीडिंग सॉफ्टवेयर सहित) भी लाना होगा।

iii) केंद्र अधीक्षक पर्याप्त बिजली आपूर्ति तथा कम्प्यूटर का प्रयोग करने वाले शिक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के मुद्रण के लिए प्रिंटर की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

नोट : केंद्र अधीक्षक को मशीनों की जांच करने का अधिकार है कि पहले से फीड की गई जानकारी मशीनों में न हो। *शिक्षार्थी को इन सब औपचारिकताएँ पूरी करने के लिए परीक्षा आरंभ होने से एक घंटा पहले रिपोर्ट करना होगा।*

केंद्र अधीक्षक हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर तथा रिमूवेबल स्टोरेज उपकरणों सहित आवश्यक कम्प्यूटरों की संख्या सुनिश्चित करेंगे।

6.2.4 बैठने की व्यवस्थाएँ तथा अन्य सहायता

क. यदि परीक्षा कक्ष में जाना संभव नहीं है तो व्हील चेयर का प्रयोग करने वाले एवं आने जाने में अक्षम शिक्षार्थियों को भूमि तल पर परीक्षा लिखने की सुविधा दी जाएगी।

ख. भवन में पहुँचना आसान तथा उचित रैम्प हो और अन्य सुविधाएँ उपलब्ध हों। केंद्र अधीक्षक अक्षम शिक्षार्थियों के लिए शौचालय की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे।

ग. केंद्र अधीक्षक निरीक्षण हेतु एक अलग परीक्षा कक्ष में अधिकतम चार शिक्षार्थियों के बैठने की व्यवस्था करेंगे जिसमें अलग से एक निरीक्षक होगा।

घ. फिर भी यदि आवश्यक हो तो, विशिष्ट अक्षमता वाले शिक्षार्थियों के लिए एक निरीक्षक सहित एक अलग कक्ष का प्रबंध किया जाएगा।

ड. परीक्षा कक्ष शोरगुल से दूर तथा पूर्ण रूप से प्रकाशमय और हवादार होना चाहिए।

6.2.5 केंद्र अधीक्षक अक्षमताओं वाले शिक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं का प्रिंट लेंगे और एक अलग लिफाफे में परीक्षार्थी की क्रम संख्या के अनुसार पैक करके एनआईओएस के संबंधित क्षेत्रीय कार्यलय को भेजेंगे। लिफाफे पर ''अक्षम शिक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिकाएँ'' लिखा होना चाहिए। तालिका 6.1 के अनुसार अक्षमता की श्रेणी इंगित करते हुए उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर एक अलग कॉलम दिया जाएगा।

तालिका सं. 6.1 विभिन्न अक्षमताओं के लिए बनाए गए कोड

क्र.सं.	दिव्यांगता की श्रेणी	कोड
1.	देखने में अक्षम	बी
2.	दृष्टि बाधित	एलवी
3.	गति/चलने में अक्षम	एल
4.	सुनने और बोलने में अक्षम	एचआई
5.	कुष्ठ उपचारित	एलसी
6.	मानसिक बीमारी	एमआई
7.	मानसिक पक्षघात	एमआर
8.	ऑटिज्म	ऑट
9.	प्रमस्तिष्क घात	सीपी
10.	बहु विध अक्षमताएँ	एमडी
11.	विशेष रूप से सीखने में अक्षम	एसएलडी

6.2.6 वंचितों की शिक्षा के लिए विशेष प्रत्यायित संस्थाएं (एसएआईईडी) के अंतर्गत पंजीकृत **विशेष आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों** के अध्ययन केन्द्र ही उनके परीक्षा केन्द्र भी होंगे। परीक्षा के दौरान एनआईओएस द्वारा तैनात निरीक्षक परीक्षा का आयोजन मॉनीटर करेंगे। संपर्क करने में आसानी हो, इसके लिए चुने हुए स्कूलों को विशेष शिक्षार्थियों के लिए परीक्षा केन्द्र बनाया जाएगा। यद्यपि एनआईओएस को शिक्षार्थियों के हित में तथा व्यवहार्यता को ध्यान में रखते हुए एसएआईईडी के अलावा किसी अन्य केंद्र के आबंटित का अधिकार है। फिर भी एसएआईईडी केंद्रों के अलावा अन्य केंद्र में परीक्षा में बैठने वाले अक्षम शिक्षार्थियों को सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

6.3 विशेष प्रावधान[1]

अनुच्छेद 6.2 में वर्णित सामान्य प्रावधानों के अतिरिक्त कुछ विशेष प्रावधान भी हैं।

6.3.1 देखने में अक्षम तथा दृष्टि बाधित

i. देखने में अक्षम तथा दृष्टि बाधित शिक्षार्थियों को माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर जहां कहीं लागू हो सिद्धांत परीक्षाओं में ज्यामिति के चित्र बनाने में, मानचित्रों के अंकन एवं लेबल करने संबंधी प्रश्नों के विकल्प प्रश्न प्रदान किए जाएंगे।

ii. देखने में अक्षम शिक्षार्थियों को लेखक की सहायता लेने/ब्रेल टाइपराइटर अथवा कंप्यूटर का परीक्षा में प्रयोग करने की अनुमति दी जाएगी। शिक्षार्थी को परीक्षा लिखने के लिए अपने ब्रेल, टाइपराइटर, इत्यादि स्वयं लाने होंगे।

iii. टेलर फ्रेम तथा ज्यामिति ड्राईंग किट इत्यादि उपकरणों को परीक्षा हॉल में ले जाने की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए संबंधित क्षेत्रीय निदेशक, क्षेत्रीय केंद्र, एनआईओएस से पहले ही अनुमति ली जाए।

6.3.2 सुनने में अक्षम शिक्षार्थी

i. दुभाषिये (इशारों की भाषा का प्रयोग करने वाले व्यक्ति) को सुनने में अक्षम शिक्षार्थियों को प्रश्न समझाने के लिए परीक्षा कक्ष में जाने की अनुमति दी जाएगी।

ii. एक परीक्षा कक्ष में एक दुभाषिया पर्याप्त होगा। दुभाषिए के प्रबंध के बारे में केन्द्र अधीक्षक निर्णय ले सकते हैं।

नोट : यदि आवश्यक हो तो, शिक्षार्थी को विभिन्न विषयों के लिए विभिन्न लिपिक/लेखक चुनने की अनुमति है। शिक्षार्थी को स्पष्ट रूप से बताना होगा कि उसे किस भाषा में लेखक की आवश्यकता है।

6.3.3 ऑटिज्म, मानसिक पक्षाघात, बौद्धिक अक्षमता (मानसिक बीमारी) और बहुविध अक्षमताएँ

i. माउस के स्थान पर ट्रैकबॉल, संचार बोर्ड इत्यादि समरूप हार्डवेयर वाले कंप्यूटर की अनुमति दी जाएगी।

ii. बौद्धिक अक्षमता (मंदबुद्धि) शिक्षार्थी प्रायोगिक परीक्षा के विकल्प के रूप में परियोजना कार्य चुन सकते हैं।

iii. यदि शिक्षार्थी विशेष रूप से अक्षम हों तो उन्हें आरामदायक कुर्सी, मेज, बेड इत्यादि परीक्षा कक्ष में उपलब्ध कराए जाएंगे।

iv. जिन्हें आवश्यकता हो वहाँ प्रश्नपत्र पढ़ने की व्यवस्था भी की जाएगी।

नोट : शिक्षार्थी अपने उपकरणों का स्वयं प्रबंध करेंगे।

6.3.4 सीखने में अक्षम शिक्षार्थी

6.1 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया और सामान्य शर्तों में भी उल्लिखित किए अनुसार लेखक, कम्प्यूटर का प्रयोग और अतिरिक्त समय के प्रावधान की अनुमति है।

6.3.5 कुष्ठ उपचारित शिक्षार्थी

जैसा कि 6.1 में उल्लिखित है चिकित्सा प्रमाणपत्र जमा करने पर कुष्ठ उपचारित हुए शिक्षार्थियों के लिए सामान्य छूट लागू होगी।

---

[1] अब बहुत से अक्षम शिक्षार्थी वैकल्पिक प्रारूप में प्रश्न पत्रों के लिए अनुरोध करते हैं। इसमें लिए नीति निर्णय तथा अग्रिम तैयारी शामिल हैं। एनआईओएस इस प्रक्रिया के प्रारंभ होने पर इसकी घोषणा करेगा।

नोट : यदि कोई ऐसा/ऐसी अक्षम शिक्षार्थी है जो उपर्युक्त प्रावधानों में शामिल है अथवा नहीं है, वह परीक्षा के दौरान कोई सुविधा प्राप्त करने के लिए परीक्षा आरंभ होने से कम से कम चार सप्ताह पहले संबंधित क्षेत्रीय निदेशक, क्षेत्रीय केंद्र, एनआईओएस से संपर्क करे।

अथवा

निदेशक (मूल्यांकन)

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान

ए-24-25, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर-62, नोएडा, उत्तर प्रदेश

ई-मेल : direval@nios.ac.in

परिशिष्ट - क

एनआईओएस के क्षेत्रीय केन्द्रों की सूची

क्षेत्र का नाम	पता	राज्य
1. इलाहाबाद	**राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान** क्षेत्रीय केन्द्र, 19/17, कस्तूरबा गांधी मार्ग, कचहरी रोड, इलाहाबाद-211002 (उत्तर प्रदेश), फोन : **(का) 0532-2548154;** फैक्स : **0532-2548149**, ई-मेल: **rcallahabad@nios.ac.in**	उत्तर प्रदेश
2. अमेठी	**राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान** क्षेत्रीय केन्द्र, लखहरा भवन, मुंशीगंज रोड, सरवनपुर-227405, अमेठी (उ.प्र.) ईमेल: rcamethi@nios.ac.in	अमेठी और गौरीगंज
3. बेंगलुरू	**राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान** क्षेत्रीय केन्द्र, निदेशक कार्यालय (व्यावसायिक शिक्षा), तीसरी मंजिल, पीयूई भवन, 18वां क्रॉस सेमपिज रोड, मालेश्वरम, बेंगलुरू- 560012, कर्नाटक फोन: 23464223 फैक्स: 23464222, ईमेल: rcbengaluru@nios.ac.in	कर्नाटक
4. भोपाल	**राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान** क्षेत्रीय केन्द्र, मानस भवन, श्यामला हिल, भोपाल-462002, मध्य प्रदेश फोन: 0755-2661842, 2660331; फैक्स : 2661842 ई-मेल: rcbhopal@nios.ac.in	मध्य प्रदेश
5. भुबनेश्वर	**राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान** क्षेत्रीय केन्द्र, ईएलटीआई, कैम्पस, मैत्री विहार, चंद्रशेखर पुर, भुवनेश्वर - 751023 फोन: 0674-2302688, ई-मेल: rcbbsr@nios.ac.in	उड़ीसा
6. चंडीगढ़	**राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान** क्षेत्रीय केन्द्र, वाईएमसीए कॉम्पलैक्स सेक्टर-11सी, चंडीगढ़-160011 फोन : (का) 0172-2744915, 3950979; फैक्स : 0172-2744952 ई-मेल: rcchandigarh@nios.ac.in; nosrcchd@eth.net	हरियाणा (गुड़गांव, फरीदाबाद और झज्जर जिलों को छोड़कर), पंजाब और चंडीगढ़
7. चेन्नई	**राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान** क्षेत्रीय केन्द्र, लेडी विलिंगटन कैम्पस, कामराजर सलाई, ट्रिपलीकेन, चेन्नई-600005 फोन: **044-28442237**(फैक्स) 044-28442239 ई-मेल: rcchennai@nios.ac.in	तमिलनाडु, पांडिचेरी
8. देहरादून	**राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान** क्षेत्रीय केन्द्र, अमृत प्लाजा बिल्डिंग, नियर बंगाली कोठी चौक, मोठ रोवला रोड, पी.ओ. अजापुर कलॉं, देहरादून-248001 फोन: 0135-2532566, 2532592 फैक्स: 0135-2629166 ई-मेल: rcdehradun@nios.ac.in	उत्तराखंड, मेरठ, बागपत, सहारनपुर तथा मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, तथा जे.पी. नगर (अमरोहा) और उत्तर प्रदेश के जिले
9. दिल्ली	**राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान** क्षेत्रीय केन्द्र, ए-31, इंस्टीट्यूशनल एरिया, एन.एच.-24, सेक्टर-62, नोएडा (उ.प्र.) फोन : (का) 0120-2404914-15, फैक्स : 0120-2404916, ई-मेल: rcdelhi@nios.ac.in	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा इसके उ.प्र. एवं हरियाणा के नजदीकी जिले जिनमें शामिल हैं गौतम बुद्ध नगर (नोएडा तथा ग्रेटर नोएडा), गाज़ियाबाद, गुड़गाँव, फरीदाबाद तथा झज्जर।
10. धर्मशाला	**राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान** क्षेत्रीय केन्द्र, दूसरा तल, चामूंडा कॉम्प्लेक्स (आयकर विभाग के पास) दरी रोड, धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश-176057 फोन :(का) 001892-222251, ई-मेल: rcdharamshala@nios.ac.in	हिमाचल प्रदेश

क्षेत्र का नाम	पता	राज्य
11. गांधीनगर	**राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान** क्षेत्रीय केन्द्र, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, डी विंग, सातवां तल, सेक्टर-11, पथिका आश्रम के पास, गांधीनगर-382011, फोन : 079-23220410 फैक्स : 079-23220411 ई-मेल: rcgandhinagar@nios.ac.in	गुजरात
12. गंगटोक	**राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान** क्षेत्रीय केन्द्र, टीचर्स गेस्ट हाउस, सयारी, गंगटोक-ईस्ट सिक्किम-737102 ई-मेल: srcgangtok@nios.ac.in	
13. गुवाहाटी	**राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान** क्षेत्रीय केन्द्र, असम प्रकाशन बोर्ड का भवन, (असम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पास) प्रथम तल, बामुनी मैदान, गुवाहाटी-781021 (आसाम) फोन : 0361-2650541 2340497; फैक्स : 0361-2650542 ई-मेल: rcguwahati@nios.ac.in; nosghy1@sancharnet.in	नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा
14. हैदराबाद	**राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान** क्षेत्रीय केन्द्र, IV तल, श्रीकृष्ण देवराय, तेलुगू भाषा निलयम, ट्रस्ट नं. 4-4-8, 2, सुल्तान बाजार, हैदराबाद-500095 फोन : 040-24162859; फैक्स : 040-24060712	तेलंगाना
15. जयपुर	**राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान** क्षेत्रीय केन्द्र, श्री कृष्णन 5-6, पदमावती कॉलोनी, मानसरोवर मेट्रो स्टेरशन, किंग्स रोड, निर्माण नगर, जयपुर (राजस्थान) -302006 फोन : (का) 0141-2812418 (फैक्स) 2812519 ई-मेल: rcjaipur@nios.ac.in	राजस्थान
16. जम्मू	**राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान** क्षेत्रीय केंद्र 105, करन नगर, त्रिकुट यात्री निवास के सामने, वेद मंदिर रोड, अम्बफाला, जम्मू-180005 ई-मेल: rcjammu@nios.ac.in	जम्मू एवं कश्मीर
17. कोची	**राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान** क्षेत्रीय केन्द्र, 6वीं मंजिल, केरल स्टेट हाउसिंग बोर्ड बिल्डिंग पनामपिल्ली नगर, कोची- 682036, फोन : (का) 0484-2310032, 4035540 (T/F) 0484-2310033, ई-मेल: rckochi@nios.ac.in	केरल
18. कोलकाता	**राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान** क्षेत्रीय केन्द्र, सीएल-18ए, सेक्टर-2,साल्ट लेक सिटी (सी.के. बाजार), टैन्क नं. 9 करूणामयी बस स्टैंड के पास, कोलकाता-700 091 (पश्चिमी बंगाल), फोन : (का) 033-24797714; फैक्स : 033-24797707, ई-मेल: rckolkata@nios.ac.in	सिक्किम, पश्चिमी बंगाल और अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह
19. पटना	**राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान** क्षेत्रीय केन्द्र, ललित भवन, ग्राउंड फ्लोर, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, बेली रोड, पटना - 800001, बिहार फोन : (O) 0612-2545051, 0612-2545470 ई-मेल: rcpatna@nios.ac.in	बिहार
20. पुणे	**राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान** क्षेत्रीय केन्द्र, द्वारा भारतीय शिक्षा संस्थान, 128/2 जेपी नाइक रोड, श्री निकेतन सोसायटी (सोलारिस क्लब के पास), कोथरूद, पुणे - 411029 (महाराष्ट्र) फोन : (का) 020-25444667, 25439763; फैक्स: 020-25444667 ई-मेल: **rcpune@nios.ac.in**	महाराष्ट्र, गोवा, दमन और दीव

क्षेत्र का नाम	पता	राज्य
21. रायपुर	**राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान** क्षेत्रीय केन्द्र, बी.टी.आई, ग्राउंड, डाइट परिसर, शंकर नगर, रायपुर - 492001, छत्तीसगढ़ फोन: (O) 0771-2442147, 2442167 ई-मेल: chhatisgarh@nios.ac.in	छत्तीसगढ़
22. रांची	**राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान** क्षेत्रीय केन्द्र, स्कूली शिक्षा, छात्रावास परिसर, अमर शहीद ठाकुर विश्वनाथ, शाहदेव जिला स्कूल, जिला स्कूल परिषद, रांची ई-मेल: rcranchi@nios.ac.in	झारखंड
23.विशाखापट्टनम	**राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान,** क्षेत्रीय केन्द्र, पाँचवां तल, बी-ब्लॉक, वीयूडीए कॉम्प्लेक्स, सिरिपुरम, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश फोन : (का) 0891-2564584 (फैक्स) 0891-2792713 ई-मेल: srcvisakhapatnam@nios.ac.in	आंध्र प्रदेश
	उप क्षेत्रीय केंद्र	
24. कोटा	**उप क्षेत्रीय केन्द्र, कोटा** दूसरा तल, 2-पीए-1, विज्ञान नगर मेन रोड, कोटा-324005 ई-मेल : srckota@nios.ac.in, फोन : 09889128555	
25. दरभंगा	**उपक्षेत्रीय केन्द्र: दरभंगा** मोहल्ला कादिराबाद, बस अड्डे के पास (पशुपालन विभाग के पश्चिम) चूड़ी बाजार के पास, जिला दरभंगा (बिहार), फोन :0627-2250628	
	एनआईओएस सैल	
26. शिलांग	**एनआईओएस सैल शिलाँग** क्षेत्रीय केन्द्र, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एवं ट्रेनिंग केम्पस (डी.ई.आर.टी.), लेथुमखर्म, शिलाँग, मेघालय-7930011 ई-मेल :trilokes@gmail.com	मेघालया
27. पोर्ट ब्लेयर	**उप-क्षेत्रीय सेल पोर्ट ब्लेयर** निदेशालय में प्रौढ़ शिक्षा, अंडमान एवं निकोबार प्रशासन शिक्षा सदन अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, पोर्ट ब्लेयर	पोर्ट ब्लेयर

परिशिष्ट – ख

विभिन्न राज्यों में जन सेवा केंद्र के नामों की सूची

क्र.सं.	राज्य	सीएससी नाम
1.	आंध्र प्रदेश	राजीव नागरिक सेवा केंद्र
2.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप	ई द्वीप
3.	अरुणाचल प्रदेश	सामान्य सुविधा केंद्र (सीएससी)
4.	असम	अरुणोदय केंद्र
5.	बिहार	वसुधा
6.	चंडीगढ़	ग्राम संपर्क केंद्र
7.	छत्तीसगढ़	ग्रामीण चयन केंद्र
8.	दिल्ली	जीवन केंद्र
9.	गोवा	लोक सेवा केंद्र
10.	गुजरात	ई–ग्राम
11.	हरियाणा	ई–दिशा
12.	हिमाचल प्रदेश	लोक मित्र केंद्र
13.	जम्मू एवं कश्मीर	खिदमत केंद्र
14	झारखंड	प्रज्ञा केंद्र
15.	कर्नाटक	नेम्मादी केंद्र
16.	केरल	अक्षया केंद्र
17.	लक्षद्वीप	आश्रय
18.	मध्य प्रदेश	नागरिक सुविधा केंद्र
19.	महाराष्ट्र	महा ई सेवा केंद्र
20.	मणिपुर	जन सेवा केंद्र
21.	मेघालय	रेनबो केंद्र
22.	मिजोरम	मिजोरम ऑन लाइन केंद्र (मॉक)
23.	नागालैंड	नागालैंड एक, जन सेवा केंद्र
24.	ओडिशा	जन सेवा केंद्र
25.	पुडुचेरी	जन सेवा केंद्र
26.	पंजाब	ग्राम सुविधा
27.	राजस्थान	ई–मित्र
28.	सिक्किम	जन सेवा केंद्र
29.	तमिलनाडु	जन कंप्यूटर केंद्र
30.	त्रिपुरा	ई–परिसेवा केंद्र
31.	उत्तर प्रदेश	जन सेवा केंद्र
32.	उत्तराखंड	ई–उत्तर
33.	पश्चिम बंगाल	तथ्य मित्र केंद्र

सं एफ 3-11/2002 ई जी एस -I
भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
प्रारंभिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

नई दिल्ली - 110001
11 दिसंबर 2002

सेवा में,

सभी शिक्षा सचिव
सभी राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश

विषय : राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान {पूर्वत : राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय (रा.मु.वि.)} द्वारा आयोजित प्राथमिक और मिडिल स्तर पाठ्यक्रमों की परीक्षा को मान्यता देने के संबंध में।

महोदय,

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एन आई ओ एस) पूर्वत राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय (रा.मु.वि.) दिनांक 21.11.1989 के फा. 6-2/89 अनु. III द्वारा जारी संकल्प के अनुसार भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 1989 में स्थापित एक स्वायत्त संगठन है जिसका उद्देश्य ऐसे लोगों को पूर्व स्नातक स्तर तक शिक्षा प्रदान करना है जो किसी न किसी कारण से औपचारिक शिक्षा प्रणाली से शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके। एन आई ओ एस फा. 5-24/90 अनु III दिनांक 14.09.1990 द्वारा जारी संकल्प के अनुसार भारत सरकार द्वारा माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर की परीक्षाएँ आयोजित करने और प्रमाणपत्र प्रदान करने का अधिकार भी दिया गया है (प्रति संलग्न)।

भारतीय विश्वविद्यालय संघ (ए आई यू) ने अधिसूचना सं. ई वी /11(354)91/दिनांक 25.7.1991 (प्रति संलग्न) द्वारा सभी भारतीय विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रारों को इस निर्णय की सूचना दी है कि भारतीय विश्वविद्यालयों में अधययन के उच्च पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए एन आई ओ एस के पाठ्यक्रमों को मान्यता प्राप्त बोर्डों की अन्य परीक्षाओं की समकक्षता प्रदान की गई है।

जैसा कि आपको ज्ञात होगा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एन आई ओ एस) प्राथमिक स्तर पर दूरस्थ शिक्षा प्रणाली (मुक्त शिक्षा प्रणाली) द्वारा मुक्त बेसिक शिक्षा कार्यक्रम भी चलाता है तथा गैर सरकारी संगठनों के साथ सहभागिता से तीन स्तरों पर संयुक्त प्रमाणपत्र प्रदान करता है - ए स्तर (कक्षा III अथवा दक्षिणी राज्यों की कक्षा II के समकक्ष जहाँ प्राथमिक शिक्षा केवल कक्षा VII तक होती है, बी स्तर (कक्षा V/IV के समकक्ष और ग स्तर (कक्षा VIII/VII के समकक्ष)। यह दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत समकक्षता के उनके कार्यक्रम पर लागू होता है जहाँ समकक्षता के समान स्तर पर यही प्रमाणपत्र दिए जाते हैं।

आप सभी संबंधित विभागों को एनआईओएस एवं सहभागी एन जी ओ द्वारा उपर्युक्त स्तरों के लिए संयुक्त रूप से जारी प्रमाणपत्र को प्रवेश एवं रोजगार आदि के मामलों में शिक्षा के संबंधित स्तर के समकक्ष स्वीकार करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करें।

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान द्वारा आयोजित परीक्षाओं को मान्यता प्रदान करने के संबंधा में औपचारिक संप्रेषण/अधिसूचना जारी की जाए और सभी संबंधित विभागों में भेजा जाए।

इस संबंध में और अधिक विवरण/स्पष्टीकरण के लिए एनआईओएस के अध्यक्ष से एनआईओएस बी -31 बी कैलाश कॉलोनी, नई दिल्ली -110048 पर संपर्क किया जा सकता अथवा उनके वेबसाइट http:/www.nios.ac.in अथवा http/www.nos.org खोली जा सकती हैं।

भवदीय,

(अमित कौशिक)
निदेशक
दूरभाष 23382604

सूचना के लिए प्रति निम्नलिखित को अग्रेषित की जाए :

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
2. प्राथमिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग और माध्यमिक शिक्षा विभाग के सभी अधिकरियों/अनुभागों।
3. अध्यक्ष, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, बी-31 बी कैलाश कॉलोनी, नई दिल्ली-110048 को उनके दिनांक 10 अक्तूबर, 2002 के पत्र सं. रा.मु.वि.शि.सं./अध्यक्ष का./1-1/02/2607 के संदर्भ में ।

(अमित कौशिक)
निदेशक

मानव संसाधन विकास मंत्रलय
शिक्षा विभाग
नई दिल्ली, 14 सितंबर 1990

संकल्प

विषय : राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय सोसाइटी को विद्यालय स्तर पर दूरस्थ और मुक्त शिक्षा प्रणाली द्वारा निर्धारित परीक्षाएँ आयोजित करने और उनके लिए प्रमाणपत्र देने का अधिकार प्रदान करना।

सं.एफ. 5-24/90 अनु. 3 भारत सरकार ने 23 नवंबर, 1989 को राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय सोसाइटी, एक स्वायत्त एवं पंजीकृत निकाय की स्थापना की है, जो बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले, कामकाजी प्रौढ़, गृहिणियों, सामाजिक दृष्टि से सुविधावंचित वर्गों को विद्यालय स्तर पर दूरस्थ शिक्षा के माधयम से शिक्षा प्रदान करेगा। सोसायटी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय का प्रबंधन चलाएगी, जो दूरस्थ और मुक्त शिक्षा प्रणाली द्वारा पाठ्यक्रम प्रस्तुत कर रही है और शिक्षार्थियों को माध्यमिक और उच्चतर माधयमिक विद्यालय परीक्षाओं के लिए तैयार करती है और सेतु (पूर्व तैयारी) पाठ्यक्रम भी प्रस्तुत करती है।

अब यह निर्णय लिया गया है कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय सोसाइटी के समझौता ज्ञापन के अनुच्छेद 3(ii) का पालन करते हुए सोसाइटी पूर्व स्नातक स्तर तक विद्यालय शिक्षा के लिए उपर्युक्त परीक्षाएँ आयोजित करे, चाहे वे शैक्षणिक, प्रौद्योगिक अथवा व्यावसायिक क्षेत्र के विषय हों, जो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय द्वारा स्वयं अथवा अन्य संस्थाओं के सहयोग से विकसित किए गए हों और जो सोसाइटी के कार्यकारी बोर्ड द्वारा स्वीकृत हों अथवा उन्हें भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रलय, शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित करने के लिए कहा गया हो। इस प्रकार के पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों के लिए सोसाइटी प्रमाणपत्र प्रदान करने का अधिकार भी रखेगी और जब भी आवश्यक होगा इन उद्देश्यों के अनुषंगी कार्य करेगी। केन्द्रीय माधयमिक शिक्षा बोर्ड, जिसे राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय सोसायटी की ओर से परीक्षाएँ लेने और प्रमाणपत्र देने का अधिकार था, उसे भारत के गजट में अधिसूचना जारी करने की तिथि से ऐसा करने से रोक दिया जाएगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति सभी राज्य सरकारों, केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों, सभी मंत्रालयों, भारत सरकार के सभी विभागों, विद्यालय अनुदान आयोग, प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, भारतीय विश्वविद्यालय संघ, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, भारतीय विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा परिषद् और राज्य शिक्षा बोर्डों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सामान्य जानकारी के लिए संकल्प भारत के गजट में भी प्रकाशित किया जाए।

डी. एम. डी. ई. रेबेलो
संयुक्त सचिव

शनिवार 20 अक्तूबर, 1990 को भारतीय गजट के सं. 42 के भाग I में प्रकाशित।

भारतीय विश्वविद्यालय संगठन
ए आई यू हाउस, 16 कोटला मार्ग, नई दिल्ली -110002

सं. ई वी 11/(354)/91/
25 जुलाई, 1991

सचिव
राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय
कम्युनिटी सेंटर
दिल्ली 110052

संदर्भ : राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय - उच्चतर माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा की समकक्षता।

महोदय,

हमें ज्ञात हुआ है कि भारत सरकार ने 23 नवंबर, 1989 को राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय की स्थापना की है। रा.मु.वि. अन्य पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त शिक्षार्थियों को माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम प्रस्तुत करता है। भारत सरकार ने दिनांक 14 सितंबर 1990 के सं. ए. 5/23/90 द्वारा एक संकल्प के माधयम से राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय को अपने शिक्षार्थियों की परीक्षा लेने और प्रमाणपत्र देने का अधिकार दिया है।

भारतीय विश्वविद्यालय संघ ने अपनी हाल में आयोजित बैठक में रा.मु.वि. के पाठ्यक्रमों को मान्यता प्राप्त बोर्डो की अन्य परीक्षाओं की समकक्षता प्रदान की है जिससे वे भारतीय विश्वविद्यालयों में उच्च अध्ययन के लिए प्रवेश ले सकें। यह मामला सभी विश्वविद्यालयों की जानकारी में लाया गया है, जिससे उपयुक्त कार्रवाई की जा सके।

यदि शिक्षार्थियों को कोई कठिनाई हो तो कृपया हमें लिखें। हम तदनुसार विश्वविद्यालयों से संपर्क करेंगे।

धन्यवाद

भवदीय

(के. सी. कालरा)

भारतीय भेषजी परिषद्
(भेषजी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत स्थापित)
PHARMACY COUNCIL OF INDIA
(CONSTITUTED UNDER THE PHARMACY ACT, 1948)

तार Telegram : 'फार्मकाउंसिल' 'FARMCOUNCIL'
दूरभाष Telephone : 23239184, 23231348
फैक्स Fax : 011-23239184
ई-मेल E-Mail : pci@ndb.vsnl.net.in
वेबसाईट Website : www.pci.nic.in

संयुक्त परिषद् भवन Combined Councils' Building
कोटला रोड Kotla Road
ऐवान-ए-गालिब मार्ग Aiwan-E-Ghalib Marg
पोस्ट बॉक्स नं. 7020 Post Box No. 7020
नई दिल्ली - 110002 New Delhi - 110002

संदर्भ संख्या 14-2/2015-पीसीआई (ए)/16017-18 10 जुलाई, 2015
14-55/2014 - पीसीआई

श्री सतीश कुमार
अवर सचिव
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
एएचएस अनुभाग, निर्माण भवन
नई दिल्ली - 110008

विषय : फार्मेसी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु एनआईओएस शिक्षार्थियों की पात्रता

संदर्भ : आपका पत्र सं. वी. 13025/01/2013 - पीएमएस दिनांक 12.06.2015

श्रीमान,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि जून, 2015 में पीसीआई की 97वीं केंद्रीय परिषद की आयोजित बैठक में मामले पर विचार किया गया तथा निर्णय निम्नानुसार हैं।

''एनआईओएस पर काउंसिल के पूर्व निर्णय की समीक्षा की गई। देश के व्यापक हित को देखते हुए जहाँ कौशल विकास बहुत अधिक बल दिया जा रहा है, परिषद् ने फॉर्मेसी पाठ्यक्रमों में मुक्त विद्यालयी प्रणाली से उत्तीर्ण हुए शिक्षार्थियों के प्रवेश के मामले पर विचार किया। परिषद ने इसकी नीति की इस शर्त के साथ संवीक्षा की कि सभी स्टेक धारकों द्वारा शिक्षा के स्तर में गुणवत्ता कायम रखी जाए और यदि आवश्यक हो तो फॉर्मेसी अधिनियम के अंतर्गत डी फॉर्म पाठ्यक्रम के पूर्ण होने के पश्चात तथा एक उम्मीदवार के फॉर्मसिस्ट के रूप में नामांकन से पहले एक निर्गम परीक्षा के आयोजन के रूप में इसके लिए एक तंत्र विकसित करें तथा अनुमोदित करें कि ऐसा शिक्षार्थी जो केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार संस्थानों की मुक्त विद्यालय शिक्षा प्रणाली से उत्तीर्ण हुआ है, वह संबंधित शिक्षा विनियमों के अनुसार फॉर्मेसी पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने का पात्र होगा।

इसके अलावा यह निर्णय लिया गया कि एक फार्मेसिस्ट के रूप में पंजीकरण कराने के उद्देश्य से डी फार्म के सभी उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की एक निर्गम परीक्षा होगी।

शिक्षा विनियम, 1991 में एक सनसेट खंड जोड़ने के संबंध में परिषद द्वारा यह निर्णय लिया गया कि -

क) 2020 तक फार्मेसी में डिप्लोमा पाठ्यक्रम हटाने के कदम आरंभ करना।
ख) शैक्षिक सत्र 2017-18 से नए डी. फार्म पाठ्यक्रम को अनुमति नहीं दी जाए।

भवदीय,
(अर्चना मुद्गल)
कुल सचिव-सह-सचिव

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्

मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रतिस्थापन में गवर्नरों की परिषद्

सं. एमसीआई-34(1)/(यूजी)(जन.)/2012-एमईडी./129570
दिनांक : 14.09.12

डॉ. संयम भारद्वाज
निदेशक (विद्यार्थी सहायता सेवाएँ),
राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान
ए-24-25, इंस्टीट्यूशनल एरिया, एन.एच. 24,
सेक्टर– 62, नोएडा– 201 309,
जिला गौतम बुद्ध नगर (उ.प्र.)

संदर्भ.: दिनांक 28.05.2013 का पत्र सं. निदेशक (वि.स.से.)/पीए/एमसीआई/2012/37

विषय : एनआईओएस प्रमाणपत्रों की समकक्षता संबंधी स्पष्टीकरण के संबंध में।

महादेय,

कृपया ऊपर निर्दिष्ट विषय पर उपर्युक्त पत्र का संदर्भ लें।

13.08.2012 को आयोजित गवर्नरों के बोर्ड की बैठक में एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के इच्छुक शिक्षार्थियों की योग्यता के मूल्यांकन के लिए एनआईओएस प्रमणपत्रों की स्वीकृति के मामले पर विचार किया गया। गवर्नरों के बोर्ड ने निम्नानुसार निर्णयय लिया :-

''गवर्नर्स ने कार्यसूची नोट स्वीकार किया तथा निदेशक, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान से 28.05.2012 को प्राप्त पत्र की विषय वस्तु को नोट किया और उसके बाद निर्णय लिया कि चूंकि विनियमों में यह निर्दिष्ट नहीं किया गया है कि किसी बोर्ड विशेष द्वारा प्रदान की गई योग्यता को मान्यता दी जाएगी। अत: यदि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान द्वारा आयोजित 10+2 परीक्षा में बैठने वाले शिक्षार्थी एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए योग्यता मानदंड के संबंध में स्नातक मेडिकल शिक्षा विनियमों को पूरा करते हैं तो उन्हें एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए योग्य माना जाएगा।''

भवदीय,

(प्रो. संजय श्रीवास्तव)
सचिव

परिशिष्ट - ज

एनआईओएस क्षेत्रीय केंद्र की तुलना में सेना मुख्यालय कमान का सेवाधिकार

क्र.सं.	सेना मुख्यालय की कमान	संबंधित एनआईओएस क्षेत्रीय केंद्र
1.	पूर्वी कमान मुख्यालय	कोलकाता
2.	पश्चिमी कमान मुख्यालय	चंडीगढ़
3.	केंद्रीय कमान मुख्यालय	इलाहाबाद
4.	दक्षिणी कमान मुख्यालय	पुणे
5.	उत्तरी कमान मुख्यालय	चंडीगढ़
6.	दक्षिण पश्चिम कमान मुख्यालय	जयपुर

टिप्पणियाँ

1. प्रावधानों, व्यवहारों और नियमों की व्याख्या में उत्पन्न संदेह की स्थिति में अध्यक्ष, एनआईओएस का निर्णय अंतिम होगा।

2. एनआईओएस के पास इन नियमों में संशोधन, सुधार अथवा परिवर्तन का अधिकार सुरक्षित है और अधिसूचना द्वारा इन्हें प्रभाव में लाया जाएगा। एक बार अधिसूचित होने पर इन्हें लागू कर दिया जाएगा।

3. निर्धारित अंतिम तिथि को यदि सार्वजनिक अवकाश, शनिवार, रविवार होगा तो इसके लिए अगला कार्यदिवस स्वत: ही अंतिम तिथि के रूप में मान्य होगा।

4. यद्यपि प्रत्येक स्तर पर सही जानकारी के मुद्रण का पूरा ध्यान रखा गया है। फिर भी विवरणिका के मुद्रण एवं प्रकाशन के दौरान अनजाने में हुई त्रुटियों के लिए एनआईओसएस उत्तरदायी नहीं होगा।

सचिव, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, ए-24-25, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर-62, नोएडा-201309 द्वारा प्रकाशित एवं राज प्रिंटर्स, ए-9, सैक्टर-बी-2, ट्रोनिका सिटी, औद्योगिक क्षेत्र, लोनी, गाजियाबाद द्वारा मुद्रित।

याद रखने योग्य महत्त्वपूर्ण तिथियाँ

1. 2019-20 के प्रवेश के लिए ऑन लाइन आवेदन जमा करना

i) सभी शिक्षार्थियों (स्ट्रीम-1) के लिए ऑन लाइन प्रवेश

ब्लॉक-1	16 मार्च-31 जुलाई 2019	:	विलंब शुल्क के बिना
	1 अगस्त-15 अगस्त 2019	:	200/- रु. के विलंब शुल्क के साथ
	16 अगस्त-31 अगस्त 2019	:	400/- रु. के विलंब शुल्क के साथ
	1 सितंबर-15 सितंबर 2019	:	700/- रु. के विलंब शुल्क के साथ
ब्लॉक-2	16 सितंबर 2019-31 जनवरी 2020	:	विलंब शुल्क के बिना
	1 फरवरी-15 फरवरी 2020	:	200/- रु. के विलंब शुल्क के साथ
	16 फरवरी-28 फरवरी 2020	:	400/- रु. के विलंब शुल्क के साथ
	1 मार्च-15 मार्च 2020	:	700/- रु. के विलंब शुल्क के साथ

ii) अक्तूबर-नवंबर, 2019 परीक्षा में शामिल होने के इच्छुक शिक्षार्थियों के लिए ऑन लाइन प्रवेश की तिथियाँ (स्ट्रीम-2) : 01 मई, 2019 से 30 जून, 2019

iii) एनआईओएस की माध्यमिक स्तर की ऑन डिमांड परीक्षा में शामिल होने के लिए ऑन लाइन प्रवेश (स्ट्रीम-3) : वर्ष भर

iv) एनआईओएस की उच्चतर माध्यमिक स्तर की ऑन डिमांड परीक्षा में शामिल होने के लिए ऑन लाइन प्रवेश (स्ट्रीम-4) : वर्ष भर

2. सार्वजनिक परीक्षा के लिए पंजीकरण

i) पहली सार्वजनिक परीक्षा (अप्रैल-मई परीक्षा)

नए और पिछली परीक्षाओं में असफल शिक्षार्थियों के लिए

➢ 21 नवंबर से 20 दिसंबर (बिना विलंब शुल्क)

उन शिक्षार्थियों के लिए जो पिछली परीक्षा में असफल रहे हैं जैसे कि अक्टूबर की परीक्षाएं

➢ 1 दिसंबर से 20 दिसंबर (बिना विलंब शुल्क)

सभी शिक्षार्थियों के लिए

➢ 21 दिसंबर से 31 दिसंबर (रु. 100/- प्रति विषय विलंब शुल्क सहित)

➢ 1 जनवरी से 10 जनवरी (रु. 1500/- समेकित विलंब शुल्क सहित)

ii) द्वितीय सार्वजनिक परीक्षा (अक्तूबर-नवंबर परीक्षा)

नए और पिछली परीक्षाओं में असफल शिक्षार्थियों के लिए

➢ 21 मई से 20 जून (बिना विलंब शुल्क)

उन शिक्षार्थियों के लिए जो पिछली परीक्षा में असफल रहे हैं जैसे कि अप्रैल की परीक्षाएं

➢ 1 जून से 20 जून (बिना विलंब शुल्क)

सभी शिक्षार्थियों के लिए

➢ 21 जून से 30 जून (रु.100/- प्रति विषय विलंब शुल्क सहित)

➢ 1 जुलाई से 10 जुलाई (रु. 1500/- समेकित विलंब शुल्क सहित)

टिप्पणी : (i) ऑन-लाइन प्रवेश के अंतर्गत सार्वजनिक परीक्षा के लिए पंजीकरण केवल स्ट्रीम 2, 3 और 4 के अंतर्गत ऑन-लाइन प्रवेश के साथ ही हो सकेगा।

(ii) एनआईओएस को अधिकार है कि वह तिथियों में संशोधन, परिशोधन अथवा परिवर्तन करें और अधिसूचना दिए बगैर उन्हें लागू करें।

3. परीक्षा के परिणाम की घोषणा : अंतिम परीक्षा समाप्त होने के 6 से 7 सप्ताह के बाद। परिणाम संबंधित एआई और एनआईओएस वेबसाइट **www.nios.ac.in** पर उपलब्ध होंगे।

4. अतिरिक्त विषय के लिए/विषय परिवर्तन के लिए पंजीकरण

(i) अप्रैल-मई परीक्षा के लिए : 1 जुलाई से 15 नवंबर

(ii) अक्तूबर-नवंबर परीक्षा : 1 जनवरी से 15 मई

5. उत्तरपुस्तिकाओं की पुनः जाँच : परीक्षा परिणाम की घोषणा के 15 दिनों के भीतर

6. उच्चतर माध्यमिक स्तर पर उत्तरपुस्तिकाओं का पुनः मूल्यांकन : परीक्षा परिणाम की घोषणा के 15 दिनों के भीतर

7. उत्तरपुस्तिकाओं की फोटोकॉपी : परीक्षा परिणाम की घोषणा के 15 दिनों के भीतर

टिप्पणी : सार्वजनिक परीक्षा के पंजीकरण से संबंधित तिथियों के संपूर्ण विवरण के लिए कृपया विवरणिका और एनआईओएस वेबसाइट **www.nios.ac.in** देखें।

***(अप्रैल-मई परीक्षा के लिए 10 जनवरी तक और अक्तूबर-नवंबर परीक्षा के लिए 10 जुलाई तक परीक्षा शुल्क के साथ रु. 1500/-** (एक हजार पाँच सौ रुपए केवल) के समेकित विलंब शुल्क**, नेट बैंकिंग/क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड द्वारा स्वीकार किया जा सकता है।**

विवरणिका खरीदने या मात्र फॉर्म भरने से शिक्षार्थी को एनआईओएस पाठ्यक्रमों में प्रवेश का अधिकार नहीं मिल जाता है। यह प्रवेश एनआईओएस द्वारा संबंधित एआई को दिए गए स्थान खाली होने पर 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर किया जाता है।

विद्याधनम् सर्वधन प्रधानम्

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान

मा.सं.वि.मं., भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था

ए-24-25, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर-62, नोएडा, उ.प्र.

NIOSHQ | @niostwit | www.nios.ac.in

शिक्षार्थी सहायता केन्द्र टॉल फ्री नंबर : 1800 180 9393